

Vol. 255  
No. 17



Tuesday,  
21<sup>st</sup> December, 2021  
30 Agrahayana, 1943 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

# RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 - 18)

Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture,  
Animal Husbandry and Food Processing - Laid on the Table (page 19)

Statement by Minister-

Status of implementation of recommendations contained in the Two Hundred  
and Eighty-Third Report of the Department-related Parliamentary Standing  
Committee on Transport, Tourism and Culture - Laid on the Table (page 19)

[P.T.O

©  
RAJYA SABHA SECRETARIAT  
NEW DELHI

PRICE: ₹ 100.00

Motion for election to the Tea Board- *Adopted* (page 19)

Motion for election to the Committee on Welfare of Other Backward Classes  
- *Adopted* (page 20)

Recommendations of the Business Advisory Committee (pages 20 - 22)

Regarding point of order about the functions of the Business Advisory Committee  
(page 22 - 25)

Government Bills-

The Election Laws (Amendment) Bill, 2021- *Passed* (pages 26 -57)

Amendments for reference of the Election Laws (Amendment) Bill, 2021 to a  
Select Committee- *Negatived* (pages 26-57)

The Appropriation (No. 5) Bill, 2021- *Under consideration* (page 60 - 101)

Observations by the Leader of the House on the persistent disruptions and unruly  
behaviour of some Members in the House (pages 57 - 60)

Special Mentions-

Need for Speedy Completion of Road Projects in Bihar under the Bharatmala  
Pariyojana (page 101 - 102)

Need for Financial Assistance to Rehabilitate Gulf Returnees in Kerala- Laid on  
the Table (page 102)

Need for Expansion of Puducherry Airport - *Laid on the Table* (page 102 -103)

Need to include Ho, Santhali, Sambalpuri and Mundari languages in the Eighth  
Schedule to the Constitution - Laid on the Table (page 103-104)

Creating Awareness about the Programmes Conducted under the  
'Azadi Ka Amrit Mahotsav' - Laid on the Table (page 105)

Opening of More Jawahar Navodaya Vidyalayas in Andhra Pradesh - Laid on  
the Table (page 105 -106)

**[P.T.O**

Suspension of Member (pages 106 - 107)

*[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise> ]*

Website : <http://rajyasabha.nic.in>

<http://parliamentofindia.nic.in>

E-mail : [rsedit-e@sansad.nic.in](mailto:rsedit-e@sansad.nic.in)

## RAJYA SABHA

*Tuesday, the 21<sup>st</sup> December, 2021/ 30 Agrahayana, 1943 (Saka)*

*The House met at eleven of the clock,*

*MR. CHAIRMAN in the Chair.*

### PAPERS LAID ON THE TABLE

#### **Report and Accounts (2020-21) of NCDC, New Delhi and related papers**

**सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा):** महोदय, मैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उप धारा (3) और धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (a) Annual Report of the National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi, for the year 2020-21.
- (b) Annual Accounts of the National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. LT-5977/17/21]

#### **Notification of the Ministry of Finance**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of my senior colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman, I lay on the Table, under Section 159 of the Customs Act, 1962, a copy (in English and Hindi) of the Notification No. 53/2021-Customs, dated 20th December, 2021 of the Ministry of Finance (Department of Revenue), amending Notification No. 48/2021-Customs, dated 13th October, 2021 of the Ministry of Finance (Department of Revenue) to give effect to the changes in BCD on Refined Palm oil from 21.12.2021 upto 31.03.2022, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. LT-5978/17/21]

- I. **Notifications of the Ministry of Corporate Affairs**
- II. **Report (2020-21) of NFRA, New Delhi and related papers**
- III. **Accounts (2020-21) of CCI, New Delhi and related papers**
- IV. **Reports and Accounts (2020-21) of ISI, Kolkata; NSC, New Delhi; NILERD, Delhi and IICA, Gurugram and related papers**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I lay on the Table: -

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Corporate Affairs, under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (1) G.S.R. 538 (E), dated the 5th August, 2021, publishing the Companies (Registration of Foreign Companies) Amendment Rules, 2021 along with Delay Statement.
- (2) G.S.R. 539 (E), dated the 5th August, 2021, publishing the Companies (Specification of definitions details) Third Amendment Rules, 2021 along with Delay Statement.
- (3) G.S.R. 579 (E), dated the 19th August, 2021, publishing the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2021.
- (4) G.S.R. 580 (E), dated the 19th August, 2021, publishing the Companies (Creation and Maintenance of databank of Independent Directors) Second Amendment Rules, 2021.

[Placed in Library. For (1) to (4) See No. LT-5734/17/21]

- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (15) of section 132 of the Companies Act, 2013:—
  - (a) Annual Report of the National Financial Reporting Authority (NFRA) New Delhi, for the year 2020-21 and the Audit Report thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. LT-5733/17/21]

III. A copy (in English and Hindi) of the Annual Accounts of the Competition Commission of India (CCI), New Delhi, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of Section 52 of the Competition Act, 2002.

[Placed in Library. See No. LT-5729/17/21]

IV. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Eighty-ninth Annual Report of the Indian Statistical Institute (ISI), Kolkata, for the year 2020-21.

(b) Eighty-ninth Annual Accounts of the Indian Statistical Institute (ISI), Kolkata, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.

(c) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. LT-5737/17/21]

(ii) (a) Annual Report of the National Statistical Commission (NSC), New Delhi, for the year 2020-21.

(b) Action Taken Report on the recommendations contained in the above-said Report.

[Placed in Library. See No. LT-5736/17/21]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD), Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. LT-5735/17/21]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Gurugram, Haryana, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No. LT-5732/17/21]

## Notification of the Ministry of Power

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल):** महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाज़ार) विनियम, 2021 को 15 अगस्त, 2021 से प्रवृत्त करने को अधिसूचित करने वाली विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. एल1/257/2020/के.वि.वि.आ., दिनांक 10 अगस्त, 2021 की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No. LT-5980/17/21]

### I. Notifications of the Ministry of Finance

### II. Statement (2021-22) on Half Yearly Review in relation to the Budget

### III. Report (2021) on Action Taken on recommendations of JPC

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KISHANRAO KARAD): Sir, I lay on the Table:—

- I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/60, dated the 6<sup>th</sup> December, 2021, publishing the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2021, under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library. See No. LT-5746/17/21]

- (ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. G.S.R. 635 (E), dated the 16<sup>th</sup> September, 2021, publishing the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021, under Section 32 of the Tribunal Reforms Act, 2021, along with Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. See No. LT-5981/17/21]

- (iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 159 of the Customs Act, 1962, along with Explanatory Memoranda:-

- (1) S.O. 4912 (E), dated the 30<sup>th</sup> November, 2021, amending Notification No. S.O. 748 (E), dated the 3<sup>rd</sup> August, 2001, to substitute certain entries in the original Notification.

- (2) Notification No. 96/2021 - Customs (N.T.), dated the 2<sup>nd</sup> December, 2021, determining the rate of exchange for conversion of certain foreign currencies, given in schedules therein, into Indian currency or *vice-versa* for imported and exported goods *w.e.f.* 3<sup>rd</sup> December, 2021.

[Placed in Library. For (1) and (2) See No. LT-5747/17/21]

- II. A copy (in English and Hindi) of the Statement on Half Yearly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the Budget, at the end of the first half of financial year 2021-22, under sub-section (1) of Section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library. See No. LT-5743/17/21]

- III. A copy (in English and Hindi) of the Thirty-seventh Progress Report on the Action Taken pursuant to the recommendations of the Joint Parliamentary Committee (JPC) on Stock Market Scam and matters relating thereto (December, 2021).

[Placed in Library. See No. LT-5744/17/21]

**I. Reports and Accounts (2020-21) of HOCL, Navi Mumbai, Maharashtra and SECI, New Delhi and related papers**

**II. Reports and Accounts (2018-19 and 2020-21) of various institutes and related papers**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खूबा):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

- (i) (a) Sixtieth Annual Report and Accounts of the Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL), Navi Mumbai, Maharashtra, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. LT-5982/17/21]



- (ii) (a) Tenth Annual Report and Accounts of the Solar Energy Corporation of India Ltd. (SECI), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. LT-5983/17/21]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers :—

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Hyderabad, for the year 2018-19, and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of Section 23 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) Act, 1998.
- (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. LT-5984/17/21]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Wind Energy (NIWE), Chennai, Tamil Nadu, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Performance Review of the above Institute, for the year 2020-21.

[Placed in Library. See No. LT-5985/17/21]

- (iii) (a) Thirtieth Annual Report and Accounts of the Institute of Pesticide Formulation Technology (IPFT), Gurugram, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. LT-5986/17/21]

- (iv) (a) Fifty-Third Annual Report and Accounts of the Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET), Chennai, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. LT-5987/17/21]

- (v) (a) Annual Report and Accounts of the Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-Energy (SSS-NIBE), Kapurthala, Punjab, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.  
[Placed in Library. See No. LT-5988/17/21]
- (vi) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Solar Energy (NISE), Gurugram, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.  
[Placed in Library. See No. LT-5989/17/21]

**I. Reports and Accounts (2020-21) of NIACL, Mumbai; NICL, Kolkata and IIFCL, New Delhi and related papers**

**II. Reports on voluntary winding up of IIBI Limited, Kolkata, for the period 01.04.2021 to 30.09.2021 and related papers**

**III. Report (2020-21) of IRDAI, Hyderabad and related paper**

DR. BHAGWAT KISHANRAO KARAD: Sir, I lay on the Table: -

- I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—
- (i) (a) Annual Report and Accounts of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.  
[Placed in Library. See No. LT-5793/17/21]
- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.  
[Placed in Library. See No. LT-5795/17/21]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of above Company.  
[Placed in Library. See No. LT-5796/17/21]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers :—

- (i) (a) One Hundred and Sixth Liquidator's Report on voluntary winding up of the Industrial Investment Bank of India (IIBI) Limited, Kolkata, for the period from 01.04.2021 to 30.06.2021, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government of the voluntary winding up process of the above Bank, for the period from 01.04.2021 to 30.06.2021.

- (ii) (a) One Hundred and Ninth Liquidator's Report on voluntary winding up of the Industrial Investment Bank of India (IIBI) Limited, Kolkata, for the period from 01.07.2021 to 30.09.2021, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government of the voluntary winding up process of the above Bank, for the period from 01.07.2021 to 30.09.2021.

[Placed in Library. For (i) and (ii), see No. LT-5799/17/21]

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-

- (a) Annual Report of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Hyderabad, for the year 2020-21.

- (b) Review by Government on the working of the above Authority.

[Placed in Library. See No. LT-5797/17/21]

**I. Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare**

**II. Reports and Accounts (2019-20) of various AIIMS and related papers**

**III. Reports and Accounts (2020-21) of various companies and institutes and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I lay on the Table:—

- I. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940:-

(1) G.S.R. 839 (E), dated the 29<sup>th</sup> November, 2021, publishing the Drugs (6<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2021.

(2) G.S.R. 848 (E), dated the 9<sup>th</sup> December, 2021, publishing the Drugs (7<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2021.

[Placed in Library. For (1) and (2) See No. LT-5990/17/21]

- (ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), Notification No. G.S.R. 345 (E), dated the 25<sup>th</sup> May, 2021, publishing the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2021, under Section 34 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, along with Delay Statement.

[Placed in Library. See No. LT-5991/17/21]

- (iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare, under sub-section (3) of Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947, along with Delay Statements:-

(1) No.1-5/SEL/2019-INC, dated the 6<sup>th</sup> January 2021, publishing the Indian Nursing Council {Guidelines/Norms for upgradation of the General Nursing and Midwifery (GNM) course to B.Sc. (Nursing) course on Voluntary basis } Regulations, 2020.

- (2) No. 11-1/2019-INC, dated the 22<sup>nd</sup> February 2021, publishing the Indian Nursing Council (Post Basic Diploma in Oncology Specialty Nursing – Residency Program), Regulations, 2020.
- (3) No. 11-1/2019-INC dated the 5<sup>th</sup> July 2021, publishing the Indian Nursing Council (Revised Regulations and Curriculum for B.Sc. (Nursing) Program) Regulations, 2020.
- (4) No. 11-1/2019-INC dated the 18<sup>th</sup> August, 2021, publishing the Indian Nursing Council (Orthopaedic and Rehabilitation Specialty Nursing Residency Program), Regulations 2020.

[Placed in Library. For (1) to (4) See No. LT-5992/17/21]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of the Section 18 and Section 19 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956:—

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Rishikesh, Uttarakhand, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. LT-5993/17/21]

- (ii) (a) Eighth Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar, Odisha, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. LT-5994/17/21]

- (iii) (a) Second Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Raebareli, Uttar Pradesh, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. LT-5995/17/21]

- (iv) (a) Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Jodhpur, Rajasthan, for the year 2019-20,

together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. LT-5996/17/21]

III. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

(i) (a) Fifty-fifth Annual Report and Accounts of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, Kerala, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. LT-5997/17/21]

(ii) (a) Seventh Annual Report and Accounts of the HLL Infra Tech Limited (HITES), Thiruvananthapuram, Kerala, a subsidiary of HLL Lifecare Limited, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. LT-5998/17/21]

(iii) (a) Fortieth Annual Report and Accounts of the Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL), Goa, a subsidiary of HLL Lifecare Limited, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. LT-5999/17/21]

(iv) (a) Fourth Annual Report and Accounts of the HLL Mother & Child Care Hospitals Limited (HMCCHL), Lucknow, a subsidiary of HLL Lifecare Limited, for the year 2020-21, together with the

Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Company.  
[Placed in Library. See No. LT-6000/17/21]

(2) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Biologicals (NIB), Noida, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.  
(b) Review by Government on the working of the above Institute.  
[Placed in Library. See No. LT-6001/17/21]
- (ii) (a) Thirty-first Annual Report and Accounts of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences (NEIGRIHMS) Shillong, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.  
(b) Review by Government on the working of the above Institute.  
[Placed in Library. See No. LT-6002/17/21]
- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the New Delhi Tuberculosis Centre (NDTBC), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.  
(b) Review by Government on the working of the above Centre.  
[Placed in Library. See No. LT-6003/17/21]
- (iv) (a) Annual Report of the National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi, for the year 2020-21.  
(b) Annual Accounts of the National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.  
(c) Review by Government on the working of the above Centre.  
[Placed in Library. See No. LT-6004/17/21]
- (v) (a) Annual Report and Accounts of the All India Institute of Speech and Hearing (AIISH), Mysuru, Karnataka, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. LT-6005/17/21]

- (vi) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases (NITRD), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. LT-6006/17/21]

### **I. Notifications of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways**

### **II. Reports and Accounts (2020-21) of various organizations and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I lay on the Table: -

- I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. G.S.R. 20, dated the 27<sup>th</sup> February, 2021 publishing the Recycling of Ships Rules, 2021, under Section 44 of the Recycling of Ships Act, 2019, along with Delay Statement.

[Placed in Library. See No. LT-6007/17/21]

- (ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. G.S.R. 441 (E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2021 publishing the Merchant Shipping (Maritime Labour) Amendment Rules, 2021, under sub-section (3) of Section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958, along with Delay Statement.

[Placed in Library. See No. LT-6008/17/21]

- (iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Notification No. IWAI-230184(14)/1/2021, dated the 10<sup>th</sup> June, 2021, publishing the Inland Waterways Authority of India (Levy and Collection of fees and charges) (Third Amendment) Regulations, 2021, under Section 36 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985, along with Delay Statement.

[Placed in Library. See No. LT-6009/17/21]



- II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—
- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Shipping Corporation of India Limited (SCI), Mumbai, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.  
[Placed in Library. See No. LT-6010/17/21]
- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Cochin Shipyard Limited (CSL), Kochi, Kerala, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of The Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.  
[Placed in Library. See No. LT-5703/17/21]
- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), Kolkata, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.  
[Placed in Library. See No. LT-5702/17/21]
- (iv) (a) Third Annual Report and Accounts of the TEMBA Shipyards Ltd. Kancheepuram, Tamil Nadu, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.  
[Placed in Library. See No. LT-5704/17/21]
- (v) (a) Twenty-first Annual Report and Accounts of the Kamarajar Port Limited (KPL), (*erstwhile* Ennore Port Limited), Chennai, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Port.  
[Placed in Library. See No. LT-5705/17/21]

- (vi) (a) Administrative Report of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, for the year 2020-21.  
(b) Annual Accounts of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.  
(c) Review by Government on the working of the above Port.  
(d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port.  
[Placed in Library. See No. LT-5700/17/21]

- (vii) (a) Administration Report of the Deendayal Port Trust (*formerly Kandla Port Trust*), Kutch, Gujarat, for the year 2020-21.  
(b) Annual Accounts of the Deendayal Port Trust (*formerly Kandla Port Trust*), Kutch, Gujarat, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.  
(c) Review by Government on the working of the above Port Trust.  
(d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.  
[Placed in Library. See No. LT-5698/17/21]

(2) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 5(E) of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948:—

- (a) Annual Administration Report and audited Accounts of the Calcutta Dock Labour Board (CDLB), Kolkata, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.  
(b) Review by Government on the working of the above Board.  
[Placed in Library. See No. LT-5708/17/21]

(3) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (2) of Section 103 and Section 106 of the Major Port Trusts Act, 1963:—

- (i) (a) Administration Report and Accounts of the Visakhapatnam Port Trust (VPT), Visakhapatnam, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.

- (b) Review by Government on the working of the above Port Trust.
- (c) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.

[Placed in Library. See No. LT-5701/17/21]

- (ii) (a) Administration Report and Accounts of the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), Navi Mumbai, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Port Trust.
- (c) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.

[Placed in Library. See No. LT-5699/17/21]

#### **I. Notification of the Ministry of AYUSH**

#### **II. Reports and Accounts (2020-21) of CCRUM, New Delhi and MDNIY, New Delhi and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. MUNJAPARA MAHENDRABHAI): Sir, I lay on the Table: -

- I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ayush Notification No. G.S.R. 716 (E), dated the 4<sup>th</sup> October, 2021, publishing the Drugs (4<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2021, under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

[Placed in Library. See No. LT-6011/17/21]

- II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Council.

[Placed in Library. See No. LT-6012/17/21]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Morarji Desai National Institute of Yoga (MDNIY), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. See No. LT-6013/17/21]

**I. Reports of CAG of India****II. Accounts (2020-21) of Union Government**

DR. BHAGWAT KISHANRAO KARAD: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports under clause (1) of article 151 of the Constitution:-

- I. (i) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2020 - Union Government - Department of Revenue - Direct Taxes - Report No. 8 of 2021;  
[Placed in Library. See No. LT-6014/17/21]
- (ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India on Ground Water Management and Regulation - Union Government - Ministry of Jal Shakti - Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Report No.9 of 2021 (Performance Audit);  
[Placed in Library. See No. LT-6015/17/21]
- (iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India - Performance Audit on Advance Authorisation Scheme - Union Government - (Department of Revenue – Indirect Taxes – Customs) - Report No. 10 of 2021;  
[Placed in Library. See No. LT-6016/17/21]
- (iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2020 - Union Government (Railways) - Railways Finances - Report No. 13 of 2021;  
[Placed in Library. See No. LT-6017/17/21]
- (v) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2019 - Union Government (Defence Services) – Defence Research and Development Organisation (DRDO) - Report No.15 of 2021;  
[Placed in Library. See No. LT-6018/17/21]
- (vi) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31 March, 2020 - Union Government (Economic & Service Ministries - Civil) - Report No.16 of 2021 (Compliance Audit Observations);  
[Placed in Library. See No. LT-6019/17/21]

- (vii) Report of the Comptroller and Auditor General of India on Administration of Nazul Lands by Land and Development Office - Union Government - Ministry of Housing and Urban Affairs - Report No.17 of 2021 (Compliance Audit);

[Placed in Library. See No. LT-6020/17/21]

- (viii) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March 2020 - Union Government (Department of Revenue - Customs) - (Compliance Audit) - Report No.18 of 2021;

[Placed in Library. See No. LT-6021/17/21]

- (ix) Report of the Comptroller and Auditor General of India on Performance Audit of Setting up of new Indian Institutes of Technology (IITs) for the year ended March 2019 - Union Government (Civil) - Ministry Education - Report No.20 of 2021 (Performance Audit); and

[Placed in Library. See No. LT-6022/17/21]

II. Union Government Appropriation Accounts (Civil) 2020-2021 and Finance Accounts 2020-2021.

[Placed in Library. See No. LT-6023/17/21]

### **Reports of CAG of India**

DR. BHAGWAT KISHANRAO KARAD: Sir, I lay on the Table, under clause (2) of section 19A of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports:-

- (i) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31 March, 2020 - Union Government (Commercial) - General Purpose Financial Reports of Central Public Sector Enterprises - Report No.12 of 2021 (Compliance Audit); and
- (ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31 March, 2020 - Union Government (Commercial) - Report No. 14 of 2021 (Compliance Audit Observations).

[Placed in Library. For (i) and (ii) See No. LT-5857/17/21]

---

**REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING  
COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD  
PROCESSING**

**श्री कैलाश सोनी** (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के 'नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020' के संबंध में विभाग संबंधित कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2021-22) के छत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

---

**STATEMENT BY MINISTER**

**Status of implementation of recommendations contained in the Two Hundred and Eighty-Third Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I lay a Statement regarding the Status of implementation of recommendations contained in the Two Hundred and Eighty-third Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

---

**MOTION FOR ELECTION TO THE TEA BOARD**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I move the following Motion:—

"That in pursuance of clause (f) of sub-section (3) of Section 4 of the Tea Act, 1953 (No. 29 of 1953) read with clause (b) of sub-rule (1) of Rule 4 and sub-rule (1) of Rule 5 of the Tea Rules, 1954, this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from amongst the Members of the House to be a member of the Tea Board."

*The question was put and the motion was adopted.*

---

**MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER  
BACKWARD CLASSES**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I move the following Motion:—

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one Member from Rajya Sabha *vice* Dr. Banda Prakash, resigned from the Rajya Sabha *w.e.f.* 4<sup>th</sup> December, 2021, to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs) for the remaining period of the term of the Committee and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from among the Members of this House to serve on the said Committee."

*The question was put and the motion was adopted.*

---

**RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, the Tamil Nadu fishermen...

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held on 20<sup>th</sup> of December has allotted time for Government legislative Business as follows: Consideration and passing of the Election Laws (Amendment) Bill, 2021. ..(*Interruptions*)..

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, we are not party to it. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Okay. ..(*Interruptions*)..

SHRI JAIRAM RAMESH: We are not party to it. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Yes, you are not party to it. ..(*Interruptions*).. Consideration and passing of the Election Laws (Amendment) Bill, as passed by Lok Sabha - 3 hours. ..(*Interruptions*)..

SHRI JAIRAM RAMESH: This is a unilateral decision. ..(*Interruptions*)..

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, this is a Government's decision. ..(*Interruptions*).. This was brought in the last minute. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: It is the Business Advisory Committee. Whoever attends it, attends it. ..(*Interruptions*)..

SHRI ANAND SHARMA: We have boycotted it. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Okay, you have boycotted. You have a right to boycott. ..(*Interruptions*)..

SHRI ANAND SHARMA: Till the last minute, this was not brought in. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: It was there. There was a discussion about the Election Commission. ..(*Interruptions*).. It was very much there. ..(*Interruptions*).. There are some Rule 267 notices, which I have not admitted. ..(*Interruptions*).. Let the House transact the Business so that we can take up all this. ..(*Interruptions*)..

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I have moved a motion. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: This is not the way to do it. Let the House be in order. ..(*Interruptions*)..

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have a point of order. ..(*Interruptions*)..

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): But, Sir, we are not party to that Business Advisory Committee meeting. Why should we accept it?

MR. CHAIRMAN: Don't accept it. ..(*Interruptions*).. The House accepts it.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Does that mean, you want to run the House without us? ..(*Interruptions*)..



MR. CHAIRMAN: You are not understanding. ..(*Interruptions*).. The Business Advisory Committee ..(*Interruptions*).. If the Members choose not to come, what can anybody do? ..(*Interruptions*)..

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I am asking you, do you want to run the House without us? ..(*Interruptions*)..

SHRI JAIRAM RAMESH: You rarely call the BAC half an hour before. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Sit down, please. ..(*Interruptions*).. The House is adjourned to meet at two o'clock.

*The House then adjourned at nine minutes past eleven of the clock.*

---

*The House reassembled at two of the clock,*

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

### REGARDING POINT OF ORDER ABOUT THE FUNCTIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

**श्री जयराम रमेश** (कर्नाटक): सर, BAC की मीटिंग ...(*ब्यवधान*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: You promised me...(*Interruptions*)...

**श्री उपसभापति** : देरेक जी, आपका point of order किस रूल के तहत है?

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am giving it to you. This is on the listing of this Bill today. सर, यह जो बिल है - मैं एक बार आपको Rule number बताता हूँ, इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है। मैं आपको point of order ...(*Interruptions*)...

**श्री उपसभापति** : नहीं, झगड़ा क्यों होगा?

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am just giving you the Rule number. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Let him give it.

SHRI DEREK O'BRIEN: First, I always like to give you the page number. ...(*Interruptions*)... Then it becomes easy for you and for me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am seeing the English copy. No problem.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, it is page number 26. This is Rule 69. I am on a point of order on the listing of the Election Laws (Amendment) Bill, 2021 which you want to take up for consideration. सर, यह देख लीजिए। Rule 69(iv). सर, यह point record में है। कल यह बिल लोक सभा में 3 बजे या 4 बजे या उसके बाद पास हुआ। इसमें यह लिखा हुआ है कि, "Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for two days before the day on which the motion is made, and such objection shall prevail, unless the Chairman allows the motion to be made." The residual power lies with the Chairman. I have no problem admitting that. But, Sir, listen to this. If a Bill is passed in the Lok Sabha yesterday at 3.00 p.m. -- our right as a Rajya Sabha Member of Parliament is to bring a Select Committee Resolution -- where is the time provided? During the Farm Bills, seven of us brought Resolutions, and none of them was allowed a vote. Sir, I am seeking your protection. This Bill cannot be listed today. Forget two days, not even one day has passed. It is very clear. But anything can be done. \* ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Derek ji, please listen to me. The Rule quoted is for Bills introduced in this House and not referred from the Lok Sabha for which Rule 123 is there.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, let us look at Rule 123. This will be at page 41. Where have I got time as a Member of this House to give you a Resolution to send this Bill to a Select Committee? How can you be doing this, Sir? There is nothing left. You

---

\* Expunged as ordered by the Chair.

want to bring a Bill. I am not getting into the merits and the demerits. We can talk for ten hours on the demerits. This is a hopeless Bill. But I am not getting into that. I am on the procedure. Where is the time for me to present a Resolution asking for a Select Committee?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: First let me reply to Derek *ji*. Under Rule 123, hon. Chairman has already given the permission to move the motion at shorter notice.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have not finished.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already had your two points...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: You may not agree. That is all fine. ...(*Interruptions*)... The final decision is the Chair's. Now, you come to one more rule regarding suspension of the 12 Members.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not the subject here. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: No, that can be discussed. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It cannot be discussed now. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*).. This is not on the Agenda. ...(*Interruptions*).. माननीय आनन्द शर्मा जी।

**श्री देरेक ओब्राईन :** सर, एक सेकेंड। आप खुद देख लीजिए।..(**व्यवधान**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not on the Agenda. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Let us agree on one thing. ...(*Interruptions*)... The residual power is with the Chair. ...(*Interruptions*)... Today, I am not wearing this. ...(*Interruptions*)... I am wearing a blue dress and coming to Parliament. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be specific. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the Chair is supreme. ...(*Interruptions*).. So, I am wearing a blue dress. ...(*Interruptions*)... What can I do? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not coming on to that. ...(*Interruptions*)... It is not on the Agenda. ...(*Interruptions*)... माननीय आनन्द शर्मा जी।

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, I am on Rule 33. My point of order is about the functions of the Business Advisory Committee. Rule 33(1) says that it shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated—(a) for the discussion of stage or stages of such Government Bills and other Business, as the Chairman, in consultation with the Leader of the Council, may direct for being referred to the Committee. Now, Sir, in the last BAC, for which proper notice was sent, as is required under the rules, and I can quote those rules also, this was never mentioned nor any time was allocated. We are Members of the Business Advisory Committee. There are LoP, Chief Whip and all the leaders. It is not only the Government which constitutes the BAC. It is the House; and the Opposition is very much a part of that. There was no proper notice. There was hardly any information. At least, I can say on record that I was never informed. Now, how can this be done? This is most undemocratic. You are depriving the Members of the Business Advisory Committee of their privilege and their right. You are allocating time; you are waiving rules; you are not giving us time to move the motions. And what is this Bill? It flies in the face of the Supreme Court judgment. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... माननीय भूपेन्द्र यादव जी। I have heard you, Anandji. ...(*Interruptions*).. Please take your seat. ...(*Interruptions*)...

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) :** सर, हम एक विषय देख रहे हैं। हम सब सदस्यों को Rule 258 में point of order raise करने का अधिकार है और हम लोग Rule 258 में point of order raise करते भी हैं, लेकिन जो Rule 258 है, उसके दो पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ के अनुसार कोई भी सदस्य point of order को raise करता है और दूसरे पैराग्राफ के अनुसार उस सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि यदि point of order को raise किया है, तो उसका पालन भी किया जाए। सर, श्री देरेक ओब्राईन साहब ने जो विषय कहा है, उस पर मुझे घोर आपत्ति है। मेरा यह कहना है कि अगर इस सदन की ruling के लिए कोई \* word का इस्तेमाल करेगा, तो वह unparliamentary है, derogative है और उसे रिकॉर्ड से निकाला जाए।..(**व्यवधान**)..

---

\* Expunged as ordered by the Chair.

**GOVERNMENT BILLS**

**The Election Laws (Amendment) Bill, 2021**

and

**Amendments for reference of the Election Laws (Amendment) Bill, 2021**

**Bill to a Select Committee**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I move to the Election Laws (Amendment) Bill, 2021. ...(*Interruptions*) ... Shri Kiren Rijju to move a motion for consideration of the Election Laws (Amendment) Bill, 2021. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJJU): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister, do you want to speak briefly on the Bill? ...(*Interruptions*)...

SHRI KIREN RIJJU: Yes, Sir. ...(*Interruptions*)... This is a very important Bill. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record except what the Minister speaks. ...(*Interruptions*)...(*Interruptions*)... I have clarified it. ...(*Interruptions*)...प्लीज़, Business Advisory Committee की meeting की सूचना पहले भेजी गई थी और पहले भी ऐसी मीटिंग्स होती रही हैं।..(**व्यवधान**)..

**श्री किरन रिज्जु** : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। हमारी डेमोक्रेसी, हमारे चुनाव की जो प्रक्रिया है, वह सब electoral process पर निर्भर करता है। ..(**व्यवधान**)..

**श्री उपसभापति** : प्लीज़, आप लोग placards न दिखायें और अपनी सीट्स पर जाएं। ..(**व्यवधान**)..

**श्री किरेन रिजिजु :** Electoral process को चुस्त-दुरुस्त करना और उसमें जो कमियां हैं, उनको दूर करना सरकार की भी जिम्मेदारी है और Election Commission की भी जिम्मेदारी है। Election Commission समय-समय पर सरकार को रिकमंडेशन भेजता है और इस बार चार प्वाइंट्स को लेकर हम यहां पर आये हैं। जब इन पर चर्चा होगी और उसके बाद जब मैं reply करूँगा, तब मैं इस सदन के माध्यम से इन चारों प्वाइंट्स के बारे में briefly देशवासियों को बताऊँगा।... (व्यवधान)... फिलहाल मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि चूँकि यह बहुत important Bill है, इसलिए सब इसका समर्थन करें और इसको सर्वसम्मति से पारित करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ... (Interruptions)... Motion moved. ... (Interruptions)... There are five Amendments by Shri John Brittas, Shri Tiruchi Siva, Shri Shaktisinh Gohil, Dr. V. Sivadasan and Shri Derek O' Brien for reference of the Election Laws (Amendment) Bill, 2021, as passed by Lok Sabha, to a select committee of the Rajya Sabha. ... (Interruptions)... Members may move their Amendments at this stage without any speech. ... (Interruptions)... Shri John Brittas, are you moving? ... (Interruptions)...

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I am moving. I am moving because this is going to tamper with the democratic process. I move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya
2. Shri John Brittas
3. Shri Jose K. Mani
4. Shri M. V. Shreyams Kumar
5. Shri Tiruchi Siva
6. Dr. V. Sivadasan
7. Shri K.C. Venugopal

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session (256<sup>th</sup>) of the Rajya Sabha.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment moved. Now, Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri John Brittas
2. Shri T. K. S. Elangovan
3. Prof. Manoj Kumar Jha
4. Shri Vishambhar Prasad Nishad
5. Shri Jairam Ramesh
6. Shri Sukhendu Sekhar Ray
7. Shri M. Shanmugam
8. Shri Tiruchi Siva
9. Shri Vaiko
10. Prof. Ram Gopal Yadav

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session (256<sup>th</sup>) of the Rajya Sabha.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment moved. Shri Shaktisinh Gohil.

SHRI SHAKTISINH GOHIL (Gujarat): Sir, I am moving my Amendment. This is very undemocratic way in which the Bill is introduced. I move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha with instructions to report by the last day of the first week of the next Session (256<sup>th</sup>) of the Rajya Sabha.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The names of the Members on the Select Committee are not provided by Shri Shaktisinh Gohil at this stage. The Amendment becomes infructuous and would be deemed as not moved. Dr. V. Sivadasan. Are you moving your Amendment?

DR. V. SIVADASAN (Kerala): This is undemocratic Bill. That is why I am moving, Sir. I move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, as passed by Lok Sabha, be referred to

a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shrimati Jharna Das Baidya
2. Shri John Brittas
3. Shri M. V. Shreyams Kumar
4. Shri Tiruchi Siva
5. Dr. V. Sivadasan
6. Shri K. Somaprasad

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session (256<sup>th</sup>) of the Rajya Sabha.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, SHRI DEREK O'BRIEN, are you moving your Amendment?

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, please hear me out. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. V. Sivadasan, Amendment moved?

DR. V. SIVADASAN: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... Derek O'Brienji. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please. ...(*Interruptions*)... You cannot take away my right. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: I have raised and two other Members have raised; we have raised point of orders. Please, ऐसी परंपरा है।...(*व्यवधान*)... What is your ruling? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have clarified it. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: What is your ruling? ...(*Interruptions*)...



MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have clarified it. ...(*Interruptions*)... I have clarified it already. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Where is that thing on the point of order? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The names of the Members on the Select Committee are not provided by Shri Derek O'Brien at this stage. ...(*Interruptions*)... The Amendment becomes infructuous and would be deemed as not moved. ...(*Interruptions*)...

*The questions were proposed.*

SHRI DEREK O'BRIEN: No, no, Sir. ...(*Interruptions*)... Don't do this. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The motion for consideration of the Bill and the Amendments moved thereto are now open for discussion. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, he is on a point of order. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): You have to dispose of my point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Dr. Ameer Yajnik. ...(*Interruptions*)... Dr. Ameer Yajnik, please go to your seat. ...(*Interruptions*)... आप बैल में हैं।...(**व्यवधान**)... Please go to your seat and speak. ...(*Interruptions*)... Please go back to your seat. ...(*Interruptions*)... Please, I request all of you, Members जो बैल में खड़े हैं, कृपया वे अपनी-अपनी सीट पर जाएँ।...(**व्यवधान**)... Shri Venkataramana Rao Mopidevi. ...(*Interruptions*)... केवल आपकी स्पीच ही रिकॉर्ड पर जाएगी। Please speak. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI (Andhra Pradesh): Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on such an important Bill. ...(*Interruptions*)... Elections are the cornerstone of any democratic society and hence, this endeavour of the Centre to introduce electoral reforms, especially in the run-up to assembly elections in 5 states, is a well-intentioned move. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let him speak. ...(*Interruptions*)... Do not obstruct. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: Many of the proposed reforms will smoothen the electoral process and streamline the voter enrolment procedure in the country. ...(*Interruptions*)... At the same time, some of the amendments under the Bill require further scrutiny and reassessment; otherwise, they may be counteractive to the established principles of free and fair elections. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Mr. Derek, you are a senior Member. ...(*Interruptions*)... Please go back to your seat. ...(*Interruptions*)... I am requesting. ...(*Interruptions*)... कृपया आप सब लोग अपनी-अपनी सीट पर जाएँ।...(*व्यवधान*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: Sir, now, the positives about this Bill. ...(*Interruptions*)... Multiple cut-off dates for entry of new names in electoral rolls. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please go back to your seats. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: The current cut-off date of 1<sup>st</sup> January has deprived many youngsters of the right to vote since they may turn 18 years old after the cut-off date in a particular year. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let the House run. ...(*Interruptions*)... जो वैल में हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे अपनी-अपनी सीट पर जाएँ और बिल पर डिस्कस करें।...(*व्यवधान*)... देरेक जी, सेलेक्ट कमेटी में भेजने का अधिकार आपको है और आपने इसके लिए मोशन मूव किया हुआ है।...(*व्यवधान*)... Please go back to your seats. ...(*Interruptions*)... I have clarified. ...(*Interruptions*)... Please do not disturb the Chair. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: With the introduction of three additional cut-off dates of 1<sup>st</sup> April, 1<sup>st</sup> July and 1<sup>st</sup> October, those turning 18 after 1<sup>st</sup> January will get an equal opportunity to get their names included in the electoral rolls and exercise their right to vote. ...(*Interruptions*)... Next is, gender neutrality in election laws. ...(*Interruptions*)... Currently, the election laws provide for the wife of a man

serving in the armed forces to register as a service voter but the husband of a woman serving in the armed forces does not have this right. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Nothing else is going on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: By replacing the word "wife" with "spouse", the Bill now allows the husband of a woman serving in the armed forces to register as a service voter as well. ...(*Interruptions*)... Coming to suggestions, first is, anomalies in Aadhaar would percolate into electoral data. ...(*Interruptions*)... Sir, the logic behind linking of *Aadhaar* database with the electoral database is to ensure error-free electoral rolls by preventing duplicate entries. ...(*Interruptions*)... But this is a flawed logic for two main reasons. ...(*Interruptions*)... First, *Aadhaar* is a proof of residence that can be obtained even for non-citizens also, whereas the right to vote is restricted only to citizens. ...(*Interruptions*)...

**श्री उपसभापति :** जो मेम्बर बोल रहे हैं, कृपया उन्हें obstruct न करें। ...(**व्यवधान**)... I will name ...(*Interruptions*)... Please go back to your seats. ...(*Interruptions*)... Let him speak. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: The linking of *Aadhaar* with electoral rolls will result in the inclusion of non-citizens in our electoral rolls. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... आप वैल में खड़े हैं। ...(**व्यवधान**)... Please go back to your seats. ...(*Interruptions*)... Please go back to your seats. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: Second, there have been numerous reports of fake/duplicate *Aadhaar* cards across the country. ...(*Interruptions*)...

**श्री उपसभापति :** वैल में खड़े होकर चेयर से बात करने की परंपरा नहीं है। ...(**व्यवधान**)... Please go back to your seats. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: The linking of *Aadhaar* to "clean up" electoral rolls is counterproductive if the *Aadhaar* database itself has fake/duplicate entries. ...(*Interruptions*)...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): I want to ask whether this is democracy \*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record except जो मेम्बर बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... Please. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: Second is, concerns regarding excessive delegated legislation. ...(*Interruptions*)... The Bill provides that a name cannot be excluded from electoral rolls due to the inability of a person to furnish *Aadhaar* details. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please go back to your seats. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: But this is subject to two conditions. First, the person must provide "sufficient cause" for not providing *Aadhaar* details; second, the person must furnish alternate documents instead of *Aadhaar*. ...(*Interruptions*)... But the Bill is silent as to what constitutes "sufficient cause" and "alternate documents". ...(*Interruptions*)...

**श्री उपसभापति** : यह आप सब कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... Please let it go on the record. ...(*Interruptions*)... आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाएं और बहस होने दें। ...(**व्यवधान**)... यह आपको अधिकार है। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: Instead, it gives the Centre power to prescribe these details by making rules. ...(*Interruptions*)... The power to prescribe these essential details regarding "sufficient cause" and "alternate documents" should not be delegated to the Centre but should vest with the Parliament so that they can be subject to 'parliamentary scrutiny and debate. ...(*Interruptions*)... Hence, these details must be included within the main text of the Bill. ...(*Interruptions*)... Third is, Prescribing strict COVID-19 protocols for upcoming elections. ...(*Interruptions*)... While we are on the subject of electoral issues, I would also like to broach the subject of the upcoming assembly elections. ...(*Interruptions*)...

---

\* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...(*Interruptions*)... Your time is over. ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: With the new Omicron variant of COVID-19 spreading rapidly across the country, strict COVID-19 protocols must be laid down by the Government to ensure that political rallies and poll campaigns do not turn into super-spreader events. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)... Shri Venkataramana Raoji, please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: All efforts must be made to ensure that the COVID-19 mismanagement that occurred during the 2021 assembly elections is not repeated in the upcoming elections. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)... Your time is over. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: Sir, one minute. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: The conclusion is while the Bill has many progressive aspects, it will prove to be beneficial only when its inconsistencies are addressed thoroughly. ...(*Interruptions*)... I urge the Government to take these suggestions into due consideration.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...(*Interruptions*)... Please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI: With these concerns, I support the Bill. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Sushil Kumar Modi.

**श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार):** उपसभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ... (व्यवधान)... महोदय, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जिन लोगों ने पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी में यह माँग की, समर्थन किया कि 'आधार' के साथ वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जाए, आज वही लोग वेल में आकर इसका विरोध कर रहे हैं। ... (व्यवधान)... उपसभापति महोदय, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, ये काँग्रेस के मेम्बर हैं, श्री विवेक के. तन्खा, ये काँग्रेस के मेम्बर हैं - ये लोग पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी में शामिल थे। ... (व्यवधान)... श्री सुखेन्दु शेखर राय, ये टीएमसी के मेम्बर हैं। ... (व्यवधान)... उपसभापति महोदय, ये उस कमिटी में शामिल थे। ... (व्यवधान)... एक बार नहीं, बल्कि तीन-तीन बार पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी, जिसके चेयरमैन श्री भूपेन्द्र यादव थे, उस कमिटी ने सर्वसम्मति से यह रिक्मंड किया और कहा कि 'आधार' के साथ वोटर आईडी को लिंक किया जाए। ... (व्यवधान)... उपसभापति महोदय, वर्ष 2020-21 की Demands for Grants की जो 101<sup>st</sup> Report है, जिसको सदन के फ्लोर पर lay किया गया, मैं उसकी recommendation को पढ़ना चाहूँगा। ... (व्यवधान)... It says, "The Committee understands that free and fair elections are the bedrock of democracy and the latter is a basic feature of the Constitution. An error-free electoral roll is *sine qua non* of a free and fair election. The Committee has been advocating linkage of unique Aadhaar ID Card number with voter I-card which would streamline alterations in EPIC during ordinary change of residence by the electors. The incidence of multiple entry could also be eliminated which is required in participative democracy. The Committee, therefore, recommends that the Government may undertake appropriate actions for the purpose of linking unique Aadhaar Card number with Voter ID Card to purify the electoral roll which is in larger interest of democratic polity." ... (Interruptions)... उपसभापति महोदय, इस सदन के अंदर जिस पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट lay की गई है, उसके अंदर कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, सीपीएम के लोग भी शामिल थे, तृणमूल कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। ... (व्यवधान)... उसकी रिपोर्ट की यह अनुशंसा है। ... (व्यवधान)...

उपसभापति महोदय, वर्ष 2021-22 की Demands for Grants की जो 107<sup>th</sup> Report है, जो इस सदन के पटल पर रखी गई, उसको भी मैं पढ़ना चाहूँगा। ... (व्यवधान)... It says, "The Committee reiterates its recommendation that the Government may undertake appropriate action for the purpose of linking unique Aadhaar Card number with Voter I-Card to purify the electoral roll." उपसभापति महोदय, पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी ने एक बार नहीं, बल्कि दो-दो बार इस बात की अनुशंसा की है कि वोटर आईडी कार्ड के साथ 'आधार' को जोड़ा जाए। ... (व्यवधान)... इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की 109<sup>th</sup> Action Taken Report में भी इसका जिक्र है। ... (व्यवधान)... उसमें सरकार कहती है, "The Election Commission of India has proposed to link the electoral roll with the Aadhaar ecosystem with a view to curbing the menace of multiple enrolment of the same person at different places. This would require amendments in the election laws. The matter is under consideration of the Government." ... (Interruptions)... महोदय, मैं

जानना चाहता हूँ कि जब पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी ने सर्वसम्मति से यह अनुशंसा की, तो कांग्रेस के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, टीएमसी के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? ...**(व्यवधान)**...वे आज वैल में आकर एक ऐसे कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसको लागू करने के लिए ये सारे लोग शामिल थे। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति महोदय, जो 109<sup>th</sup> Action Taken Report थी, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। ...**(व्यवधान)**... It says, "The Committee acknowledges the initiative of the Commission and is of the opinion that the linkage of Aadhaar number with Voter ID card will also bring about transparency in electoral process. The Committee further recommends the Election Commission and the Legislative Department to step up measures in this regard and apprise the Committee of the output before the consideration of the forthcoming Demands for Grants of the Ministry of Law and Justice." ...**(Interruptions)**... महोदय, यह ATR है, जो इस सदन के अंदर रखी गई और जिसमें कमिटी ने यह निर्देश दिया कि जब वर्ष 2022-23 की Demands for Grants की चर्चा होगी, तो उसमें सरकार बताए कि 'आधार' को जोड़ने के बारे में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? ...**(व्यवधान)**... जो बिल पेश किया गया है, इसमें कहा गया है कि यह mandatory नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है। ...**(व्यवधान)**... It says, "No application for inclusion of name in the electoral roll shall be denied and no entries in the electoral roll shall be deleted for inability of an individual to furnish or intimate Aadhaar number due to such sufficient cause as may be prescribed." यानी, अगर कोई व्यक्ति अपना 'आधार' नम्बर किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं करा सकता है, तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। ...**(व्यवधान)**... उसका नाम मतदाता सूची से विलोपित नहीं किया जाएगा। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, इस बिल में इस बात की स्पष्टता है कि यह बाध्यकारी नहीं है, यह mandatory नहीं है, बल्कि यह optional है। ...**(व्यवधान)**... जो लोग चाहें, अपना आधार नंबर देंगे, ...**(व्यवधान)**... जो लोग अपना आधार नंबर उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, इस बिल के विरोध करने का कारण यह है कि\* मतदाता सूची में लाखों बोगस नाम जुड़वा रखे हैं।...**(व्यवधान)**... इनके वोट बैंक में एक आदमी का नाम चार-चार बार है। ...**(व्यवधान)**... बंगाल के अंदर\* जो सफलता मिली है, वह इस बोगस वोटर लिस्ट के कारण मिली है।...**(व्यवधान)**... अगर 'आधार' के साथ लिंक कर दिया गया, तो जो लाखों बोगस नाम, फेक नाम हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से अपने नाम को दर्ज करा लिया था, वे सारे नाम विलोपित कर दिए जाएंगे। ...**(व्यवधान)**... उन्हें इस बात का डर है और अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY(West Bengal): Sir, I have a point of order.

---

\* Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sukhendu Sekhar Rayji has raised a point of order. ...(*Interruptions*)... माननीय सुखेन्दु शेखर राय जी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाहते हैं।...(**व्यवधान**)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, my point of order is under Rule 241. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sukhendu Sekhar Rayji, yes; the mike is on. प्लीज़, आप लोग उन्हें डिस्टर्ब न करें।...(**व्यवधान**)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, under Rule 241, 'A member or a Minister may, with the permission of the Chairman, make a personal explanation although there is no question before the Council, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise'. Now, the hon. Member who was speaking on the Bill, he mentioned my name and the names of other Members of Congress Party and CPI(M), that we were in the Standing Committee, we did not oppose. But, here we are opposing. ...(*Interruptions*)... The fact remains, because he was not in the Committee at that point of time, this is his no direct knowledge; maybe, indirect knowledge. Somebody has asked him to do so. ...(*Interruptions*)... I asked, I am to give my note of dissent which was not allowed. That is why I could not submit my note of dissent. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Secondly, just now, the hon. Member said that यह बेबुनियाद है।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be examined. ...(*Interruptions*)... It will be examined. ...(*Interruptions*)... Please, ...(*Interruptions*)...

**श्री सुशील कुमार मोदी** : उपसभापति महोदय, उस समय भूपेन्द्र यादव जी चेयरमैन थे। ...(**व्यवधान**)... मैंने पूरी verbatim report देखी है। ...(**व्यवधान**)... There is no note of dissent from Sukhendu Sekhar Rayji. Nobody has raised any note of dissent.

---

\* Expunged as ordered by the Chair.



MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill. माननीय मोदी जी, आपके पास केवल एक मिनट और बचा है।

**श्री सुशील कुमार मोदी :** उपसभापति महोदय, केवल बंगाल में ही नहीं, केरल के अंदर भी\* वोटर लिस्ट के अंदर बड़े पैमाने पर अपनी मतदाता सूची में बोगस नाम दर्ज करवा रखे हैं।...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, जब यह अनिवार्य नहीं है, mandatory नहीं है, तो फिर ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...ये लोग यह कहते हैं कि Puttaswamy के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है कि, I would like to quote from the Committee's report regarding Supreme Court's direction. "Hon. Supreme Court has since passed its final judgment in the matters relating to the Aadhaar issue. The Commission has considered the matter further in view of the direction, the judgment. The Commission is keen to make use of the Unique I.D. numbers provided by Aadhaar Scheme for cleaning the electoral rolls and error-free electoral rolls form the basis for credible elections.

**श्री उपसभापति :** माननीय मोदी जी, आपका समय खत्म हो रहा है। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, अब आप कन्क्लूड कीजिए।...**(व्यवधान)**...

SHRI SUSHIL KUMAR MODI: Therefore, it would be in national interest to use Aadhaar numbers for verification purpose to ensure the identity of applicant and to prevent multiple enrolment of same person in the electoral roll.

**श्री उपसभापति :** प्लीज़, आप कन्क्लूड कीजिए।...**(व्यवधान)**... आपका समय खत्म हो रहा है।...**(व्यवधान)**... प्लीज़, अब कन्क्लूड कीजिए।...**(व्यवधान)**... आपका समय खत्म हो गया है।...**(व्यवधान)**...

**श्री सुशील कुमार मोदी :** उपसभापति महोदय, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट...**(व्यवधान)**... मुझे एक मिनट की अनुमति दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति:** आपका समय खत्म हो चुका है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SUSHIL KUMAR MODI: In view of the above quoted observation made by the hon. Supreme Court, उपसभापति महोदय, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट को भी कोई आपत्ति नहीं है। ...**(व्यवधान)**... सुप्रीम कोर्ट के

---

\* Expunged as ordered by the Chair.

निर्देश के आलोक में यह संशोधन लाया जा रहा है।...**(व्यवधान)**... अपने वोट बैंक को बचाने के लिए यह समाजवादी पार्टी या सीपीएम ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति :** माननीय ए. नवनीतकृष्णन जी।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I rise to support this Bill. ...*(Interruptions)*... This Bill is rightly moved by the hon. Minister. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let them go back to their seats and let the House be in order, then, I will allow the point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: To uphold the rule of law, I request my brethren Members, ...*(Interruptions)*... please wait for one minute, when you people speak, we do not make noise, so, you must wait for one minute. ...*(Interruptions)*... It is undemocratic, ...*(Interruptions)*... it is unfair. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not discuss among yourselves. ...*(Interruptions)*... Mr. Navaneethakrishnan, please address the Chair. Please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, there must be a valid voter list to conduct free and fair elections. ...*(Interruptions)*... To have a valid voter list, this amendment is required. So, the Aadhaar is not made mandatory. ...*(Interruptions)*... It is only one of the documents required. ...*(Interruptions)*... If Aadhaar is not able to be produced there, other documents can be produced. ...*(Interruptions)*... So, to include or exclude the name of the individual in the voter list, to conduct free and fair elections there must be a valid voter list. ...*(Interruptions)*... It prevents bogus voting. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: It prevents impersonation; it prevents double entry of individual as voters. So, to bring purification in the election process, the Central Government, headed by Shri Narendra Modi, has rightly brought this

amendment. ...(*Interruptions*)... I welcome this Bill. I welcome this Bill; it is in the right direction. Thank you, Sir. ...(*Interruptions*)...

**प्रो. राम गोपाल यादव** (उत्तर प्रदेश): श्रीमान्, यह एक ऐसा draconian कानून बन रहा है, जिससे पूरे देश के गरीब लोग, जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, वे वोट नहीं डाल सकेंगे। इनकी मंशा सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मैं इसका विरोध करता हूँ। इसके अलावा ये इसे ऐसे सदन में पास कर रहे हैं, जो अव्यवस्थित है। हमारे बहुत सारे लोग ...(**व्यवधान**)... अब आखिरी दिन ही उनको बुला लेते, तो कम से कम वे अपना मत तो व्यक्त कर देते। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : प्रोफेसर साहब, प्लीज़ आप इस बिल पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

**प्रो. राम गोपाल यादव** : मैं पूरे तरीके से इस बिल को oppose करता हूँ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

**श्री राम नाथ ठाकुर** (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 18 साल के होने वाले नागरिकों के लिए calendar year में एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर चार क्वालिफाइंग तिथियां तय कर दी गई हैं। ...(**व्यवधान**)... यानी अब 18 साल के होने से पहले तय निश्चित तिथि के आधार पर वोट करने का अधिकार, यह विधेयक, कानून बनने के बाद आने वाले चुनावों में नागरिकों को देगा। ...(**व्यवधान**)... इस बिल में आधार कार्ड को लिंक करने का प्रावधान डाला गया है। इन सब कदमों से फर्जी मतदाता सूची को काफी हद तक रोका जा सकता है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : कृपया मेम्बर्स पास जाकर इस तरह से obstruct न करें। ...(**व्यवधान**)... यह रूल्स के अनुसार नहीं है। ...(**व्यवधान**)... Please go back to your seats. ...(*Interruptions*)...

**श्री राम नाथ ठाकुर** : सेक्शन 20 के सब-सेक्शन 6 में ...(**व्यवधान**)... सैन्य कर्मियों के परिवार हेतु ...(**व्यवधान**)... लैंगिक निरपेक्ष बनाने हेतु, जहां वाइफ, पत्नी लिखा हुआ है, उसकी जगह spouse का प्रावधान डाला गया है। इस विधेयक के प्रावधानों को चुनाव सुधार की दृष्टि से ...(**व्यवधान**)... वोटर्स को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आधार कार्ड से लिंक होने के कारण गरीबों को जो आधार कार्ड दिया गया है ...(**व्यवधान**)... फर्जी मतदाताओं को बंद करने के लिए इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। ...(**व्यवधान**)... इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं सरकार के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इस बिल को पास किया जाए।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity to participate in the important discussion pertaining to the Election Laws (Amendment) Bill, 2021.

Earlier were the days when the people cast their vote by putting a seal in the printed list containing symbols of the political parties. Now, one goes to the booth, choose the political party of his or her choice by pressing a button in the electronic machine. The instant Bill proposes changes in two Acts pertaining to elections and related matters in the country. The Representation of People Act, 1950 and the Representation of People Act, 1951; as per the Representation of People Act, 1950, the current practice being followed for enrolling as a voter in a constituency is that whoever completes the age of 18 as on January 1<sup>st</sup> of that particular year can register himself or herself as voter. If one completes the age of 18 years after 1<sup>st</sup> January in particular, one has to wait till the next year's 1<sup>st</sup> January. This Amendment Bill does away with these criteria and proposes four cut-off dates. I support this Bill as far as this point is concerned. The other amendment proposed by this Bill is linking of electoral data with Aadhaar ecosystem. This Bill states that every electoral officer can request the person to prove his identity may ask for Aadhaar identification number. It also states if any person is unable to provide Aadhaar, his enrollment in voters' list cannot be denied. I don't know why the Government is taking such a double stand. When an adequate provision has been made to register and enroll as voters on multiple cut-off dates, the Government should only take decision to either make it mandatory or otherwise. I request the hon. Minister to look into this aspect. Regarding amendments in other provisions in the Representation of People Act, 1950 it makes the Act gender neutral. This Bill also proposes changes in Sections 60(b)(ii) and 160(i) of the Representation of People Act, 1951, which I support. Sir, it is hailed by Treasury Benches that the instant Bill is another step towards electoral reforms. If the Government intends to issue electoral reforms, then why is the Government hesitant to bring the political parties into the ambit of RTI? If Government brings in reforms in the above issues, then only it can be hailed as real reforms. Sir, as per Article 21 of the Constitution of India that no person shall be deprived of his or life and personal liberty, except in accordance with the procedure established by law. Therefore, the hon. Minister has to address this issue. Unless this issue is addressed with regard to the violation of Article 21 of the Constitution of India, it is impossible to implement it. Therefore, we have to see that the proposed amendment does not affect Article 21. Thank you, Sir.

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, we all understand that the electoral reforms are an ongoing and continuous process. ...(*Interruptions*).. The Central Government has been receiving proposals for electoral reforms from various quarters from time to time, including the Election Commission of India. ...(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen. ...(*Interruptions*)..

SHRI G.K. VASAN: Sir, I would like to say that there is a welcome proposal in the Bill for enrollment of first time voters in four quarters of the year on completion of 18 years qualifying age. I would like to underline and say that our children when they complete 18 years of age, they can get enrolled as voters on the 1<sup>st</sup> of January, April, July and October, giving them a chance to vote at the earliest opportunity. Sir, the Bill has a salutary provision for requisition of premises. In the past, we have seen that there have been some malpractices at premises hired for storage of ballot boxes and other materials. If the authorities conducting the elections are empowered to acquire premises for such purposes, I am sure it will certainly lead to greater fairness in the election process. Sir, the last point is that I would like the hon. Minister to give clarity on one aspect. The Bill seeks to link the electors' photo identity cards with the Aadhaar Cards or Aadhaar number of the voters. While the voter's card is a document, which confers the right on the citizens, that is, the right to vote, the Aadhaar Card is a document issued to the residents of the country who may or may not be citizens. I would like to know from the hon. Minister whether this difference in character among these two documents will not lead to genuine voters losing their rights to exercise their franchise in case they do not possess an Aadhaar card. In the overall analysis, the Bill is a product of consultation between Election Commission and the Union Government and also of discussions in the Department-related Standing Committee. I, therefore, extend my support to the Election Law (Amendment) Bill. Thank you, Sir.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I stand here to oppose the Bill. It is a violation of the rights...  
...(*Interruptions*)...

**श्री उपसभापति :** आप वेल में खड़े हैं।..(*व्यवधान*).. मैडम, आप बोलिए। ..(*व्यवधान*).. प्लीज़, आप अपनी सीट पर जाइए। ..(*व्यवधान*)..

DR. AMEE YAJNIK: Sir, it is the violation of the right of privacy granted by the Constitution of India to our citizens. It will cause enfranchisement of a large number of voters. It will exploit the voters. It will exploit the disadvantaged class of our society.

It will affect the vulnerable class of our society. It will be disadvantageous and this Bill has been brought without giving a right of hearing, just as \*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; this will not go on record. You know you have to speak on the subject only, तभी वह रिकॉर्ड पर जाएगा। You speak on the subject. Then only it will go on record.

DR. AMEE YAJNIK: \*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing. This is not a subject to be discussed. Please sit down. ...(*Interruptions*)....I will not allow this. This is not a part of this Bill.

DR. AMEE YAJNIK: \*

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, thank you for giving me this opportunity. I strongly oppose this Bill. Before they bring the reforms to law, I would kindly request them to bring democracy in this House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak on the subject.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir, our colleagues are sitting outside.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak on the subject and that will only go on record. I request you to speak on the subject.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Okay, Sir. This is the subject.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The subject is Election Law (Amendment) Bill, 2021.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: I am asking through you, Sir, for a reform in democracy in this House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: For that, you bring notice and give it to the Chairman. Thank you. माननीय सुजीत कुमार जी, आप बोलिए। ..(*व्यवधान*)..

---

\* Not Recorded.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I, on behalf of my party, Biju Janata Dal, support the Bill, but we have a few concerns and a few suggestions. We urge and request the Government to consider these suggestions and address the concerns. Amendment to Section 20 and Section 60 of the Representation of Peoples Act will help substitute the word 'wife' for 'spouse' and make the statute gender neutral. It is very welcome. Amendment to Section 14 will have four qualifying dates for first time voters to be registered. As of now, anyone who is born after January 1<sup>st</sup>, let's say on January 2<sup>nd</sup> or January 3<sup>rd</sup>, is not eligible to be registered and has to wait for one year. So this is also a welcome amendment. Another amendment relates to the requisitioning of premises for election-related work, including voting, counting and the storage of voting machines and election-related devices. It is a welcome move. All these are welcome moves, but our concern is related to the amendment of Section 23. Sir, Section 23 of the Bill will allow linking of electoral roll with the Aadhar database. This will allow any electoral registration officer to ask the Aadhar number of applicants wanting to register as a voter or to establish the authentication of entries already in the electoral roll. This is done to establish the identity of the applicant or of the electoral roll. Sir, it has a great intent. Who would dispute these intentions! But the concern of my party is that there is a likelihood of abuse of this intent. We wholeheartedly compliment and support the intent of the Government to weed out bogus, duplicate and fake voter IDs and also to mitigate electoral malpractices. We do support that intention. But, Sir, please hear out my concern. If the purpose is to establish identity of the voter or a potential voter or to authenticate entry into the electoral roll, the same can be done just by linking Voter ID with the Aadhaar Number. ...(*Interruptions*)... This would suffice, because Aadhaar Number is a unique identifier. ...(*Interruptions*)... Why do we have to link Voter ID with the entire Aadhaar database? ...(*Interruptions*)... Does it not open up Aadhaar ecosystem? ...(*Interruptions*)... Does it not leave the possibility of biometric data being misused? ...(*Interruptions*)... Sir, linking Aadhaar for doling out welfare benefits and DBT has weeded out corruption to a large extent and also significantly improved the last-mile delivery to the intended beneficiaries. ...(*Interruptions*)... So, Sir, use of Aadhaar, to that extent, has been hugely helpful. ...(*Interruptions*)... But, Sir, we also know and also see that use of Aadhaar for PDS, NREGA payments led to a large number of exclusions. ...(*Interruptions*)... Why should we not be concerned that this will also happen in this case as well? ...(*Interruptions*)... Sir, linking of Voter ID with Aadhaar ecosystem might lead to profiling and disenfranchisement of voters. ...(*Interruptions*)... As you know, voting is a

constitutional right. ...(*Interruptions*)...Articles 325 and 326 of our Constitution allow every eligible citizen to be able to vote. ...(*Interruptions*)...But, Sir, the possibility of disenfranchisement might be legally impermissible and, particularly, detrimental to those who belong to the marginalized segments of society, like migrant workers or those who belonging to the minority communities. ...(*Interruptions*)...

Sir, electoral data, at present, is held by the ECI in its own database, has its own verification process and is also separate from all other Government database. ...(*Interruptions*)...Sir, the proposed linkage will make data available to the ECI and, if it is misused, the information may result in targeted political advertisement. ...(*Interruptions*)...Sir, I am using the word ‘may.’ I am not saying it will happen. I am not saying that it is the intent of the Government. But, there is a possibility that it might lead to targeted political advertisement. ...(*Interruptions*)...Sir, there is also a possibility of compromising with privacy of individuals and breach of the Supreme Court ruling in Puttaswamy’s Case which other hon. Members have also pointed out. ...(*Interruptions*)...Sir, there is no clarity whether this Bill will pass the benchmark test — three tests — articulated and laid down by the Supreme Court in Puttaswamy’s case. ...(*Interruptions*)...The other details should be utilized for other benefits as well. ...(*Interruptions*)...

Sir, the Bill also creates a concern if one looks at it from a privacy point of view, given that India still does not have a functional data protection law. ...(*Interruptions*)... Now, in the absence of data protection law, if data is made available to any particular political party, it should also be made available to other political party, so that there will be a level-playing field. ...(*Interruptions*)... So, my party, Biju Janata Dal, demands, in the absence of data protection law, if data is made available to one political party, it should also be made available to every other political party or entity. ...(*Interruptions*)...

Finally, Sub-Section (6) proposed to be added to Section 23 which says, ‘No application for inclusion of names in the electoral roll shall be denied and no entries in the electoral roll shall be deleted for inability of an individual to furnish or intimate Aadhaar Number due to such sufficient cause as may be prescribed.’ ...(*Interruptions*)...Sir, why was it not prescribed in the Act itself? ...(*Interruptions*)...I do understand that the Government may prescribe it under the rules. ...(*Interruptions*)...But, it leaves a lot of ambiguity and a lot of discretion with the Government. ...(*Interruptions*)...

So, Sir, in principle, we support the Bill. ...(*Interruptions*)...But, we want our concerns and submissions to be taken note of. ...(*Interruptions*)...Thank you.



MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ramdas Athawale. He is absent. Now, Dr. V. Sivadasan.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I am telling the truth. ...(*Interruptions*)... Why has the Government brought the Election Laws (Amendment) Bill? ...(*Interruptions*)... Sir, protection of democracy is very important. ...(*Interruptions*)... What is the Government going to do through the proposed Amendment? It is trying to kill the democracy. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak on the electoral laws. ...(*Interruptions*)... Only submissions on the electoral laws will go on record. ...(*Interruptions*)... You speak on the Electoral Laws (Amendment) Bill, 2021.

DR. V. SIVADASAN: Sir, please listen to me. ...(*Interruptions*)... This is a very valid point. ...(*Interruptions*)... Twelve Members have voting right too. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. ...(*Interruptions*)...

DR. V. SIVADASAN: They are trying to delete the names of the voters from the voters' list. ...(*Interruptions*)... This is their aim. ...(*Interruptions*)... Here, also we are seeing the same thing. ...(*Interruptions*)... So, my humble request is that the...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. ...(*Interruptions*)...

DR. V. SIVADASAN: It is their right in a democracy. ...(*Interruptions*)... That is why you should give the voting rights to everybody. ...(*Interruptions*)... That is why I am flagging this issue here that twelve Members are outside the House. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. ...(*Interruptions*)... Only that will go on the record. ...(*Interruptions*)... You can speak only on the Bill. ...(*Interruptions*)... Nothing else will go on record. ...(*Interruptions*)... Dr. Sivadasan, please speak only on the Bill. ...(*Interruptions*)...

DR. V. SIVADASAN: The issue of democratic rights is very important. ...(*Interruptions*)... That is why...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill. ...(*Interruptions*)... You are supposed to speak only on the Bill. ...(*Interruptions*)...

DR. V. SIVADASAN: Sir, clause-by-clause, you are trying to protect the interests of the Treasury Benches and you are not allowing us to speak...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry; I may tell you that जब speech शुरू हो गई है, तब last में आपने अपना नाम भेजा है। As per rules, speech शुरू होने के आधे घंटे पहले नाम भेजना चाहिए, still I have given you an opportunity. ...(*Interruptions*)... Please speak on the subject only. ...(*Interruptions*)... Otherwise, as per rules, I have no other option, but to call the next speaker. ...(*Interruptions*)...

DR. V. SIVADASAN: I am speaking on the subject only. ...(*Interruptions*)... That is why I am telling twelve Members...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You do not seem to be interested in speaking on the subject. ...(*Interruptions*)... I am moving to the next speaker. ...(*Interruptions*)... Shri Sushil Kumar Gupta -- hon. Member not present. ...(*Interruptions*)... Next, Ramdas Athawale -- not present. ...(*Interruptions*)... माननीय मंत्री जी, अब आप अपना जवाब दीजिए।

**विधि और न्याय मंत्री (श्री किरेन रिजिजु) :** आदरणीय उपसभापति जी, जितने भी माननीय सदस्यगण ने इस बिल को समर्थन दिया है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ...(*व्यवधान*)...

**श्री उपसभापति :** माननीय आनन्द जी, प्लीज़, मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ...(*व्यवधान*)...

**श्री किरेन रिजिजु :** मैं बहुत ही संक्षेप में, कम समय में इस बिल का महत्व क्या है और यह इस वक्त क्यों जरूरी है, इसको सदन के सामने रखना चाहता हूँ। ...(*व्यवधान*)... सर, संविधान के तहत हम सब लोग काम करते हैं। ...(*व्यवधान*)... संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधान के मुताबिक जो भी भारतीय 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, उनको Voters' List में अपना नाम दर्ज करने का अधिकार मिल जाता है। ...(*व्यवधान*)... 61<sup>st</sup> Constitutional Amendment के बाद 18 साल की उम्र की permission देने के बाद भी हमारे देश में यह बड़ा lacunae था कि अगर आपने इसमें एक जनवरी तक अपना नाम दर्ज नहीं कराया, तो आपको पूरे एक साल इंतजार करना पड़ता था। ...(*व्यवधान*)... डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा संख्या के युवाओं के qualify होने के बावजूद Voters' List में नाम डलवाने का मौका देने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इस

Amendment Bill के साथ, ...(व्यवधान)... आज के इस Election Reforms Bill लाने के साथ जितने भी युवा 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उनको इसका मौका मिल जाएगा। ...(व्यवधान)... उनको साल में चार बार Electoral Roll में अपना नाम दर्ज करने के लिए मौका दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

दूसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, वह यह है कि आज तक जो Service Voters हैं, उनके लिए हमने यह describe किया था कि the Representation of the People Act में हमने सिर्फ 'wife' लिखा था। ...(व्यवधान)... यानी जो लोग सर्विस करते हैं, अगर उनमें कोई महिला है, तो उसके पति को Service Voters में नहीं गिना जाता था और उसको voting right नहीं था। इसको gender neutral करने के बाद पुरुष और महिला के दर्जे को बराबर किया गया है। इसका सर्वसम्मति से स्वागत करना चाहिए। ...(व्यवधान)...

सर, जो तीसरा point है, वह यह है कि election के समय में Election Commission के ऑर्डर के मुताबिक जगह की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें सीमित अधिकार दिया गया था। ...(व्यवधान)... Polling stations के लिए जो जगह ली जाती थी और ballot box को रखने के लिए जो दायरा है, उसको बढ़ाया गया है। ...(व्यवधान)... Election Commission जब notify करेगा, ...(व्यवधान)... जब वह किसी स्टेट या General Election की date notify करेगा, ...(व्यवधान)... उसके साथ-साथ election officer को यह permission दी गई है कि ...(व्यवधान)... election purpose के लिए election officers, polling officers, security और बाकी चीजों के लिए premises को requisition करने का अधिकार इस प्रावधान में रखा गया है। ...(व्यवधान)... सर, मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार के बीच में काफी बार मीटिंग्स हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन का यह सबसे बड़ा कंसर्न है कि इलेक्टोरल रोल में जिस आदमी का नाम है, सेम उसी आदमी ने किसी और जगह इलेक्टोरल रोल में भी अपना नाम दर्ज किया हुआ है। इसे चैक करने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। आज तक का जो हमारा सिस्टम है या कानून है, उसमें हम ऐसा कोई सिस्टम establish नहीं कर पाये, जिससे कि मल्टिपल इलेक्टोरल रोल में जो नाम है, उसे हम डिलीट कर सकें। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहां चुनाव प्रक्रिया बहुत ही साफ होनी चाहिए, यह हम सबका मानना है। चुनाव प्रक्रिया साफ तभी होगी, जब जो इलेक्शन की सूची है, वह साफ हो। अगर इलेक्शन की सूची साफ नहीं होगी, तो सारे इलेक्शन को उससे नुकसान होता है। अगर हम genuine वोटर्स हैं, तो हम इस बिल का विरोध क्यों करेंगे? इस बिल का विरोध वही करेंगे, जो फेक वोटर्स का इस्तेमाल करते हैं या जो नकली वोटर्स के माध्यम से चुनाव में भाग लेते हैं - वही इस बिल को अपोज करेंगे, वरना इस बिल को अपोज करने का कोई कारण नहीं है। सरकार ने इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर यह तय किया है कि नकली वोटर्स को हटाना है, फर्जी वोटर्स को हटाना है, मल्टिपल इलेक्टोरल नेम्स को हटाना है। मैं ऐसा समझता हूँ कि पूरा देश इसका स्वागत करेगा और जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें नये युवा वोटर्स और जेनुइन वोटर्स कभी माफ नहीं करेंगे।

सर, यहां उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस रेज़ किये हैं, मैं दो मिनट में उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने पुत्तुस्वामी केस का बार-बार जिक्र किया है। पुत्तुस्वामी के केस के बारे में यदि वे शांति से सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट है कि प्राइव्सी पर अगर कोई सरकार

दखलंदाजी करती है तो उसके लिए कानून लाना पड़ेगा और यह परमिसिबल लिमिट है। ऐसा नहीं है कि सरकार जब चाहे किसी के आधार कार्ड को लेकर अपने पास रखेगी, इस पर जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो तीन टैस्ट्स दिये हैं, उन तीन टैस्ट्स को क्वालिफाई करना जरूरी है। Number one, there should be an existence of law. इसके लिए हम आज यह कानून लेकर आए हैं। Number two, there must be legitimate State interest. Legitimate interest क्यों है? Section 17 of the Representation of the Peoples' Act says that no person shall be entitled to be registered in an electoral roll for more than one constituency. तीसरा test of proportionality है। Test of proportionality में justification इसलिए है कि 'आधार' कार्ड को जो इलेक्शन का Electoral Returning Officer होता है, वह उसके द्वारा सिर्फ identity के लिए यूज किया जाएगा। जो 'आधार' का डेटा है, उसको सिर्फ उसकी identity के लिए, उसकी उम्र के लिए यूज किया जाएगा और वह electoral data base Election Commission के पास रखेंगे, उसे पब्लिक डोमेन में नहीं दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई आधार नहीं है, जिसके लिए वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Parliamentary Standing Committee की रिपोर्ट के बारे में श्री सुशील कुमार मोदी जी ने डिटेल में कहा है। Parliamentary Standing Committee में सब political parties के MPs रहते हैं और वहां से जो recommendation आई है, वह बहुत strong recommendation आई है कि 'आधार' को इलेक्टोरल रोल्स को साफ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब सर्वसम्मति से Parliamentary Standing Committee की रिपोर्ट आई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज हमारे कुछ साथी यहां इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? महोदय, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, इतने अच्छे प्वाइंट्स हैं, लेकिन ये लोग नारेबाजी करके मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, किन्तु देश समझ गया है कि यह Electoral Reforms Bill कितना जरूरी है, इस Electoral Reforms Bill की आज के समय में बहुत आवश्यकता है। सब लोग माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि Election Commission की रिपोर्ट को लागू करने के लिए हम बिना समय गंवाए यह Amendment Bill लाये हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इतने अच्छे और क्रांतिकारी बिल का सब समर्थन करें और सर्वसम्मति से इसे इस सदन से पास किया जाए, धन्यवाद।

### 3.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the amendment moved by Shri John Brittas for reference of the Election Laws Amendment (Bill), 2021 as passed by Lok Sabha to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya
2. Shri John Brittas
3. Shri Jose K. Mani
4. Shri M. V. Shreyams Kumar
5. Shri Tiruchi Siva
6. Dr. V. Sivadasan
7. Shri K.C. Venugopal

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session (256<sup>th</sup>) of the Rajya Sabha.

*The motion was negatived.*

...(Interruptions)...

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I want division. ...(Interruptions)...

**श्री उपसभापति :** प्लीज़। ...(व्यवधान)... आप सब लोग अपनी सीट्स पर जाएँ, मैं division के लिए तैयार हूँ। ...(व्यवधान)...

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I want you to ensure that the House is in order. I want division. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Members should return to their seats. ...(Interruptions)... Those Members who are standing in the Well should go back to their seats. ...(Interruptions)... I am ready for division. ...(Interruptions)...

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, it is the job of the Chair. ...(Interruptions)... I am requesting the Chair to make sure that the House is in order. ...(Interruptions)... I am asking for division. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am ready for division. ...(Interruptions)... This must go on record. ...(Interruptions)... You people are standing in the Well and not wanting division. ...(Interruptions)... Please go back to your seats. Please go back to your seats. ...(Interruptions)... I am ready for division. ...(Interruptions)...

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I am in my seat. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please go back to your seats. ...(*Interruptions*)... Please go back to your seats. ...(*Interruptions*)... I am ready for division. ...(*Interruptions*)...

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, it is not my task. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, first you have to move. ...(*Interruptions*)... Since you are not interested in... ...(*Interruptions*)... You are not interested. ...(*Interruptions*)... No, let other Members go, then I will go for division. ...(*Interruptions*)... I am ready for division. ...(*Interruptions*)... I am ready for division. ...(*Interruptions*)... You please go back to your seats. ...(*Interruptions*)... I am waiting. ...(*Interruptions*)... If you go back to your seats, I am ready to go for division. ...(*Interruptions*)... हाउस में यह परम्परा नहीं है कि आप वैल में खड़े हों और division माँगें। ...(*व्यवधान*)... Please go back to your seats. I am ready. ...(*Interruptions*)... I am ready. ...(*Interruptions*)...

SHRI JOHN BRITTAS: One minute, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, please.

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I want division on my motion, and it is the responsibility of the custodian of the House to ensure that the House is in order. ...(*Interruptions*)... I insist. ...(*Interruptions*)...

**श्री उपसभापति :** माननीय सदस्य का यह अधिकार है कि वे division चाहते हैं। ...(*व्यवधान*)... मैं इसके लिए ready हूँ। ...(*व्यवधान*)... परन्तु जो सदस्य वैल में खड़े हैं, उनसे आग्रह है कि वे अपनी सीट्स पर जायें। ...(*व्यवधान*)... वे अपनी सीट्स पर जायें, मैं division के लिए तैयार हूँ। ...(*व्यवधान*)... I shall now put the amendment moved by Shri Tiruchi Siva for reference of the Election Laws Amendment (Bill), 2021 as passed by Lok Sabha to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote. ...(*Interruptions*)... माननीय एलओपी ...(*व्यवधान*)...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, when the Member is asking for division, you announce division. They will all go, sit and vote. ...(*Interruptions*)..

**श्री उपसभापति :** माननीय एलओपी, मैं सही कह रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... As per rules, let them go ... **(Interruptions)**...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: No, no. ...**(Interruptions)**... Division होगा, यह बोलें तो वे अपनी-अपनी जगह पर जाएँगे। ...**(व्यवधान)**... Otherwise, you don't count. ...**(Interruptions)**...

**श्री उपसभापति :** माननीय एलओपी, बैल में खड़ा होना आपका अधिकार नहीं है। ...**(व्यवधान)**... बैल में खड़ा होना आपका लीगल अधिकार नहीं है। ...**(व्यवधान)**... बैल में खड़ा होना आपका अधिकार नहीं है। ...**(व्यवधान)**... आप अपनी सीट पर जाएँ, मैं अभी division के लिए तैयार हूँ। ...**(व्यवधान)**...

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे:** आप division bell के लिए कहिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let them all sit, and I am ready for division. ...**(Interruptions)**...

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे :** वे अपनी जगह पर जाकर वोट करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This means you do not want division. ...**(Interruptions)**... It is clear. Let the country see that you do not want division. ...**(Interruptions)**... Please. ...**(Interruptions)**... I shall now put the amendment moved by Shri Tiruchi Siva for reference of the Election Laws Amendment (Bill), 2021 as passed by Lok Sabha to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri John Brittas
2. Shri T.K.S Elangovan
3. Prof. Manoj Kumar Jha
4. Shri Vishambhar Prasad Nishad
5. Shri Jairam Ramesh
6. SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY

7. Shri M. Shanmugam
8. Shri Tiruchi Siva
9. Shri Vaiko
10. Prof. Ram Gopal Yadav

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session (256<sup>th</sup>) of the Rajya Sabha.

*The motion was negatived.*

*...(Interruptions)...*

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I am on a point of order. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will come to you. Let me complete it. *...(Interruptions)...*

I shall now put the Amendment moved by Dr. V. Sivadasan for reference of the Election Laws Amendment (Bill), 2021 as passed by Lok Sabha to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shrimati Jharna Das Baidya
2. Shri John Brittas
3. Shri M.V. Shreyams Kumar
4. Shri Tiruchi Siva
5. Dr. V. Sivadasan
6. Shri K. Somaprasad

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session (256<sup>th</sup>) of the Rajya Sabha.

*The motion was negatived.*

*...(Interruptions)...*



SOME HON. MEMBERS: Sir, we want division. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am ready for division. Go back to your seats. ..(*Interruptions*)..

SHRI DEREK O'BRIEN: He has a point of order, Sir. ..(*Interruptions*)..

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, my point of order is under Rule 259. When the hon. Member was pressing for division, the Chair asked him to ensure that everybody goes back to his seat. But as per this rule, I quote, "The Chairman shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his division." So, it is the duty of the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am coming to that. माननीय सुखेन्दु शेखर राय जी, please sit down. आप बड़े सीनियर मेम्बर हैं, चेयर लगातार आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाएँ, पर आप ...(**व्यवधान**)... Yes, I will give. You ask for division, I will give. अगर सारे लोग अपनी सीट पर रहें, तो I will give. As per the rule, I am telling आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाएँ और डिवीजन माँगे, तब हम देंगे। उस वक्त आप सब अपनी सीट पर नहीं गए।...(**व्यवधान**)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: The Member who asked for division was in his seat. ...(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They were not in the seats. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the LoP wants to say something. ...(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me complete, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: The Member who asked for division was in his seat. ...(*Interruptions*)..

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): One minute. ..(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is on his seat, पर उस समय और सब लोग वैल में खड़े थे।...**(व्यवधान)**... Please, please. ...*(Interruptions)*...

*(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)*

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, how can he be responsible? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*.. You cannot ...*(Interruptions)*... No, no, I have moved on. ...*(Interruptions)*... You cannot tell the Chair. ...*(Interruptions)*... I shall now put the motion moved by Shri Kiren Rijiju to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

*Clauses 2 and 3 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 4, there are two Amendments; Amendment (No. 1) by Shri John Brittas and Amendment (No. 4) by Dr. V. Sivadasan. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me complete it first. Shri John Brittas, are you moving? He is not in his seat. Dr. Sivadasan, are you moving? He is not in his seat; he is outside.

*Clause 4 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Derek, please say. ...*(Interruptions)*...

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: After me, you have your point of order. ..(*Interruptions*).. Sir, please understand. We have all the regard for the Chair. We have all the regard for the rules.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Which rule are you talking about?

SHRI DEREK O'BRIEN: Rule 259. The same thing which you all did on the Farm Bills, you are doing today. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, I have already expressed ...(*Interruptions*)... No, it is not a point of order. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: We walk out of here. ...(*Interruptions*)... We walk out. ...(*Interruptions*)...

*(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)*

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. ...(*Interruptions*)...

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, earlier when Members raised the issue of bringing a Bill without giving advanced notice, you were kind enough to tell that the Chairman has powers. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Which Rule?

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, Rule 259. ...(*Interruptions*)... Sir, allow me to speak. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already cleared it. ...(*Interruptions*)...

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, it says that the Chairman shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This Rule was quoted and I have already cleared it. ...(*Interruptions*)... In Clause 5, there are two Amendments. Amendment (No.2)

by Shri John Brittas. Shri John Brittas, are you moving the Amendment? ...(*Interruptions*)... No. ...(*Interruptions*)... Amendment (No.5) by Dr. V. Sivadasan. ...(*Interruptions*).. Dr. V. Sivadasan, are you moving the Amendment? ...(*Interruptions*)... No.

*Clause 5 was added to the Bill.*

*Clause 6 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 7, there is one Amendment (No.3) by Shri John Brittas. ...(*Interruptions*)... He is absent. ...(*Interruptions*)...

*Clause 7 was added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Kiren Rijiju to move that the Bill be passed.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I move:

That the Bill be passed.

*The question was put and the motion was adopted.*

---

#### **OBSERVATIONS BY THE LEADER OF THE HOUSE ON THE PERSISTENT DISRUPTIONS AND UNRULY BEHAVIOUR OF SOME MEMBERS IN THE HOUSE**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) :** सर, यह जो सदन है, यह नियमों से चलता है। Rule 238 is about Rules to be observed while speaking कि बोलने के समय किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। Rule 238 (iii) says, "Use offensive expression about the conduct or proceedings of the Houses or any State Legislature." सर, रूल बुक को फेंकना, वह भी सेक्रेटरी जनरल के ऊपर, यह अपने आप में एक offensive expression है, जो हाउस की proceeding के लिए भी है। सर, पहली बात, मुझे लगता है कि सदन के किसी भी सदस्य को और विशेष रूप से, अगर कोई दल का नेता है, तो उसे इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सदन में रूल 243 एकदम clear है। आज विपक्ष के लोग नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ और देश को भी यह जानना चाहिए कि हमने रूल में यह लिखा है - Procedure when Chairman rises. It says, "(1) Whenever the Chairman rises he shall be heard in silence and any member who is then speaking or offering to speak shall immediately sit down. (2) No member shall leave his seat while the Chairman is addressing the Council." यह देश एक लंबे समय से

तमाशा देख रहा है। जब चेयरमैन बोलते हैं, तब ये सदन के अंदर आते हैं, सदन के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं और जब चेयरमैन खड़े होते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग खड़े होते हैं। यह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। सर, तीसरा विषय रूल 258 के संबंध में है। सर, इस सदन में रूल 259 को तो काफी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन रूल 258 के अनुसार - Points of order and decisions thereon. It says, "(1) Any member may at any time submit a point of order for the decision of the Chairman, but in doing so, shall confine himself to stating the point. (2) The Chairman shall decide all points of order which may arise, and his decision shall be final." सर, मैंने आपके सामने तीनों बातें कही हैं। जब रूल 258 में चेयरमैन की रूलिंग आ जाएगी, तो वह सभी सदस्यों के लिए सम्मानजनक है। इससे पहले यह रूल है कि जब चेयरमैन बोलेंगे, तब सबको सुनना चाहिए और उससे पहले, हम बोलते समय किस प्रकार के आचरण का पालन करें। सर, ये गंभीर मर्यादा के प्रश्न हैं। हम लोकतंत्र को किसी भी तरीके से बंधक बनाकर नहीं रख सकते। हम अगर यहाँ पर संसदीय परम्परा का पालन कर रहे हैं, तो हम रूल बुक के साथ भी बँधे हुए हैं, अपने आचरण के साथ भी बँधे हुए हैं। आज जो आचरण दोहराया गया है, यह शर्मनाक है। सर, मैंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है। हमारे दल के नेता आपके सामने इस संबंध में विस्तार से अपना विषय रखना चाहते हैं।

**सभा के नेता (श्री पीयूष गोयल) :** माननीय उपसभापति महोदय, वास्तव में मुझे भी यहाँ पर अब लगभग 12 वर्ष होने को आए हैं। यहाँ पर हमारे बड़े-बड़े वरिष्ठ साथी हैं। यहाँ पर भुबनेश्वर कालिता जी, सुरेश प्रभु जी हैं, जिन्होंने वर्षों तक इस सदन की मर्यादा को रखा, इस सदन में अपनी सेवाएँ दीं। यहाँ पर हमारे सब स्टाफ सदन को बड़े अच्छे तरीके से चलाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन पिछले सेशन में हमने देखा कि कुछ विपक्षी दलों ने तथा उनके नेताओं एवं मेम्बर्स ने किस तरह का व्यवहार किया। इस बार हमें थोड़ा-बहुत लगता था कि शायद उसका इम्पैक्ट हुआ है और अब ये थोड़ी-बहुत मर्यादा में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज एक प्रमुख दल के नेता का जिस प्रकार से व्यवहार था, उसमें रूल्स का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया।

सर, देश में एक rule of decency है। मैं समझता हूँ कि decency is the least that we can expect even amongst each other. चेयर, सेक्रेटरी जनरल, टेबल, हमारे मार्शल्स, ये सब एक प्रकार से सेवा दे रहे हैं। ये सब एक प्रकार से सदन की मर्यादा को भी रख रहे हैं और सदन की गरिमा को भी बढ़ा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विरोध हो सकता है, आपसी मतभेद हो सकता है, चर्चा हो सकती है, उसमें सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से \* करना, इस प्रकार से राजनीति को सदन के अंदर लाना ठीक नहीं है। कानून आखिर सोच-समझकर बनाए जाते हैं, देश के हित में बनाए जाते हैं। विशेषकर, इस कानून को बनाने से पहले वर्षों तक इलेक्शन कमीशन में इसके ऊपर चर्चा की गई है, भूपेन्द्र यादव जी की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमिटी में इसके अलग-अलग विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। आखिर, इस कानून से क्या किया जा रहा है - इससे एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा रही है, एक कोशिश की जा रही है कि

\* Expunged as ordered by the Chair.

names का duplication न हो और ऐसे सभी लोग, जिनको वोट डालने का अधिकार है, उनको एक अच्छे और संयोजित तरीके से अपना अधिकार मिले। वोट डालने का अधिकार सभी का रहना चाहिए, इसलिए जब युवक-युवती 18 वर्ष के होते हैं, तो उनको हर तीन महीने में स्वयं को रजिस्टर करने का मौका मिले, इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ, आज के जो electoral reforms हैं, उनके माध्यम से हम एक प्रकार से राजनीति में और electoral process में चीजों को और ईमानदार तथा साफ-सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विपक्ष यह चाहता है कि युवक-युवतियों के साथ अन्याय हो? वे 18 साल के हो जाएँ, पर एक वर्ष तक उनको रजिस्टर करने के लिए रुकना पड़े? इस देश में अगर एक electoral roll में सभी की identity आ जाए और वह secret रहेगी, क्योंकि वह इलेक्शन कमीशन के पास रहेगी, पर उसमें duplication की साफ-सफाई हो जाएगी, तो क्या वे चाहते हैं कि यह न हो? क्या इनकी मंशा किसी प्रकार से election process में गलत काम करने की है? मैं समझता हूँ कि इनका आज का जो व्यवहार था, यह स्पष्ट करता है कि इनके मन में कोई खोट है, इनके मन में किसी प्रकार की electoral malpractices की इच्छा ज्यादा है, बजाय इसके कि election process को साफ किया जाए। अगर युवक-युवतियों को हर तीन महीने में रजिस्टर करने की opportunity मिलती है, तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? माननीय मंत्री जी ने स्टैंडिंग कमिटी के सभी मेम्बर्स से चर्चा की, सबने इसका स्वागत करते कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि आप इलेक्शन कमीशन की बताई हुई सभी चीजों को पूर्णतः स्वीकार करके इतनी जल्दी इसको सदन के सामने पेश कर रहे हैं। यह लगभग सभी ने स्वीकार किया था। हम इलेक्शन कमीशन को बहुत आदर से देखते हैं। उनकी जो डायरेक्शंस आती हैं, उनकी पूरा सदन respect करता है, देश respect करता है। मैं समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और तृणमूल कांग्रेस के नेता, देरेक ओब्राइन जी ने जिस प्रकार से रूल बुक को फेंका है, यह सिर्फ चेयर, सेक्रेटरी जनरल या टेबल ऑफिस का अपमान नहीं है, यह सिर्फ पूरे सदन का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे देश का अपमान है। उपसभापति महोदय, पूरे देश में इस बात की निंदा की जाएगी कि ये इस प्रकार की राजनीति एक प्रदेश में तो चला ही रहे थे, लेकिन इस प्रकार की राजनीति और गलत परंपराएं अगर अगली पीढ़ी को देंगे, तो मैं समझता हूँ कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और डेमोक्रेसी को बहुत खतरा है। माननीय आनन्द शर्मा जी ने आपके समक्ष वर्ष 2010 का जिक्र किया था। उन्होंने यह कहा था कि 2010 में suspended Members को अंदर लिया गया था, उसकी भी जब पूरी जानकारी निकाली गई, तो माननीय अरुण जेटली जी, जब कि बीजेपी का एक भी सांसद सस्पेंड नहीं हुआ था, तब भी माननीय अरुण जेटली जी ने as Leader of Opposition बड़ा दिल, बड़ा मन दिखाकर माफी मांगी थी। उन्होंने केवल सदन से ही नहीं, देश से भी माफी मांगी थी कि 2010 में उन सात सदस्यों द्वारा सदन में इस प्रकार का गलत व्यवहार हुआ। उसके बाद अलग-अलग दलों ने उस माफी से एसोसिएट किया। उस समय की वर्तमान सरकार, जो आज विपक्ष में बैठी है, जिसको जनता ने दो बार 2014 और 2019 के चुनाव में विपक्ष में भेजा है, उस समय के और उस सरकार के प्रतिनिधि यहां पर थे, उन्होंने बार-बार यह कहा कि बिना माफी मांगे, उनके suspension को revoke करने का सवाल ही नहीं है। उस समय यहां पर जयंती नटराजन जी थीं, उस समय यहां पी.जे.कुरियन जी थे, उस समय के पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर, सभी ने बार-बार कहा कि बिना माफी के उनको अंदर नहीं लिया जा सकता है। मैं

समझता हूँ कि विपक्ष के नेता ने माफी मांगी, अलग-अलग नेताओं ने माफी मांगी, फिर वे सदस्य चेयर को मिलने आए। पहले चार सदस्य आए, उनका suspension revoke किया गया। फिर एक सदस्य और आए, उनका भी suspension revoke किया गया। उसके बाद एक और सदस्य आए, उनका भी suspension revoke किया गया, लेकिन सातवें सदस्य का अंत तक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने चेयरमैन के सामने खेद प्रकट नहीं किया था, माफी नहीं मांगी थी। हमने माननीय चेयर की डायरेक्शन पर मीटिंग बुलाई थी। हमने पांचों पार्टीज के सभी माननीय नेताओं को बुलाया, जिनके मेम्बर्स सस्पेंड हुए थे, लेकिन पांचों पार्टीज के मेम्बर्स, लीडर्स मीटिंग में नहीं आए। उन्होंने चेयर का अपमान किया और जो एक प्रकार की परंपरा रही है कि मिल-बैठकर इसका कोई रास्ता निकालें, आनन्द शर्मा जी और लीडर ऑफ दि अपोज़िशन ने सदन में चेयरमैन के सामने जो रिक्वेस्ट की और आनन्द शर्मा जी ने जो 2010 का उदाहरण सदन में पेश किया, उसी के बेसिस पर हम चाह रहे थे कि इसका कुछ निपटारा हो, समापन हो। अभी जो 12 सदस्य बाहर बैठे हुए हैं, उसमें किसी को भी आनन्द नहीं आता है। अगर हम सबको रोल मॉडल के रूप में देश की युवा पीढ़ी के सामने अच्छा example सेट करना है, तो the least we should have done was to apologize for that absolutely unacceptable behaviour. मेरा मानना यह है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, बल्कि माफी मांगना बड़े ताकतवर और मजबूत दिल वाले लोगों की निशानी है, लेकिन इनमें वह बात नहीं है। इनमें बड़ा दिल भी नहीं है और सहनशक्ति भी नहीं है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि इनकी मंशा सदन न चलाने की थी, इसके बजाय कि एक अच्छे तरीके से बहस करके देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश को कैसे विश्वशक्ति बनाया जाए। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार अपने काम पर तटस्थ है। हम दिन-रात देश की सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि वह अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निभाए।

**श्री उपसभापति :** प्लीज़, आप लोग अपनी सीट्स बैठें। चेयर सभी सदस्यों से आग्रह ही कर सकती है कि रूल बुक को फॉलो करें। मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ, कृपया चुप रहें। Now, we move to the Appropriation (No.5) Bill, 2021. Shrimati Nirmala Sitharaman to move a motion for consideration of the Appropriation (No.5) Bill, 2021.

---

### GOVERNMENT BILLS - *Contd.*

#### The Appropriation (No.5) Bill, 2021

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS  
(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and

out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2021-2022, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to speak something briefly?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I will speak later.

*The question was proposed.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. The motion is moved. Now, Shri Sujeet Kumar. This is discussion on the Appropriation No. 5 Bill, 2021.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I will take thirty seconds to point out a matter of concern. Sir, there is a need to reform the fertilizer sector because the fertilizer subsidy of Rs. 58,430 crores is humongous and we are heavily dependent on fertilizer imports. Secondly, there is a massive leakage in the fertilizer sector. As per the Economic Survey of 2016-17, only 35 per cent of the intended beneficiaries, that is, small and marginal farmers, get the fertilizer subsidy and 65 per cent of the fertilizer subsidy goes towards leakage. So, I urge the Government to look into this.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR) *in the Chair.*]

Secondly, regarding the MGNREGS payment which is the other major component of this Appropriation Bill of about Rs. 23,000 crores, I would urge the Government to expedite payment of all pending MGNREGS payment to the States. Thank you, Sir.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, I am supporting the Appropriation Bill moved by the Finance Minister. As you know very well, Sir, the 2021-22 Budget had projected the Government's total expenditure at Rs. 34.83 lakh crore. But, this is expected to overshoot considering the two batches of Supplementary Demands for Grants presented by the Government so far. ...(*Interruptions*)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) :** कृपया शांति बनाए रखें।



DR. M. THAMBIDURAI: The Government on Friday sought Parliament's nod to infuse over Rs. 62,000 crore into the company that holds residual assets and liabilities of Air India after its privatisation, as part of over Rs. 3.73 lakh crore additional spending planned in the current financial year. This is very well normal procedure when we are presenting the Budget, then, after the Budget period, many Supplementary Demands are being brought by the hon. Finance Minister to see that the welfare programmes are implemented properly. It is because whatever the Budget that we are preparing, the actual thing is changing. It is because of so many factors. Especially, Modi's Government is taking up a lot of welfare programmes for the welfare of the people. Our hon. Prime Minister's motive is to see that the country gets many welfare programmes. As a Finance Minister, yes, it is her duty to revise the Budget through the Supplementary Grants. We know very well that our Tamil Nadu is a prestigious State. The First Finance Minister in the Nehru Cabinet was Shri Shanmukham Chetty who was from Tamil Nadu. In the same way, we have seen so many Finance Ministers from Tamil Nadu. Our hon. Madam is also from Tamil Nadu. She is doing very well and has presented so many Budgets. Not only has she presented Budgets, but she also served as the first lady Defence Minister after Madam Indira Gandhi. Therefore, we are having full confidence in the Budgets presented by her. At the same time, we are requesting that Tamil Nadu requires a lot of funds as there are so many programmes. That is why, especially the GST fund, the State Government is demanding. I hope that our hon. Finance Minister would consider the demand of the Tamil Nadu Government. Previously also, we represented when our Government requested for it. In the same way, the present Government is requesting funds for the welfare of the people of Tamil Nadu. So, I request that it should be acceded to.

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) :** कृपया आपस में बात न करें। ...**(व्यवधान)**... कृपया शांति बनाए रखें। Please. ...**(Interruptions)**...

DR. M. THAMBIDURAI: As you know very well, there are so many national rural employment guarantee programmes. About the national rural employment guarantee programmes, already we have requested that the funds are to be released at the earliest to the States because employment generation is very important, especially in the Covid situation, we are facing a lot of problems. At the same time, employment generation is very, very important. In the rural areas, for giving employment guarantee and economic status, the MGNREGA programme is the best programme and our Modi's Government has also increased the funds for MGNREGA programme. Therefore, I appreciate the Government's effort for this kind of

Supplementary Demands. I, once again, on behalf of AIADMK party, support Modi ji's Government as well as the Finance Minister's Supplementary Demands. We are supporting it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): The next speaker is Shri Vishambhar Prasad Nishad; not present. Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I rise to support this Bill and I thank you for giving me this opportunity. I want to make two submissions. One is, as per the A.P. Reorganization Act, several promises have to be fulfilled by the Central Government within a span of ten years with regard to the Polavaram project and other things. Eight years have already lapsed. There are so many other projects which have to be implemented. Therefore, I request the hon. Finance Minister to kindly take this into consideration and fulfill the promises. There is another issue of Vizag Steel Plant and its disinvestment. That also has to be considered. Another issue is, the Andhra Pradesh Government has borrowed huge debts, more than FRBM limits and almost more than Rs.3 lakh crore within a span of two-and-a-half years. So I request the hon. Finance Minister that since Andhra Pradesh is in financial doldrums, to come to the rescue of Andhra Pradesh and control the financial anarchism. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): The next speaker is Shri G.K. Vasan.

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, to begin with, I would like to compliment the Central Government, the Prime Minister and the Finance Minister. The Central Government, today, has set such long-term goals, planned on such big scales as not imagined in India earlier. The result is, in the seven years from 2014, it has succeeded in executing massive schemes. We all understand that a country is made by its farmers, labourers and youth. For the farmers, the Government has ensured crop insurance to 11.6 crore farms, putting cash directly in 11.77 crore farmers' bank accounts. For example, for the youth, the initiatives include lending Rs. 33.8 crores to micro businesses, bringing 3.42 crore people, plus 55 lakh self-employed under pension schemes. For the labourers, formalization has been extended to 36 lakh jobs, according to the Employee Provident Fund Office and to 5.7 crore unorganized workers as per the Government's e-Shram portal.

Sir, I would like to quote a very important data related to the highways sector. The schemes announced should be dealt in a proper way. This Government, especially, announces the schemes which benefit the people. What I quote about the highways is very important. The speed with which the Central Government has worked is measured by the fact that till 2014, in 64 years, the length of national highways built was 91,287 kilometres, but today, in seven years alone, it is 46,338 kilometres, that is, 50 per cent more; that is under today's Government. I would like to compliment the Minister and the Government for it.

To conclude, I would like to say that our country has undergone very difficult days at the time of COVID-19. A very careful Budget has been presented for the growth of the economy after COVID-19, for 2021-22. Now, step-by-step, we see the revival of the economy in most of the sectors. The Government has given confidence to the people of India. This is the time, Sir, I would request that the State Governments should work in closer coordination with the Central Government and I would proudly say that we are able to look beyond COVID-19 and focus on restarting development process because of our Made in India vaccines.

To conclude, I would like to say that in my State, Tamil Nadu, there are a lot of pending issues. I request the most respected Finance Minister to take care of the issues in the States. With this, I support this Bill. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): The next speaker is Shri Rakesh Sinha.

**श्री राकेश सिन्हा** (नाम निर्देशित): उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस अप्रोप्रिएशन बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यदि किसी भी राज्य में सरकारें प्रगतिशील बजट बनाती हैं और जन-पक्षधर बजट बनाती हैं, तो उस राज्य में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सचमुच में आम जनता तक पहुंचता है। सरकारें काम तो करती हैं, बजट तो बनता है, लेकिन यदि जन-पक्षधरता बजट के केंद्र बिंदु में नहीं होती है, तो बजट का लाभ उस आम आदमी तक नहीं पहुंच सकता है, जो इस गणतंत्र का हिस्सा है। हमने 1950 से निरंतर देखा है कि बजट बनें हैं, सरकारों ने गरीब कल्याण और गाँव के कल्याण की बातें कही हैं, लेकिन गाँव और गरीब की स्थिति वही रही है, जो हमने 2014 में उस क्रांतिकारी परिवर्तन के समय देखी है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सत्ता में आते ही जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं को, कल्याणकारी राज्य को सब्सटेंटिव कल्याणकारी राज्य बनाया, वह सिम्बॉलिक कल्याणकारी राज्य था, जिसमें कल्याणकारी घोषणाएं तो होती थीं, लेकिन उस कल्याण का लाभ उन तक नहीं पहुंचता था, जिनके लिए राज्य घोषणाएं करता था। नारों से कल्याणकारी राज्य नहीं चलता है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इतिहास की तुलना नहीं करते हुए, 2014 से लेकर 2021 तक सरकारों ने और सरकार ने जो किया, वह जनता के सामने है, लेकिन मैं

अभी का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गरीबों के लिए खाद्य पदार्थ मिलना, गरीबों के घर में अनाज पहुंचाना और अनाज पहुंचाना - सरकार ने इसको अपना एक संवैधानिक नहीं, अपितु नैतिक कर्तव्यबोध माना है। मार्च, 2022 तक उन गरीबों तक मुफ्त अनाज पहुंचेगा - यह उनका हक था - हमने उस हक को दिया। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उस हक को उन गरीबों को दिया और मार्च, 2022 तक उसे एक्सटेंड किया। सरकार इसके लिए लगभग 22,038 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सरकार उनके हक को देने के लिए उन पर 22,038 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैंने गाँव और गरीब की बात कही है, इसलिए मैं इसके संदर्भ में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया में फर्टिलाइज़र का रेट बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे विपक्ष के साथी यहाँ नहीं हैं, लेकिन वे जानते हैं कि किस प्रकार से डब्ल्यू.टी.ओ. ने फर्टिलाइज़र की सब्सिडीज़ पर नियंत्रण करने की कोशिश की है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसमें एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। यह हस्तक्षेप सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन लोगों का डब्ल्यू.टी.ओ पर नियंत्रण है। जिस नियंत्रण के कारण गाँव और गरीब को किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिले - यह एक प्रकार का षड्यंत्र चलता है। गाँव और गरीबी के हाशिये पर रहे लोगों को और हाशिये पर रखा जाए, गरीब को गरीब बनाकर रखा जाए, किसानों की स्थिति बदतर हो जाए - ऐसा एक षड्यंत्र चलता है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने, उस बढ़ते हुए ग्लोबल प्राइस के बीच आम किसानों तक खाद पहुंचे, उन्हें उचित मूल्य पर खाद मिले, कृषि की प्राथमिकता हो, किसानों को केंद्र में रखकर 58 हज़ार, 430 करोड़ रुपये की फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है। किसानों को फर्टिलाइज़र पर 58 हज़ार, 430 करोड़ रुपये की सब्सिडी देना भारत के किसानों के हित में उठाया गया एक ऐसा कदम है, जिसका कोई समानान्तर उदाहरण पिछले दशकों में नहीं मिलता है। जिस प्रकार से किसान खाद के लिए, पानी के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए तरसते रहे और सरकारें सांकेतिक घोषणाएं करती रहीं, यह उसका एक उदाहरण है। हम सिम्बॉलिक नहीं, बल्कि सब्सटेंशियल काम करते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं तीसरा एक और उदाहरण 'मनरेगा' का दूंगा। हमने 'मनरेगा' को एक्सटेंड किया। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में, जब कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई है, तब उस चरमराई व्यवस्था में सबसे बुरा असर हाशिये के लोगों पर होता है। महोदय, जब व्यवस्था में, जब छलनी में छेद होता है, तो उसका असर किस पर होगा? इसका असर उन पर होता है जो गरीब लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो सुविधाओं से वंचित हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में उन गरीबों के हित के लिए जो कदम उठाया है, उसका एक उदाहरण यह है कि 'मनरेगा' पर 22,038 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना' पर 49 हज़ार करोड़ रुपये, फर्टिलाइज़र सब्सिडी पर 58 हज़ार करोड़ रुपये और 'मनरेगा' पर 22,038 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि प्रगतिशीलता सिर्फ नारों का शब्द नहीं होती है, जन-पक्षधरता सिर्फ भाषणों की नहीं होती है और लोक कल्याण सिर्फ संवैधानिक शब्द नहीं होता है। ये शब्द, ये नारे जब जमीन पर उतारे जाते हैं, तो इसके लिए एक ऐसा नेतृत्व चाहिए, जिसमें दृष्टि हो, जिसमें जनता के लिए एक संवेदनशीलता हो। इस संवेदनशीलता के

साथ-साथ एक समानतामूलक समाज बनाने के लिए हम जो प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं, मैं उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का, माननीया वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि सरकार जन पक्षधर नीतियों के साथ एक बजट बना रही है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस अप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूँ। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) :** धन्यवाद श्री राकेश सिन्हा। नेक्स्ट स्पीकर, श्री अयोध्या रामी रेड्डी ओला जी।

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Sir, we support this Supplementary Demands for Grants. Sir, you are aware there is a clearance required for an additional spending of Rs. 3,73,761 crores placing the second batch of Supplementary Demands for Grants for the current fiscal year. This involves a higher than expected net cash outgo of Rs. 2,99,243 crores. The rest would be met through savings or enhanced receipts of various Ministries and Departments. More than 80 per cent of the extra net cash outgo under the second batch of Supplementary Demands pertains to five items. The first one is equity infusion into Air India assets holding of approximately Rs. 62,000 crores; additional subsidy for fertilizers, Rs. 58,400 crores; for food about Rs. 49,800 crores; clearance of past dues owed to exporters about Rs. 53,000 crores; greater allocation for National Rural Job Scheme, 22,000 crores, all five of these are very important from our point of view, and it will be really very good to consider this. Sir, from our point of view, from Andhra Pradesh's point of view, you know that after the bifurcation, we have suffered a lot and certainly, a major support is needed from the Government of India on this. Sir, we want that there should be approval for the second revised cost estimate for Polavaram Project. While the Government has approved Rs. 8,786 crores for Ministry of Jal Shakti under various heads, there is a glaring omission towards clearing of Bills and increasing allocation for Polavaram Project. We want the Ministry to kindly look into it and help the State. The second revised cost estimate for Rs. 55,656.87 crores for the Polavaram Irrigation project is still pending with the Government. The project which is the lifeline for Andhra Pradesh has been accorded status of a National Project and the responsibility of the project lies with Government of India as envisaged in the AP Reorganisation Act. Sir, already eight years are completed, we really want this help. This is the dire need. Please help and we will ensure that the State really puts its best efforts to complete and commission this project by next year. Further, the Central Government is limiting its funding to the irrigation component and that would not extend to the drinking water component. We certainly want this to be looked at. It will

help the State. Sir, it is surely required. Polavaram project has become the only national project wherein the drinking water component is not covered. Sir, I want you to kindly look at it and consider this point. Andhra Pradesh does not want any special treatment like Uttar Pradesh. We just want to be treated as 'equals'. Please lot of projects are coming in Uttar Pradesh with support from the Ministry, but, our projects, especially the water component certainly is not being looked at, we want you to kindly consider this. The second point is deduction in borrowing limit of State on account of excess borrowing by the previous Government. We have mentioned this point in the Special Mention also. We once again wanted to bring it to the notice of the Government. Andhra Pradesh is trying its best to recover from the bifurcation and the Covid-19 pandemic and the successive lockdowns.

The net borrowing ceiling for 2021-22 was set at Rs. 42,472 crores and in an unprecedented move; it was deducted by Rs. 17,923 crores due to the over-borrowings between 2016 and 2019. The people of Andhra Pradesh are being made to suffer due to the over-borrowings of the previous Government. Assuming if the Government wants to do that, then I should take you back to the era of Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy when the AP Government had an under-borrowing of Rs. 26,380 crores! If you are punishing Andhra Pradesh for the over-borrowing of the previous Government, why not give us the benefit of the under-borrowing in the Governments between 2004 and after the bifurcation? The third point is regarding MGNREGS and release of pending dues of Rs. 4976.51 crores. I would request the hon. Madam Finance Minister to kindly look at it. Under the Supplementary Grants, the Government has rightly allocated Rs.22,039 crores for rural jobs under MGNREGS. In the last one-and-a-half years, the rural work demand under MGNREGS has increased exponentially. MGNREGS had become the main source of livelihood for many and Andhra catered to the inward migration also during the period. Due to such increased demand, Andhra Pradesh has already overspent its fund allocation and in the light of the revised labour budget of Andhra Pradesh from 2167 lakh person-days to 2350 lakh person-days, the Government of India was apprised of the revised budgetary requirements of Rs. 4976.51 crores towards wage, material and administration costs for the implementation of MGNREGS. I, therefore, on behalf of the people of Andhra Pradesh lay a claim of Rs. 4,976 crores out of the new allocation for the pending second tranche of MGNREGS payments. The fourth point is regarding inadequate coverage of beneficiaries under the National Food Security Act. Time and again, we have brought it to the notice of the Central Government. Various components of food schemes, including the National Family Security Act, Public Distribution System, PM

Garib Kalyan Yojana for decentralized procurement of food grains under NFSA, etc., are mentioned under the supplementary grants. Andhra Pradesh has less than the national average coverage of NFSA at 61 per cent of the rural population and 41 per cent of the urban population. We are still getting NFSA coverage based on 2011 Census whereas the situation has changed drastically after bifurcation in 2014 and now that the 2021 census is delayed. I am hopeful that specific steps shall be taken to increase the coverage under NFSA by relying on other population surveys and thus, assuring food security to a larger population. The next point is regarding resource gap funding by the Government of India. Andhra Pradesh at the time of bifurcation was assured that the resource gap shall be compensated through the regular budget of the financial year 2014-15. As per the CAG, for the financial year 2014-15, the revenue deficit for the period from 2<sup>nd</sup> June 2014 to 31<sup>st</sup> March 2015 was Rs.16078.76 crores. However, with the introduction of 'standardized expenditure, only Rs. 4117.89 crores has been compensated to the Government. Since then, many budgets and Supplementary Demand for Grants have been voted upon, however, no mention of the remaining compensation to the State of Andhra Pradesh has been made. This is highly critical at this point of time to sustain and improve the fiscal health of the State. The sixth point is regarding the stoppage of disbursement of loan to State Development Corporation, APSDC. I would like to bring to the notice the stoppage of disbursement of loans for the Andhra Pradesh State Development Corporation. APSDC was formed emulating the same model that several organisations including NHAI, Kerala Infra Investment Fund Board (KIIB), etc. to follow, i.e., receiving an allocation from the Government revenues to meet the debt servicing and other requirements. Based on cash flow robustness as well, APSDC was accorded "AA" rating. However, the stand taken by the Ministry of Finance against the borrowings of APSDC is harsh and disturbing. This has led to APSDC unable to borrow Rs. 1,800 Crore. Thus, I would request the Finance Minister to look into the matter and allow disbursement of loan to APSDC. Sir, I want to conclude by saying that even though the YSR Congress Party supports the Supplementary Demands for Grants, it was a letdown for the State of Andhra Pradesh, and we will be sending a detailed letter to the hon. Finance Minister to look at the sufferings that we are going through and consider it favourably and help the State.

**श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार):** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं second batch of Supplementary Demands जो हमारे यहां एप्रोप्रिएशन बिल के रूप में आया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस सदन में प्राइस राइज़ पर चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन यह पूरा विषय प्राइस राइज़ से भी जुड़ा हुआ है। विपक्ष हम पर आरोप लगाता है कि भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण

मूल्यवृद्धि हो रही है, मैं उन सदस्यों को बताना चाहूंगा कि यह मूल्यवृद्धि पूरी दुनिया का फिर्नामिना बन चुकी है। Post-pandemic, inflation has started to run and even in a country like America, since the last 39 years, the highest rate of inflation at 6.8 per cent has occurred in America in this month only. यानी अमरीका जैसे देश में 39 साल के बाद पहली बार महंगाई का रेट 6.8 परसेंट पर पहुंच गया है। यूरोपियन यूनियन के अन्दर यह 4.1 है, जो 13 साल के भीतर हाइएस्ट है और 13 सालों में यह डबल हो गया है। यूनाइटेड किंगडम में यह 4.2 परसेंट है, ब्राजील में 10.67 परसेंट है, तुर्की में 20 परसेंट है, अर्जेन्टीना में 50 परसेंट है, रशिया में 8.1 परसेंट है। महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लॉकडाउन और कोरोना के बावजूद अर्थव्यवस्था को जिस तरह से नियंत्रित किया है, उसी का परिणाम है कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन नियंत्रण में है। इन्फ्लेशन का मुख्य कारण क्या है? पूरी दुनिया के अन्दर चिप्स की शॉर्टेज हो गई। आपने अखबारों में देखा होगा कि जो मोटर व्हीकल्स हैं, उनकी बिक्री कम हो गई, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो चिप्स हैं, कोरोना और बाकी कारणों से उनकी सप्लाय में शॉर्टेज आ गई। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोटर व्हीकल्स के साथ-साथ कंटेनर्स की शॉर्टेज हो गई, शिपमेन्ट्स की शॉर्टेज हो गई। पूरी दुनिया में जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, तो उससे कंटेनर्स की शॉर्टेज हो गई है। मेटल्स, मिनरल्स, कूड ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स इन सारी चीजों की शॉर्टेज हो गई है।

महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया से जुड़ी है, हम आइसोलेशन में नहीं हैं। अगर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता है। India is forced to import that international inflation. अंतरराष्ट्रीय इन्फ्लेशन को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, as India is linked with global economy and relies on global regional value chain for its economic operation

महोदय, 2008 में इस देश में किसकी सरकार थी - कांग्रेस की सरकार थी। जब ग्लोबल फाइनेन्शियल क्राइसिस हुआ था, उस समय उन्होंने इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया, जबकि 2008 में न तो लॉकडाउन था और न कोई कोरोना था और उस समय महंगाई की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हम लोगों ने कोरोना के बावजूद डिमांड और सप्लाय का बैलेंस बनाकर इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने का काम किया है। ग्लोबल फाइनेन्शियल क्राइसिस में भी जो लोग यहां की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पाये, वे लोग हम पर आरोप लगाते हैं।

महोदय, इन्फ्लेशन बढ़ने के दो मुख्य कारण हैं - प्रथम अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनके दामों में वृद्धि और दूसरा एडिबल ऑयल। अपनी आवश्यकता का 83 परसेंट से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है और खाद्य तेल, एडिबल ऑयल, उसे 60 परसेंट से ज्यादा आयात करना पड़ता है। महोदय, petroleum का price जहाँ डेढ़ साल पहले 20 dollars per barrel था, वह बढ़ कर 80 dollars per barrel पर पहुँच गया। इसका एक बड़ा कारण यह था कि जो petroleum exporting countries हैं, उन्होंने जान-बूझ कर इसकी supply को कम कर दिया, ताकि विश्व के बाजार में petroleum के price में वृद्धि हो सके। इतना ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय बाजार के अन्दर LPG के price में भी 238 परसेंट की वृद्धि हो गयी। चूँकि आयात करते समय हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, तो हमारा जो exchange rate है, वह जहाँ 2014 में 60 rupees per dollar था, वह बढ़ कर 75 rupees per



dollar पर पहुँच गया। इन सारी चीजों का परिणाम यह हुआ कि अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोलियम के मूल्य में अगर एक डॉलर की वृद्धि होती है, तो उसके कारण भारत में 50 पैसा प्रति लीटर की वृद्धि करनी पड़ती है।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पेट्रोल और डीज़ल के मूल्यों को नीचे लाने के लिए 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 5 रुपये प्रति लीटर डीज़ल में कटौती करने का निर्णय लिया। बीजेपी शासित राज्यों ने वैट में भारी कटौती की, लेकिन केरल में किसकी सरकार है, सीपीएम की सरकार है। उसने वैट के अन्दर कोई भी कटौती नहीं की। कांग्रेस महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है, कांग्रेस झारखंड की सरकार में शामिल है, लेकिन कांग्रेस जहाँ सरकार में शामिल है - महाराष्ट्र और झारखंड में - वहाँ उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल के वैट में कोई कटौती नहीं की। सीपीएम ने इसमें कोई कटौती नहीं की। ये तृणमूल कांग्रेस के लोग वैल में आकर हल्ला करते हैं। मैं ममता बनर्जी जी से जानना चाहता हूँ कि जब बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीज़ल के वैट में कटौती कर दी, तो बंगाल ने कटौती क्यों नहीं की? बंगल के बिहार ने इसमें कटौती कर दी, लेकिन अर्जुन मुंडा जी यहाँ बैठे हैं, इनके राज्य झारखंड में, बंगल के बंगाल में, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, उन्होंने इसमें कोई कटौती नहीं की। आज भी 7 राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने पेट्रोल और डीज़ल के मूल्य में किसी प्रकार की कटौती नहीं की। आज देश में सबसे ज्यादा वैट अगर किसी एक राज्य में है, तो उसका नाम महाराष्ट्र है, जहाँ पेट्रोल पर 39 परसेंट और डीज़ल पर 28 परसेंट वैट लग रहा है। केरल में सीपीएम की सरकार है, वहाँ पेट्रोल पर 30 परसेंट वैट है, बंगाल में पेट्रोल पर 29 परसेंट वैट है, तेलंगाना में 33 परसेंट और तमिलनाडु में 33 परसेंट वैट है। महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के मामले में इतनी बड़ी कटौती की, तो इसका परिणाम क्या हुआ - हमें हर महीने 8,689 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर हम यह कटौती नहीं करते तो the Government of India would have gained Rs. 8,689 crores per month. The Government of India is losing revenue of Rs. 1.04 lakh crores in a year! लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि हम चाहते थे कि लोगों को राहत मिले, लोगों को सुविधा मिले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। उसने दिखावे के लिए इसमें कटौती की। उसने वैट में केवल 90 पैसे की कटौती की।

महोदय, भारत सरकार ने एक और बड़ा काम किया। हमारे पास पेट्रोलियम का strategic reserve है। हमने तय किया कि हमारे पास जो strategic reserve है, उससे हम 5 मिलियन बैरल, यानी 50 लाख बैरल release करेंगे। सदन को यह मालूम है कि हमने विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडुर में strategic reserve इसीलिए बनाकर रखा है। ...**(व्यवधान)**... 1973-74 में तेल का संकट हुआ था। जब अटल जी प्रधान मंत्री बने तब यह निर्णय हुआ कि हम अपने तेल का भंडार रखेंगे और हम इतना भंडार रखेंगे ताकि अगर 64 दिनों तक भी तेल का संकट हुआ, तब भी हम उसका मुकाबला कर सकें। इसलिए हमने strategic reserve बनाकर रखा। पहली बार भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम strategic reserve से 50 लाख बैरल तेल release करेंगे। यह हम अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों के साथ मिल कर करेंगे, ताकि दुनिया के अन्दर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में कमी आ सके।

महोदय, जो हम पर आरोप लगाते हैं कि आपके समय में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जब चिदम्बरम जी यहाँ के वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने oil bonds issue किये थे और कहा कि हम लोगों को लाभ दे रहे हैं, पेट्रोल और डीज़ल के दामों में कटौती कर रहे हैं।

#### 4.00 P.M.

महोदय, इन लोगों ने 1,30,000 करोड़ रुपए का oil bond जारी कर दिया, जिसका भुगतान हम लोगों को करना पड़ेगा। इन लोगों ने दाम में कटौती करके वाहवाही लूटी और 1,30,000 करोड़ रुपए का oil bond इश्यू कर दिया। हमें 2015-16 से 10,000 करोड़ रुपए इसके ब्याज के रूप में देने पड़ रहे हैं।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो पेट्रोल पर पाँच रुपए और डीज़ल पर दस रुपए कम किये हैं, उसका परिणाम आगे आने वाले दिनों में दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा।

महोदय, मूल्य वृद्धि का एक दूसरा बड़ा कारण edible oil है। हम 60 परसेंट से ज्यादा खाद्य तेल दुनिया के बाज़ार से आयात करते हैं। हम मलेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया आदि देशों से crude और refined oil आयात करते हैं। चूँकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि हो गई, इसलिए मजबूरन भारत में भी खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि हुई। पूरे देश में खाद्य तेल की जो खपत है, उसमें palm oil की खपत 45 परसेंट है, सोया की 20 परसेंट है, सरसों के तेल की खपत 10 परसेंट है और बाकी मूँगफली, सूरजमुखी तथा अन्य तेल की खपत है।

महोदय, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फरवरी से अभी तक खाद्य तेल की crude और refined oil की इम्पोर्ट ड्यूटी में पाँच बार कटौती की है। अभी अक्टूबर, 2021 में import duty on crude palm/sunflower oil को घटा कर ज़ीरो प्रतिशत कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि palm, sunflower और soya के refined oil पर जो एग्रीकल्चर सेस लगता था, उसको भी घटाने का काम किया गया है। आपने आज के अखबार में पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने सात चीज़ों की derivative market में जो forward trading होती है, उस पर एक साल के लिए रोक लगा दी है ताकि सोया, सरसों आदि चीज़ों की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में बोली न लग सके। साथ ही साथ, अब कोई भी व्यापारी दो माह से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेगा।

महोदय, नरेन्द्र मोदी जी दूरदर्शी व्यक्ति हैं। जिन लोगों ने 60 साल तक राज किया, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि हमें खाद्य तेल क्यों आयात करना पड़ रहा है? हमने तिलहन की उपज को बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया? हमारी सरकार में आदरणीय प्रधान मंत्री जी की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अगले पाँच साल के लिए 11,040 करोड़ रुपए का National Mission on Edible Oil बनाया जाएगा। इसमें फैसला लिया गया कि हम अगले पाँच साल में इस पर 11,040 करोड़ रुपए खर्च करेंगे ताकि हम तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें। इतना ही नहीं, बल्कि यह टारगेट है कि palm oil का जो acreage 6.5 लाख हेक्टेयर है, उसके उत्पादन का जो क्षेत्रफल है, उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हमने यह तय किया है कि crude palm

oil के उत्पादन को 2025-26 तक 11.2 lakh tonnes और 2029-30 तक 28 lakh tonnes तक बढ़ाएँगे।

महोदय, हम बड़े पैमाने पर तिलहन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि इस सरकार ने इसके लिए अगले पाँच साल के लिए 11,040 करोड़ रुपए का National Mission on Edible Oil बनाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने यह भी विचार किया कि जो किसान तिलहन पैदा करेंगे, अगर मार्केट fluctuate करती है, तो Centre will pay the difference to palm oil farmers. इस तरह से किसान को प्राइस का assurance दिया गया है। अगर बाजार दर और उसके लागत मूल्य में अंतर होगा, तो भारत सरकार फार्मर्स को viability gap funding के द्वारा क्षतिपूर्ति करने का काम करेगी।

महोदय, इन सबका परिणाम यह हुआ है कि पिछले दो महीने के भीतर groundnut oil, mustard oil, soybean, sunflower, palm oil - इन सब के मूल्य में भारी कमी आई है। आज दाल की कीमत नियंत्रण में है। जब दलहन का संकट पैदा हुआ, तब हमारी सरकार ने दाल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई। मुझे पूरा विश्वास है कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, आगे आने वाले दिनों में दाल, जिसे हमें बर्मा से आयात करना पड़ता है, दुनिया के बाकी देशों से आयात करना पड़ता है, तो दलहन और तिलहन और ये जो खाद्य तेल हैं, जो pulses हैं, इनके मामले में भारत बहुत जल्द आत्मनिर्भर हो जाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस Supplementary Budget में जिस सबसे बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, वह एयर इंडिया के लिए 62,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, Rs. 62,057 crores for infusion into Air India Assets Holding. उपसभाध्यक्ष महोदय, यह महाराजा इतना गरीब कैसे हो गया? यह एयर इंडिया एक जमाने में नवरत्न था। यह नवरत्न इतना गरीब हो गया है कि आज इसे bail out करना पड़ रहा है। अगर आज एयर इंडिया 70,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज में डूबा है, तो उसका कारण यह काँग्रेस की सरकार है, जिन्होंने अपने दस साल के शासनकाल में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को यहाँ तक पहुंचा दिया। 2006-07 के अंदर एयर इंडिया का घाटा 541 करोड़ था और इंडियन एयरलाइंस का घाटा 230 करोड़ था। To stem the rising losses, the UPA Government on July 15, 2007, decided to merge Air India and Indian Airlines. इन्होंने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया और मर्ज करने का परिणाम यह हुआ - the merger was a gross mistake as there was no synergies; resources, aircraft, men, materials and machines remained divided. The merger simply magnified problems like excess manpower. Mr. Vice-Chairman, Sir, due to the policies of the UPA Government vis-à-vis merged entity, an arbitrary decision, पहले ही साल में एयरलाइंस का घाटा बढ़कर 2,226 करोड़ तक पहुंच गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, 2007 से लेकर 2009 के बीच में जो उसका घाटा था, वह बढ़कर 7,200 करोड़ तक पहुंच गया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यूपीए की सरकार में पहले निर्णय लिया गया था कि दस एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाने हैं। लेकिन इन्होंने खरीदे कितने? इन्होंने 111 एयरक्राफ्ट्स खरीद लिए। जो एयरलाइंस घाटे में चल रही थी और केवल दस नए हवाई जहाज खरीदने थे, तो आपने किसके कहने पर 111 हवाई जहाज खरीदे?

उपसभाध्यक्ष महोदय, विनोद राय, जो सीएजी थे, उनकी किताब आई है - 'Not Just an Accountant', wherein Shri Vinod Rai describes how Air India's Board of Directors had originally placed a Letter of Intent on airbus for only 10 aircraft. विनोद राय जी ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि केवल दस एयरक्राफ्ट्स खरीदने का निर्णय लिया था, but the Air India Board was nudged to change the order to a Boeing and increase the order from 10 to 111! उपसभाध्यक्ष महोदय, आखिर क्या कारण था कि दस एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाने थे, लेकिन 111 एयरक्राफ्ट्स खरीद लिए? प्लानिंग कमीशन ने भी इस पर अपनी घोर आपत्ति दर्ज की थी। महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बड़े देश के राष्ट्रपति का भारत में दौरा होने वाला था और उस देश को खुश करने के लिए, क्योंकि वे वायुयान उस देश में बनते थे, इसलिए दस के बजाय 111 एयरक्राफ्ट्स खरीद लिए गए - एयर इंडिया के loss में जाने का यह बहुत बड़ा कारण था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसे कौन खरीदने आता? मैं तो टाटा कंपनी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस 70,000 करोड़ के डूबते हुए जहाज को खरीदने का फैसला किया है और जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके संबंध में सरकार ने यह भी तय किया है कि जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए जो मेडिकल बेंनिफिट है, वह लगातार जारी रहेगा तथा जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वे एक साल तक काम करेंगे और अगर बाद में चाहेंगे, तो वीआरएस लेकर नौकरी छोड़ सकते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने इस एयर इंडिया के पैकेज के द्वारा इस महाराजा को फिर से महाराजा बनाने का प्रयास किया है।

इसके साथ ही, हमने रेलवे के लिए 20,000 करोड़ के बड़े बजट का प्रावधान भी किया है। रेलवे में जो सुधार हुआ है, उसी का परिणाम है कि during the last five years, that is, from 2016-17 to 2020-21, number of train accidents has shown a continuously decreasing trend. क्या अखबारों में आप कहीं पढ़ते हैं कि रेल दुर्घटना हुई? महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि वर्ष 2016-17 में 104 ट्रेन दुर्घटनाएँ हुई थीं, जबकि वर्ष 2020-21 में यह संख्या घटकर केवल 22 रह गई। यह है नरेन्द्र मोदी जी की सरकार! रेलवे को जनरल बजट के साथ merge कर दिया गया। हमने रेलवे की सुरक्षा के लिए जो प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि जहाँ वर्ष 2016-17 में 104 रेल दुर्घटनाएँ हुई थीं, वे घटकर 22 पर पहुँच गईं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों में रेल दुर्घटना में एक आदमी की भी मौत नहीं हुई है, नहीं तो ऐसा कोई साल नहीं था जब 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग रेल दुर्घटना में नहीं मारे जाते थे। हाँ, कुछ लोग यह कह सकते हैं कि उस समय कोरोना था, वर्ष 2020-21 में कोरोना में ट्रेन चली नहीं, तो लोगों की मृत्यु नहीं हुई, परंतु in 2019-20 when there was no Corona, there was no pandemic, not a single passenger died because of rail accident. यह है नरेन्द्र मोदी जी की सरकार!

महोदय, इस बजट में Rs. 12,000 crore has been given for a major upgrade of stations and Rs.11000 crore for covering the cost of 100 train sets. नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एक और ऐतिहासिक काम किया है। आपको मालूम है कि ये जो ट्रेनें चलती थीं, ये डीज़ल पर चलती थीं, लेकिन सरकार ने यह तय किया कि हम रेल का विद्युतीकरण करेंगे, ताकि डीज़ल की बचत हो और पर्यावरण भी प्रदूषित न हो। As on 1<sup>st</sup> April, 2021, out of 64,689

broad gauge route kilometer का 71 परसेंट हमने electrification कर दिया है। अब भारत की सरकार बहुत जल्द 100 प्रतिशत रेलवे के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। महोदय, उसका परिणाम यह हुआ कि डीज़ल से जो carbon dioxide निकलता था, उसमें कितनी कमी हुई। This has resulted in reduction in emission of 9.99 lakh tonne of carbon dioxide. यानी, करीब 10 लाख टन carbon dioxide को हमने रिलीज़ होने से बचा लिया, जो वायुमंडल में जाकर उसे प्रदूषित करता। We were able to save 10 lakh tonne of carbon dioxide in the year 2019-20. वर्ष 2020-21 में हम कितना carbon dioxide कम कर लेंगे? हम 25.48 lakh tonne of carbon dioxide कम कर लेंगे। महोदय, ये सारी बातें जिस तरह से समाचार पत्रों में आनी चाहिए, उस तरह से नहीं आतीं और लोग कहते हैं कि आपने क्यों merge कर दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया?

महोदय, अब मैं एक और बात फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में हमारे मित्र राकेश सिन्हा जी ने विस्तार से जिक्र किया है। हम अपनी आवश्यकता का यूरिया और डीएपी जैसे फर्टिलाइज़र्स करीब 30 परसेंट से ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं and in this year, 2021-22, we have provided Rs.1,55,000 crore. हमने सब्सिडी के लिए प्रावधान किया है, ताकि किसानों को ऊँचे मूल्य पर यूरिया और डीएपी न खरीदना पड़े। जो लोग किसानों को लेकर आंदोलन करते हैं, मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या यूरिया और डीएपी का दाम बढ़ा? क्या लोगों को यूरिया और डीएपी नहीं मिल रहा है? सर, मैं पाँच मिनट और लेना चाहूँगा। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ा, तो Global fertilizer prices surged roughly 200 per cent. जो फर्टिलाइज़र है, उसके दाम में अंतरराष्ट्रीय बाजार में 200 परसेंट की वृद्धि हुई। उसका कारण यह था कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कोयला और नैचुरल गैस, उसके निर्माण के दो मुख्य आधार थे, उन पर चाइना और रशिया ने प्रतिबंध लगा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि चाइना और रशिया ने जब कोल और नैचुरल गैस के निर्यात को नियंत्रित कर दिया, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर फर्टिलाइज़र के दाम में काफी वृद्धि हो गई। महोदय, उसी का परिणाम है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इसका प्रावधान किया। India raises the subsidy to protect farmers from price shocks. Retail price of a tonne of DAP in India is less than half the global price. अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की जितनी कीमत है, भारत में उससे आधी कीमत पर हम किसानों को देने का काम कर रहे हैं। इसलिए पहले हम 15 ट्रेन्स से फर्टिलाइज़र पहुंचा रहे थे। मैं रेल मंत्री जी और केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स के मंत्री मनसुख भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब हर राज्य के अंदर 30 ट्रेन्स से फर्टिलाइज़र को पहुंचाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का कोई संकट न हो सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय, In November, 2020, under the Atmanirbhar Bharat package, the Government announced additional allocation of Rs. 65,000 crore in 2021 for fertilizer subsidy. As a result, the allocation for 2021 increased from Rs. 71,039 crore to Rs. 1,33,000 crore at the revised stage. महोदय, इस कठिन दौर से पूरी दुनिया गुज़री है और भारत भी किस प्रकार से गुज़रा है, लेकिन मैं सदन को बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर 22 high frequency indicators हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था को नापने के लिए जो 22 मानक तैयार किए गए हैं, उन 22 में से 19 मानकों पर 2019 में जितना लेवल था, उसको पार कर

लिया गया है। अभी स्टील, domestic auto sale and air passenger traffic केवल तीन मानक हैं जहां हम पीछे हैं। आज भी हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कम है। दूसरा, हमें स्टील भी आयात करना पड़ता है। आज auto sale और semi conductor crisis के कारण गाड़ियों के उत्पादन में छह-छह महीने का समय लग रहा है। अगर इन तीन मानकों को छोड़ दें, तो 22 में से 19 ऐसे मानक हैं, पैरामीटर्स हैं, जिनमें 2019 का जो लेवल था, उसको हमने क्रॉस कर लिया है - यह देश की अर्थव्यवस्था है। मैं उन मानकों का नाम बताना चाहूंगा - UPI, Google mobility, merchant imports, e-way bill volume, merchant exports, coal production, rail freight traffic, fertilizer sale, PMI services, power consumption, PMI manufacturing, tractor sales, cement production, port cargo traffic, core industries, index of industrial production, fuel consumption, इन 19 मानकों पर कोविड के पहले हमारी जो स्थिति थी, हमने उसको पार कर लिया है। अभी भी स्टील, air passenger traffic और domestic auto sale - ये तीन मानक बचे हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह भारत की सरकार है, यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है - जहां पूरी दुनिया में विपरीत परिस्थितियों में महंगाई बढ़ रही है, वहीं हमने महंगाई को नियंत्रित करके दिखाया है। जो लोग कहते थे, वे चले गए। चिदम्बरम साहब ने बयान दिया था कि नरेन्द्र मोदी जी, नोट छापिए, आपके पास प्रिंटिंग मशीन है, जितने नोट छाप सकते हैं, छापिए और लोगों को दीजिए। अगर हमने उनकी बात को मान लिया होता, तो आज हमारा inflation का rate 15-20 परसेंट तक पहुंच गया होता। अमेरिका ने यह काम किया कि लोगों को stimulus package बांट दिया, पैसा बांट दिया, एक-एक आदमी को पांच हजार डॉलर, दस हजार डॉलर दिये, तो आज वह 39 साल के highest inflation rate पर पहुंच गया। हमने कोरोना पेंडेमिक का मुकाबला किया। इसके बावजूद भी हमने अर्थव्यवस्था को ठीक दिशा में बढ़ाने का काम किया है।

महोदय, मैं Supplementary Budget, Appropriation Bill के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसमें 2022-23 का वर्ष भारत के लिए और शुभ होगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 के पहले की जो स्थिति थी, हम 2022-23 के अंदर भारत को उस स्थिति में पहुंचाने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

**श्री अरुण सिंह (उत्तर प्रदेश):** सर, निर्मला सीतारमण जी Supplementary Demands for Grants इस सदन के अंदर लाई हैं। इससे पहले अगस्त, 2021 में 23,675 करोड़ रुपये का first Supplementary Demands for Grants आया था। यह 3,73,000 करोड़ का supplementary grants है। हमें यह समझना होगा कि सरकार सदन के अंदर बार-बार इस प्रकार से ग्रांट क्यों ला रही है। महोदय, पूरा विश्व कोविड के दौरान एक संकट से जूझ रहा था और अभी भी जूझ रहा है। जहां पर एक तरफ तो गरीबों की मदद करना, उद्योगों की मदद करना, health infrastructure को और improve करना, वहीं दूसरी ओर अपनी अर्थव्यवस्था को भी बचाए रखना - इस मामले का समाधान बहुत सारे देश ठीक से नहीं कर सके। जब कोविड का संकट भारत में शुरू हुआ, तब हमारे प्रधान मंत्री जी ने समय रहते जिस प्रकार से अनेकों उपाय किए, उन्हीं उपायों का परिणाम है कि आज हम चाहे पहला बजट हो फिर supplementary grants और चाहे यह

supplementary grants हों , इसमें financial provisioning या finance की अधिक डिमांड की गई है। सबसे पहले उन्होंने चिंता की, तो देश के गरीबों की चिंता की, उन्होंने खजाने की चिंता नहीं की। जब कोविड-1 आया, तो 80 करोड़ देशवासियों को सरकार के खजाने से 9 महीने मुफ्त में अनाज देने का काम किया। जब कोविड-2 आया, उस समय भी मोदी जी ने यह नहीं सोचा कि पहले भी हमने 9 महीने गरीबों को अनाज दिया ही था, हमारे खजाने में पैसा है या नहीं है, बल्कि उन्होंने दोबारा निर्णय लिया कि दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में पांच किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज मिलेगा। यह भी निर्णय लिया कि उनको तीन महीने और अधिक अनाज मिलने का काम होगा। इसीलिए आज देश का गरीब प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है और देश का गरीब अगर किसी के साथ खड़ा है, तो देश के प्रधान मंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है।

मान्यवर, यह सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि नेतृत्व कैसा है। आज सामने जो विपक्षी पार्टियों के सदस्य हैं, वे यहां पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी व एनडीए के सदस्य यहां पर भी हैं और दूसरे सदन में भी हैं। जहां भी हमारी पार्टी की सरकारें हैं, वे वहां अच्छा काम कर रही हैं और पार्टी की लगातार ग्रोथ हो रही है। जो भी चुनाव आते हैं, हर चुनाव में लगातार प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व को जनता पूरा समर्थन दे रही है। अभी त्रिपुरा का चुनाव आया, उसमें 334 corporation की सीटें थीं, इन सभी सीटों में सभी विपक्ष - टीएमसी, कांग्रेस आदि सभी मिले और सभी ने नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों का विरोध किया। उसके बाद सभी पार्टियों को मिलकर केवल चार सीटें मिलीं और भारतीय जनता पार्टी को प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 329 सीटें मिलीं। देश की सारी जनता देख रही है कि कौन किस प्रकार से काम कर रहा है और विपक्ष का रुख कैसा है, इनका नेतृत्व कैसा है। हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व ऐसा है, प्रधान मंत्री मोदी जी का नेतृत्व एक सर्वगुण सम्पन्न नेतृत्व है। यह ऐसा नेतृत्व है जिसमें देश के लोगों का भरोसा है, लोगों का विश्वास है और जब मैं भरोसा और विश्वास कहता हूं, तो देश के आगे हमारे समक्ष सभी आंकड़े दिखाई देते हैं। 9 करोड़ गरीबों को गैस कनेक्शन देना और जब कोविड का संकट आया, तो 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में पांच-पांच सौ रुपये की तीन किस्तें देना, उसका भी इसमें प्रोविजन किया गया है। 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में पैसा देने के साथ रेहड़ी और पटरी वालों को भी पैसा देने का काम किया गया। अगर 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से भी देखेंगे, तो पहले 20 हजार करोड़, 25 हजार करोड़ या 30 हजार करोड़ का बजट होता था और अब अगले चार सालों में तीन लाख करोड़ से अधिक खर्च किया जाएगा। इसी प्रकार अगर health infrastructure में देखें, स्वास्थ्य सुविधाओं में देखें, तो यूपीए के समय जो 30-32 हजार करोड़ रुपये खर्च होते थे, मोदी जी के समय में, आज के दिन में, उसको नौ गुना बढ़ाकर ढाई से तीन लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। जब यह खर्चा डालेंगे, तो बजट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता ने जो विश्वास मोदी जी पर किया था, वह विश्वास कायम है, वह भरोसा कायम है। आप इसका सीधा-सीधा उदाहरण देखिए - जब मैं विश्वास की बात करता हूं, तो यहां पर विपक्ष के लोग नहीं हैं, वे 2014 से लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन 2014 में प्रधान मंत्री मोदी जी के नाम पर वोट मिले। हमें जो 2019 में वोट मिले, 2014 के इलेक्शन के मुकाबले 2019 में, उनके नाम पर पाँच करोड़ से अधिक वोट मिले। यह विश्वास और भरोसा जनता को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पर है। हमारे मित्र कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में पाँच करोड़ वोट

और अधिक मिलेंगे। यह मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि भारत के खजाने को मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए समर्पित किया है, इसलिए जनता को उन पर भरोसा भी है और विश्वास भी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, नेतृत्व में एक क्षमता और होनी चाहिए और वह निर्णय लेने वाला नेतृत्व होना चाहिए, इधर-उधर देखने वाला नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा नेतृत्व होता था, जो कोई निर्णय ही नहीं लेता था। आज चिदम्बरम जी और डा. मनमोहन सिंह जी यहां पर नहीं हैं, लेकिन उस समय 28-28, 29-29 कमेटियां बनती थीं, एक निर्णय लेने के लिए पाँच कमेटियां बनती थीं - हर सदस्य ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 20-20 कमेटियों का सदस्य होता था, फिर भी कोई निर्णय नहीं लिया जाता था। एक निर्णय के लिए दूसरी कमेटी, दूसरे निर्णय के लिए तीसरी कमेटी होती थी, निर्णय न लेना ही यूपीए सरकार का सबसे बड़ा निर्णय था। अब मोदी जी की सरकार है, जब आर्थिक पक्ष पर निर्णय लेने की बात आई, जीएसटी पर निर्णय लेने की बात आई, क्योंकि एक देश में एक कर होना चाहिए - अगर विश्व के सबसे बड़े कर-सुधार का कोई निर्णय लिया गया, तो वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लिया गया। अब उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है - एक लाख, तीस हजार से एक लाख, पैंतीस हजार करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में पर-मंथ कलेक्शन हो रहा है। मैं तो \* से कहना चाहूंगा कि आपने उस वक्त गब्बर सिंह टैक्स कह कर जीएसटी को बदनाम किया था, इसके लिए आपको देशवासियों से माँफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, वह गरीबों के लिए मकान बनाने पर खर्च हो रहा है। अगर जीएसटी के रूप में कलेक्शन हो रहा है, तो वह गरीबों को सुख-सुविधा देने पर खर्च हो रहा है, इसलिए उनको देशवासियों से माँफी मांगनी चाहिए। जब इस प्रकार का कोई भी निर्णय लेने की बात आई, तो मोदी जी ने एक मिनट के लिए भी उसे किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाया, न भटकाया और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पर निर्णय लेने का काम किया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब नेतृत्व की बात आती है, तो यह बात आती है कि नेतृत्व कैसा है, वह त्यागी और तपस्वी है या नहीं है, उस पर जनता को विश्वास है या नहीं है। \*को देखकर तो कोई भी व्यक्ति त्यागी और तपस्वी नहीं बोल सकता है। यहां पर सात साल का समय हमारी सरकार को चलते हुए हो गया है, लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार पर एक रुपये का भी कोई आरोप नहीं लगा है, यह प्रधान मंत्री जी की सरकार की विश्वसनीयता है। अगर ऐसा यूपीए के समय में हुआ होता, तो क्या होता? जल में, थल में, नभ में, तीनों ही जगह घोटाले ही घोटाले होते थे, वे 2जी, 3जी सहित हर जगह पर घोटाले ही घोटाले करने का काम करते थे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी को सरकार चलाते हुए सात साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। दूसरी तरफ हमारे सामने वाले\* जब सदन चलता है, तो पता नहीं वे बाहर कहां चले जाते हैं, देशवासियों को पता ही नहीं रहता है कि वे कहां पर घूम रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर नेतृत्व भरोसेमंद हो, विश्वसनीय हो, लोकप्रिय हो और अगर नेतृत्व त्यागी और तपस्वी हो, तो हर चीज़ सही होती है। हमें यह

---

\* Expunged as ordered by the Chair.



नेतृत्व प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के रूप में मिला है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि ऐसा नेतृत्व दस-बीस साल में नहीं मिलता है, मोदी जी जैसा नेतृत्व 100 साल में एक बार ही मिलता है, जो प्रधान मंत्री जी के रूप में देश को मिला है। हम सबको उन पर गर्व है। यह जो बजट में एडिशनल रिक्वायरमेंट आई है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि देशवासियों को जो अनाज दिया गया है, उस अनाज को देने के लिए 49,805 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इससे उनको अनाज दिया जाएगा, अनाज की स्टोरेज होगी, यह रकम इसके लिए रखी गई है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, किसानों की बात तो सब करते हैं। अभी किसानों के नाम पर विपक्ष के लोगों ने कितना हंगामा किया, यहां भी किया और वहां भी किया। उन्होंने देश में हंगामा किया, तो देशवासियों ने तो उनकी बात को नहीं माना। जितनी भी जगह पर चुनाव हुए, स्थानीय निकाय से लेकर कोई भी उपचुनाव हों, उनमें विपक्ष के लोगों को हार का ही मुंह देखना पड़ा है। सदन के अंदर चार-छह या दस लोगों का मिलकर इस प्रकार से हंगामा करना कितनी अशोभनीय बात है! इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बाहर आकर अपनी बात रख सकें, क्योंकि उनके पास कोई दम ही नहीं है। उनके पास न तो कोई नीति है, न ही कोई नीयत स्पष्ट है, लेकिन वे सदन में इस प्रकार से जो हंगामा करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। यूपीए सरकार के ये ही लोग थे, इन्होंने किसानों के नाम पर क्या किया था? अगर इन्होंने किसानों का भला किया होता, तो किसानों के account में मोदी जी को पैसा डालने की जरूरत क्यों पड़ती? ये प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, जो गरीबों के account में सीधा पैसा डालने का काम कर रहे हैं। यह काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस account में पैसा तब डालती, जब उसने किसानों के account खोले होते। इन्होंने उनके account खोलने का काम ही नहीं किया। देश की आजादी के बाद इन्होंने छह दशकों तक राज किया, अगर इन्होंने Soil Health Card की चिंता की होती तो आज Soil Health Card बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? यदि इन्होंने एमएसपी के दाम बढ़ाए होते, तो मोदी जी को एमएसपी के दाम डेढ़ गुना लागत से बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? अगर इन्होंने देश में warehouse का निर्माण किया होता तो warehouse बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? अगर इन्होंने food processing centres बनाए होते, तो इनको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? वास्तव में कांग्रेस ने छह दशकों तक तो राज किया, लेकिन अगर देखा जाए कि इन्होंने किसानों के नाम पर क्या काम किया, तो आपको zero मिलेगा। उन्होंने इससे अधिक कुछ काम नहीं किया। इधर मोदी जी हैं, जिन्होंने जब खाद के दाम बढ़ने लगे, जब इंटरनेशनल लेवल पर दाम बढ़ने लगे - हमारे मंत्री रुपाला जी भी इधर बैठे हैं, मैं इन्हें बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने देश के किसानों से कहा कि बाहर के, विदेशों के, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान भाइयो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, DAP का जो भी दाम बढ़ेगा, हम उसको सरकार के खजाने से देंगे और उसको सरकार के खजाने से देने का काम भी किया है। इन्होंने जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है, उस फर्टिलाइज़र सब्सिडी का जो एडिशनल फंड जा रहा है, उसको इसमें डालने का काम किया है।

महोदय, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, तो ये लोग फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए क्या करते थे? आप उस समय का ध्यान कीजिए, जब श्री चिदम्बरम जी थे। उस समय फर्टिलाइज़र सब्सिडी का जो बजट आता था, उसको अंडर प्रोविज़निंग किया करते थे। जो बजट बनता था, उसमें उसको दिखाने का प्रोविज़न ही नहीं डालते थे, बल्कि अंडर प्रोविज़निंग का काम करते थे। जैसे अभी श्री सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे थे कि जब फर्टिलाइज़र सब्सिडी की देनदारी

अधिक हो जाती थी, तो फ्यूचर के लिए अपना ऑयल बाँड जारी करते थे। ये लोग इस प्रकार का काम करना, अंडर प्रोविज़निंग करना, बजट में सही तरीके से नहीं दिखाना, ऑयल बाँड जारी करना आदि करते थे, लेकिन ये श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश के गरीब किसानों से कहा कि, आप चिंता मत करो, अगर डीएपी 2,400 रुपये पर बैग देने का भी काम होगा, तो हम देंगे और उन्होंने इसको दिया भी। इसलिए अगर आज देश के किसान किसी के साथ खड़े हैं, तो वे विश्व प्रिय नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ खड़े हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, अभी सुशील भाई इन्फ्लेशन की बात बोल रहे थे, मैं भी उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। आज ये लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ये लोग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि यही सदन था, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी थे और चिदम्बरम जी भी थे, जब 2008 और 2009 में लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तब उन्होंने इसी सदन के अंदर स्टेटमेंट दी थी। वह केवल बढ़ ही नहीं रहा था, बल्कि डबल डिजिट पर 12, 13, 14 परसेंट तक जा रहा था। उस समय उन्होंने सदन में कहा था कि हम इस सदन में कहते हैं कि सौ दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे। लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, बल्कि उनके कहने के बाद महंगाई और बढ़ती चली गई। यह यूपीए के समय की स्थिति थी, लेकिन आज प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में छह, साढ़े छह साल तक इन्फ्लेशन लगातार कंट्रोल में है। यह 2 परसेंट, 3 परसेंट, 4 परसेंट से अधिक नहीं रहा। अभी महंगाई थोड़ी बढ़ी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह महंगाई थोड़ी ही बढ़ी है, पर धीरे-धीरे कंट्रोल में आ जाएगी और आ भी रही है। ऐसा क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि यहाँ जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, उसकी नीयत साफ है और वे लोगों के साथ खड़े हैं, इसलिए यह सब भी हो जाएगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आज देश की स्थिति कितनी अच्छी है। आज पूरे विश्व की निगाह भारत की ओर है। आज investment के मामले में भारत को सबसे बड़े attractive destination के रूप में देखा जा रहा है। पहले जब यूपीए की सरकार थी, तो कई मंत्रीगण बैठकर आपस में discussion करते थे, proposal बनाते थे, foreign में marketing करते थे कि विदेश से पैसा ले आएं। अगर 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखते थे, तो उन्हें मार्केटिंग करने में 10 प्रतिशत पैसा भी नहीं मिलता था। आज स्थिति यह है कि फॉरेन investors एक ही चीज़ देखते हैं कि मोदी जी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी का परिणाम है कि देश में सबसे अधिक record inflow एफडीआई आ रहा है। फॉरेन रिज़र्व भारत का अभी तक का सबसे हाइएस्ट है, जो करीब 609 बिलियन डालर्स के करीब है। यह थोड़ा घटता-बढ़ता रहता है।

विश्व के समुदाय को यह मालूम है कि मोदी सरकार के समय में ट्रांसपेरेंसी है, यह निर्णय लेने वाली सरकार है और यह रिफॉर्म करने वाली सरकार है। यह सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है, सबका साथ देने वाली सरकार है, सबका विश्वास और सबका विकास तथा सबके प्रयास से चलने वाली सरकार है। यह ऐसी सरकार नहीं है जहाँ पहले रोज कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगते थे, जैसे यूपीए के समय में होता था। यूपीए के समय में 2जी, 3जी या अन्य कोई योजना पर निर्णय होता था, तो लोग कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाते थे और जेल जाते थे। उस समय जो सर्वे हुआ, उसके मुताबिक दस में से नौ लोग यह कहते थे कि इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्थान नहीं है। लेकिन आज के दिन सब लोग यही कहते हैं कि अगर best place

for the investment कहीं है, तो भारत में है। इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व का यह परिणाम है कि बाहर से लोग आकर यहां निवेश कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, अभी देश में माहौल बहुत अच्छा है। आज देश आगे बढ़ रहा है और infrastructure का चारों ओर निर्माण हो रहा है। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि infrastructure सेक्टर में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे - इस बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यूपीए के समय में तो 15-16 लाख करोड़ रुपए का बजट आता था और हमारी सरकार में अभी तक 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहा है। अगले पांच सालों में infrastructure पर 100 लाख करोड़ रुपए इस सेक्टर में खर्च होंगे। आज आप चारों ओर जाकर देखिए, जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, उसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस समय एनएचएआई और अन्य माध्यमों से देश में सड़कों का निर्माण हो रहा है। यूपीए के समय में आए दिन अखबारों में मिस्टर 15 परसेंट-मिस्टर 15 परसेंट की ही खबरें आती थीं। हम लोग भी उस समय यह पढ़कर और देखकर चौंकते थे कि यह मिस्टर 15 परसेंट क्या बला है, तो पता चला कि 15 परसेंट कमीशन देने के बाद रोड सेंक्शन होती थी। हमारी सरकार पर पिछले सात सालों में एक रुपए का भी आरोप नहीं लगा है, पूरा का पूरा पैसा खर्च हो रहा है।

महोदय, देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत हो। अभी हमारे मित्र सुशील कुमार मोदी जी ने इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए बताया कि एयर इंडिया के लिए 62,000 करोड़ रुपए ईक्विटी इन्फ्यूजन के लिए रखे गए हैं। अगर प्राइवेट एयरलाइंस प्रॉफिट कमा रही हैं तो सरकारी कम्पनी क्यों लॉस में जा रही थी, इसके पीछे कुछ तो कारण होंगे। इस देश में सबसे अधिक समय तक किसने राज किया, यह सबको पता है। यह घाटा इसलिए हुआ कि उस समय कोई एयरलाइन खरीदी जाती थी, तब भी गोलमाल होता था। देखा जाए तो हर चीज़ में घोटाला होता था। उसका नतीजा यह हुआ कि मिस-मैनेजमेंट के कारण धीरे-धीरे घाटा होने लगा और फिर इतना बड़ा लॉस हो गया। इसलिए इसमें प्रोविज़न करके भविष्य के लिए परमानेंट सेटलमेंट करने का काम हो रहा है।

महोदय, इसी तरह से पुलिस के लिए भी अलग से डिमांड रखी गई है। वास्तव में देखा जाए तो police personnel की स्थिति बहुत खराब है। उनके लिए ढंग से रहने के लिए मकान नहीं हैं और उनके पास अच्छे equipments नहीं हैं। इस सरकार ने उन्हें मॉडर्न equipments भी दिए, हथियार भी दिए और अलग-अलग रहने के लिए अच्छे आवास की व्यवस्था की। इन सबके लिए 5,000 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए और 4,000 करोड़ रुपए पुलिस के लिए दिए जाने का प्रावधान है। यह बहुत अच्छी बात है और हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि यह होना भी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बजट बढ़ने का एक कारण और भी है। जब कोविड का संकट आया, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि यह अकल्पनीय था, लोगों को इसकी कल्पना भी नहीं थी। भारत में तो इसकी वैक्सीन बनती नहीं थी, विदेशों में बनती थी, क्योंकि भारत में तो पहले रिसर्च पर पैसा ही खर्च नहीं किया जाता था। अब तो रिसर्च के लिए बजट में पूरा पैसा सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। जब कोविड आया, तो प्रधान मंत्री मोदी जी ने अप्रैल, 2020 में ही Task Force बना दिया। Scientists के साथ लगातार बैठक करना, उनको धन उपलब्ध कराना, उनको जिस मदद की जरूरत होती थी, उन्होंने उसको देने का काम किया है। उन्होंने लगातार, constant

meeting करने का काम किया है, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है, कंपनी को प्रोत्साहित करने का काम किया है। यह अकल्पनीय था, कभी किसी ने सोचा नहीं था। पहले तो इंडिया में वैक्सीन 10-15 सालों में आती थी, जब बाहर demand खत्म हो जाती थी। इस बार ऐसा हुआ, मैं तो कहूँ कि यह चमत्कार ही है और मोदी जी के कारण ही ऐसा हुआ है कि भारत में 9 महीने के अन्दर दो वैक्सींस आ गईं। कोविड की दो वैक्सींस भारत में बनीं। यह इसीलिए हुआ कि लगातार उनके साथ मीटिंग करने का काम, लगातार उनको प्रोत्साहित करने का काम मोदी जी ने किया। जब बजट की बात आई, तो लोग कहते थे कि पहले 45 साल से ऊपर वालों का free में vaccination कर दो। फिर कुछ राज्य थे, जहाँ विपक्षी पार्टी, कांग्रेस की सरकारें थीं, जैसे राजस्थान इत्यादि में इन्होंने कहा कि वैक्सीन हम मँगाएँगे। उनको 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो उन्होंने 18 या 20 करोड़ रुपए का एक चेक बाहर भेज दिया और कहा कि हम वैक्सीन खरीदेंगे। इसकी demand कितनी है, उनको कल्पना ही नहीं थी। जब बाहर वैक्सीन मिलेगी ही नहीं, तो हम मँगाएँगे कहाँ से! लेकिन दिखाने के लिए हमारी कई विपक्षी पार्टियों ने कहा कि हम बाहर से वैक्सीन मँगाएँगे, हम मुफ्त में लगाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे उनके हौसले पस्त हो गए। पीएम साहब तो जानते थे कि यह संभव ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कर लो, जहाँ विपक्ष की सरकार है, आप मँगाना चाहते हो, तो मँगाओ। लेकिन वे fail हो गए और नहीं मँगा पाए। उन्होंने पैसा भेजा, तो भी यह नहीं मिल पाया। पैसा कितना भेजा! जहाँ 100 रुपए भेजने हैं, वहाँ 5 रुपए भेजने का काम किया। तब उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने निर्णय लिया कि देश के खजाने से कितना भी पैसा लगता हो, लगे, इस Supplementary Budget में कितना भी पैसा रखना हो, रखें, लेकिन 18 साल से अधिक की उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी और सवा सौ करोड़ से अधिक doses दी जा चुकी हैं। क्या कोई ऐसा निर्णय कर सकता है? अगर कांग्रेस के समय में 6 दशक में एक भी ऐसा निर्णय किया गया हो, तो उनको बताना चाहिए, लेकिन वे बताएँगे नहीं, वे walk out कर रहे हैं। वे इसीलिए walk out कर रहे हैं कि अगर हम विषयों पर चर्चा करेंगे, तो उनको भी बताना पड़ेगा कि 6 दशक में उन्होंने क्या किया है। इसलिए इससे बढ़िया है कि हंगामा करके बाहर चले जाओ, जिससे कुछ बताना न पड़े। इसीलिए विपक्ष के लोग बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर तर्क नहीं रख रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि उनको जनता की नब्ब मालूम है। वे जनता के बीच जाते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। जब विपक्ष वाले भी public meeting में मोदी जी की बात करते हैं, तो वहाँ तालियाँ बजती हैं। उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो वे बताते ही नहीं हैं, इसलिए जनता उनको reject करती चली जा रही है। यह स्थिति पूरे देश की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो supplementary grants हैं, लगातार बजट बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, पूरे 34 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह अच्छा है, यह धीरे-धीरे बढ़ना ही चाहिए और हमें इसको sanction करना ही चाहिए। बाकी विषयों के ऊपर जफर जी बोलेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही एक बात कहना चाहता हूँ कि यह देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि स्वामी विवेकानन्द जी ने जो कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, यह सामने दीवार पर साफ दिख रहा है कि यह शताब्दी माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की होगी और भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Next speaker is Shri Syed Zafar Islam.

**श्री सैयद जफर इस्लाम** (उत्तर प्रदेश): सर, आपका भी धन्यवाद है और हमारी पार्टी के लीडर्स का भी धन्यवाद है, जिन्होंने आज मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है। यह साल का आखिरी महीना है और हम कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से इस pandemic से बाहर निकल चुके हैं। We are feeling much more comfortable than we were feeling two years ago. The first and second waves may be behind us, but their impact is still being felt across the globe. It has hit the world economy. Every country is feeling its impact and India is no exception. But I must give compliment to our hon. Prime Minister that he has always taken initiative, understood the situation and taken decision which was definitely going to help the poor and the marginalized section of the society. Sir, extraordinary times require extraordinary decisions and during this time, especially, after the pandemic, our hon. Prime Minister and our Government has taken extraordinary measures and that has clearly helped the people, like, large allocations have been made through *Aatmanirbhar* packages to provide ration to marginalized sections of the society. And, also several other measures have been taken which has helped the poor and marginalized sections of the society.

सर, हमारी सरकार का फोकस शुरू से यही रहा है कि बजट तो बढ़ाते हैं, लेकिन बजट बढ़ाने का मकसद होना चाहिए और हमारा मकसद ऐसा है कि उसका बेनिफिट समाज में आम लोगों को होना चाहिए। चाहे वे किसान हों, यदि आप किसानों को देखें तो हमने यूरिया के दाम नहीं बढ़ाये। आज के दिन यूरिया के दाम 2,400 रुपये हैं, लेकिन हम अभी भी 1,200 रुपये में दे रहे हैं और उसमें हमने 72,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है।

अभी हमारे मित्र सुशील जी और अरुण सिंह जी दोनों एयर इंडिया के बारे में कह रहे थे। यह अफसोस की बात है कि एयर इंडिया हमें जिस हालत में विरासत में मिला, आज सरकार को उसके लिए 62,000 हजार करोड़ रुपये की equity देनी पड़ी, चूंकि एयर इंडिया totally mismanaged था। जब Indian Airlines और Air India दोनों बिल्कुल अलग एयरलाइंस थे, तो उनको एक साथ नहीं करना चाहिए था, despite the recommendation not to merge the two airlines, they still have been merged और उसके consequences आज हम देख रहे हैं कि देश को उसका क्या नुकसान हुआ है। श्री अरुण सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि तब इतने प्लेन्स को नहीं खरीदना था, केवल 10-12 प्लेन्स खरीदने थे, लेकिन जो 111 प्लेन्स खरीदे गये, उसके पीछे क्या मोटिव था? चूंकि मैं बोर्ड में रह चुका हूं, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वह मोटिवेटेड डिसेज़न था और आज अपोज़िशन में बैठकर जो लोग हंगामा कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए था कि उनके मोटिवेशन से और लालच से देश को कितना नुकसान हुआ है।

महोदय, चूंकि समय कम है, Sir, I just want to discuss about the state of Indian economy. In fact, Sushilji had mentioned about this; the various parameters he was talking about; how the parameter is being shown today, what it was prior to 2019 before the Covid. आज हम देखते हैं कि जितने भी हाई फ्रीक्वेन्सी डेटा हैं, हर हाई फ्रीक्वेन्सी डेटा में यह दिखता है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से पटरी पर वापस आई है और केवल वापस ही नहीं आई है, बल्कि तेज़ी से दौड़ रही है। यदि हम दुनिया के साथ कम्पेयर करें तो आज हमारी अर्थव्यवस्था जाहिर है कि विश्व में चौथे-पांचवे स्थान पर है, लेकिन जिस रफ्तार से यह आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए हमारा जो पांच ट्रिलियन डालर का लक्ष्य है, वह भी पार होगा और मुझे लगता है कि 2035 तक हमारी जितनी बड़ी मार्केट है, जिस तरह से investments हो रहे हैं और जिस तरह से बाकी चीज़ों की डिमांड दिख रही है, इन सबके मद्देनज़र हमारी अर्थव्यवस्था 2030 से 2035 के बीच दुनिया की तीसरी largest economy बन जाएगी, जो सिर्फ United States और China के पीछे होगी। इस दिशा में जाने के लिए और इस स्थिति में लाने के लिए किसका योगदान है? हम जब एक ऐसी खराब सिचुएशन में थे, जब हम pandemic से गुजर रहे थे, तब लोगों ने कहा कि fiscal stimulus देना चाहिए, दिल खोलकर fiscal stimulus दो, पैसा छापो और लोगों में बांटो, लेकिन उससे inflation का भी खतरा था। तब आदरणीय प्रधान मंत्री जी had taken a decision that he will not spend beyond his means. यानी जितनी चादर है, उससे ज्यादा पैर नहीं फैलायेंगे, Fiscal stimulus policy measures के through करेंगे और important long term decisions लेंगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसका फायदा हो सके। हमने देखा कि प्रधान मंत्री जी ने जो भी फैसले लिए, 'आत्मनिर्भर' पैकेज के द्वारा और बाद में जो पॉलिसी मेज़र्स लिए, he always ensured one thing that he will not spend beyond the country's means and he will not punch above its weight. That means, Sir, कि उन्होंने कोई भी ऐसा डिजीज़न नहीं लिया, लाख लोगों ने उन पर प्रेशर डाला, लेकिन उन्होंने वैसे ही फैसले लिये, जो देश हित में थे। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वह सिर्फ पटरी पर ही नहीं है, बल्कि वह बहुत sound economy है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने उस वक्त जो भी फैसले लिये, वे फैसले अच्छे दिख रहे हैं। महोदय, अभी हमने देखा कि हमारे कुछ मित्रों ने रेलवेज़ के बारे में बात की। मैं कह सकता हूँ कि आप 1970 से Railway Budgets को उठाकर देख लीजिए। Railway Budgets का primary focus और objective यह होता था कि मेम्बर्स रेलवे मिनिस्टर के पास अपनी-अपनी requests डाल देते थे और रेलवे मिनिस्टर एक ही रेलवे बजट में कहते थे कि और नये-नये locomotives start करेंगे। अगर आप back testing करें, तो आपको लगेगा कि 1975 के बाद जितनी trains के बारे में announcement की गयी है, उनमें से कोई भी ट्रेन आज नहीं चल रही हैं। बहुत सारी ट्रेनें आज तक नहीं आयीं, लेकिन हर बजट में उनके लिए announcement हुआ, तालियाँ बजीं, गुहार हुईं, सब कुछ हुआ, परन्तु काम कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से ट्रेन की जो स्पीड है, उसकी average speed घट कर 40 हो गयी। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि congestion पर कभी focus नहीं किया गया, infrastructure develop करने के लिए कभी focus नहीं किया गया। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इस पूरी प्रॉब्लम को समझा और इसके बाद उन्होंने एक ऐसा रेलवे बजट दिया, जो ऐतिहासिक है। अगर किसी ने उसको सही से पढ़ा होगा, तो उसमें देखा

होगा कि it is a complete deviation from the earlier Budgets which were being presented, क्योंकि earlier Budgets में locomotive पर focus होता था, इस बात पर फोकस होता था कि और ट्रेनें जोड़ी जायेंगी - पटरियाँ नहीं बढ़ायी जायेंगी, ट्रेनें जोड़ते जायेंगे, जैसे कि वे हवा में चलती हैं - लेकिन वह कोशिश थी, जो कभी साकार नहीं हुई, वे ट्रेनें नहीं आयीं, लेकिन हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया, उसमें इसने बहुत कोशिश की, उसमें बहुत focus रखा। इसने तय किया कि 12 per cent allocation congestion खत्म करने के लिए रहेगा।

महोदय, अगर आप देखें, हम यूपी के हैं - मैं भी यूपी का हूँ, आप भी यूपी के हैं - अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें, तो आपको पता है कि वहाँ सिर्फ एक stretch में, Allahabad to Kanpur के stretch में congestion से देश को कितना नुकसान होता है। आपको शायद इसका अंदाजा भी नहीं होगा। सिर्फ इस एक stretch में ही जो congestion है, उससे देश की ट्रेन की स्पीड पर 20-25 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। अगर एक बार ट्रेन पूरी स्पीड से चले - वह 40 की average speed से चलती है - अगर वह 80 की स्पीड से चले, तो जितना tonnage है, वही double हो जाएगा, तो इससे हमारी income कितनी बढ़ जायेगी, मुझे नहीं मालूम। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने उस चीज़ को समझते हुए congestion के लिए बजट का 12 per cent allocation किया - कोई नयी ट्रेनें नहीं आयेंगी, लेकिन infrastructure develop करेंगे, पटरियाँ बढ़ायी जायेंगी, नये tracks lay करेंगे, उसके लिए बजट का allocation किया। साथ ही, अन्य जो बहुत सारी सुविधाएँ चाहिए थीं, modernisation चाहिए था, electrification चाहिए था, उन सब चीज़ों पर ज्यादा फोकस किया, ताकि ट्रेन की स्पीड बढ़े और जो freight है, उसकी ज्यादा से ज्यादा दुलाई हो पाये, ताकि overall revenue रेलवे से बढ़ता रहे, यह फोकस हमारी सरकार का रहा है। आज हम यह कह सकते हैं कि Indian Railways काफी तेजी से modernisation की तरफ जा रही है, जो infrastructure development होना चाहिए था, जो सुविधाएँ बढ़नी चाहिए थीं, वे बढ़ रही हैं तथा जो नये tracks lay करने थे, वह कर रही है और साथ ही साथ जो electrification करना था, वह भी करने में कामयाब हो रही है। मुझे लगता है कि अगर यह कोरोना नहीं आया होता तो यह 2022 तक का जो टारगेट था, लेकिन कोरोना ने थोड़ा सा delay किया - इसने पूरी दुनिया को delay किया है, तो यहाँ पर भी थोड़ा delay होगा, लेकिन 2022 के बाद 2023-24 तक Indian Railways के revenue में quantum jump होगा, because of the decision taken by the hon. Prime Minister presenting a Budget which was a complete deviation and focussed on something which has always been acknowledged, but never been focused. हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उस पर फोकस किया।

उसी तरह से अगर आप देखें, तो जितने आत्मनिर्भर पैकेजेज announce किये गये, आत्मनिर्भर पैकेजेज में बहुत सारी चीज़ें आयीं। इसमें policy measures आये - policy measures छोटे businesses के लिए और बड़े businesses के लिए। अगर आप इस साल का बजट देखिए, तो infrastructure development के लिए साढ़े 5 लाख करोड़ रुपये आये, health-care के लिए all-time high Budget आया। तो हमारी सरकार की मंशा क्या है - हमारी सरकार की मंशा यह है कि जो भी बड़े फैसले लेते हैं, long-term decision लेते हैं, जब उस पर decision लेते हैं, तो उसमें one has to inject funds as well. जब वह फंड हम inject करते हैं, तो जाहिर

है कि वह बजट में दिखेगा और उसमें Budgetary allocation होगा। लेकिन उसकी जो सफलताएँ हैं, वे हम आज देख पाते हैं, economy में जो तेजी आ रही है, उससे हम देख सकते हैं। अगर रेलवे का बजट चेंज किया गया, तो उससे रेलवे में जो improvement आ रही है, वह हम देख सकते हैं। अगर आम नागरिक को देखें, तो उसको मजबूत करने का जो इरादा आदरणीय प्रधान मंत्री जी का है कि empowering the people of this great country, वह साफ दिखता है। हमने जो इतनी सारी schemes बनायीं, welfare schemes बनायीं, उन सब का benefit आम आदमी को मिल रहा है and he feels empowered because there is a Government which is focussing on their needs and ensuring that they are being empowered और उनका हाथ थाम कर उनको आगे की तरफ लाने और मजबूत करने का काम आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने सारी welfare schemes और अन्य सारी schemes के through किया है। अगर आप देखें, तो दुनिया में Indian economy के बारे में किस तरह से सोचा जाता है। मैं 2012-13 में दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में गया। वहाँ पर मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता था, being a banker लोग मुझसे सवाल पूछते थे। वे यह नहीं पूछते थे कि Indian economy में कैसा रहा, बल्कि यह पूछते थे कि policy paralysis कब खत्म होगा, यह सरकार कब जाएगी, दूसरी सरकार कब आएगी ताकि देश में कुछ काम हो सके। आज आप उस वक्त के सारे पैरामीटर्स उठा कर देखिए, सारे micro-economic indicators देख लीजिए और आज का देखिए, तो आपको एहसास होगा कि देश की सरकार में लोगों का confidence बढ़ा है। यहाँ के लोगों का विश्वास अपनी सरकार में बढ़ा है और दुनिया की जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका विश्वास हमारी economy में बढ़ा है, हमारी लीडरशिप के प्रति बढ़ा है। बहुत सारे structural reforms, जिनके बारे में लोग यह सोचते थे कि इनको हमारी सरकार नहीं कर पाएगी, हमने वे सारे structural reforms किए। उनके नतीजे भी सामने हैं। हमने जीएसटी जैसा reform किया, आज उसका फायदा दिख रहा है। आज जीएसटी के तहत हर साल कलेक्शन बढ़ रहा है। जो informal economy है, वह धीरे-धीरे formal economy की तरफ जा रही है। हमने जो टैक्स रेट कम किया था, उससे participation rate बढ़ रहा है। जहाँ तक नौकरियों की बात है, हमारे पास जो demographic dividend है, उसके अनुसार हम यह जानते हैं कि 2030 तक दुनिया में सबसे ज्यादा working age population हिन्दुस्तान में होगी, सबसे ज्यादा skilled labor हिन्दुस्तान में होगा, इसलिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जो भी डिजीजन्स लिये, वे शॉर्ट टर्म view से नहीं लिये। आप बाकी दुनिया में देखिए, जैसे आपने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने पैसे बाँट दिए, तो inflation आ गया। हमने कभी ऐसे कोई डिजीजन्स नहीं लिए, जिससे कि केवल शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो और इसका लॉग टर्म में कोई impact न हो। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने हर वे फैसले लिए, जिनमें लॉग टर्म बेनिफिट हो। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए criticism हुआ हो, लेकिन उन्होंने इस देश को मजबूत करने में लॉग टर्म के लिए जो भी फैसले लिए, उनसे फायदा हुआ है।

सर, मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दुनिया की नज़रों में हिन्दुस्तान एक brightest spot in the global economy है। उसकी वजह सिर्फ एक है और वह लीडरशिप है। ऐसी लीडरशिप, जो बिल्कुल clarity से यह जानती है कि हमें कोई भी फैसला लेना है, no matter how many times I have been criticized, no matter who criticizes me, no matter



whether they walk out of the Parliament, but we will always take decisions which will work for our nation and people of our great country. Thank you.

**डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र) :** आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, देश की वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो Appropriation Bill लायी हैं, मैं उसके समर्थन में कुछ बिन्दु सदन के सामने रखना चाहता हूँ। वैसे सामने विपक्ष की बेंचेज़ खाली हैं, मगर मैं मानता हूँ कि सदन में निश्चित रूप में देश की प्रगति और देश जिस पद्धति से आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में एक समाधान का वातावरण है। ऐसी स्थिति में आज दिन भर इस सदन ने जो देखा, मैं मानता हूँ कि यह एक संघर्ष है, संदेह बनाम विश्वास का और यथास्थिति बनाम परिवर्तन का, क्योंकि जनतंत्र में हर पाँच साल के बाद चुनाव होते हैं - यह तो है ही, मगर जो चुनाव होते हैं, वह चुनाव के लिए चुनाव नहीं होते - जब लोगों को परिवर्तन का एक अवसर दिया जाता है, अगर वे चाहें, तो वे परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे में जनतंत्र की संकल्पना में ही परिवर्तन अंतर्निहित है। मगर जो परिवर्तन चाहते ही नहीं थे और यथास्थितिवाद को बनाये रखना चाहते थे, ऐसे लोगों को आज विपक्ष में बिठाया गया है। मैं मानता हूँ कि उनकी यथास्थिति वहीं पर रहे, वे लगातार विपक्ष में ही रहें, इसी में देश की भलाई है। आज के पूरे घटनाक्रम को जिसने भी देखा होगा, वे यही मानते होंगे। मैं यह जो कह रहा हूँ, इसका कारण यह है कि मैं सोच रहा था कि हमारा पिछला सेशन भी इसी तरीके से washout हो गया, यह सेशन भी लगभग washout होने के कगार पर है। पता नहीं, आगे क्या होगा? हमारे सदन को चलने न देने के बारे में इनकी भूमिका क्या होगी? जब मैं एक राजनीति शास्त्र के छात्र के रूप में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि जनतंत्र और विशेष रूप में संसदीय जनतंत्र विफल ही होना है, सफल हो ही नहीं सकता - यह इनको अपने तरीके से बताना था।

**5.00 P.M.**

जनतंत्र का उपयोग करते हुए जनतंत्र को परास्त करने की इनकी जो रणनीति थी, इनका जो षड्यंत्र था, आज हमने उसी का एक बहुत ही वीभत्स रूप देखा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जनतंत्र का संबंध विकास के साथ है, विकास का संबंध परिवर्तन के साथ है, मगर ये चाहते ही नहीं हैं। इसके लिए लम्बा इतिहास देखने की जरूरत नहीं है, मगर जनतंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने की जो कोशिश होनी चाहिए थी, वह उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी की ही नहीं। इन्हीं के दल की एक पूर्व प्रधान मंत्री ने तो कहा था कि जनतंत्र में करप्शन तो होता ही है, इसमें क्या बड़ी बात है! यह उस जमाने में उनका बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट था। तो करप्शन भी चलता रहे, घरानेशाही भी चलती रहे और फिर भी हम जनतंत्र का केवल नाम लेते रहें, ऐसा खोखला जनतंत्र तो देश नहीं चाहता था। मैं देख रहा था कि जिन्होंने आज सभागृह में वॉकआउट किया और तरह-तरह की बाकी बातें कीं, उनमें लगभग हरेक दल ऐसा है, जो एक घरानेशाही के प्रति समर्पित है और निश्चित रूप से, घरानेशाही जनतंत्र का कोई विकल्प तो नहीं हो सकती है। मैं मानता हूँ कि ऐसी सारी स्थितियों में देश को यह पता है कि अगर जनतंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने का काम किसी के कार्यकाल में हुआ है, तो वह अभी विगत सात-साढ़े सात सालों में, प्रधान मंत्री

नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने देखा है और इससे पहले जब अटल जी की सरकार थी, तब हमने देखा है।

महोदय, मैं कुछ बातों को उजागर करना चाहता हूँ। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए भी सुधारों की जरूरत होती है और अभी इस सदन ने जिस बिल को मंजूर किया है, वह जनतांत्रिक सुधारों का बिल था। इस देश में जनतांत्रिक सुधारों की चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में आए और उन पर क्रियान्वयन किया गया, वह किसने किया - अटल जी ने किया। राज्य सभा का चुनाव पारदर्शी किसने बनाया - उसमें जो घोड़ा बाजार, यानी horse trading चलती थी, उसे किसने रोका - अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रोका। अगर हमारे देश में मंत्रिमंडल के सदस्यों की नीलामी चलती थी, कितने सदस्य बनाए जाएं, इसे लेकर लगभग नीलामी चलती थी, उस संख्या पर प्रतिबंध लगाने का काम, जो बड़ा कठिन निर्णय था, उसे सहमति बनाते हुए किसने किया - अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। जनतंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश एक ओर और जनतंत्र को खोखला साबित करने का षड्यंत्र दूसरी ओर, यह संघर्ष है। हम इस सदन के माध्यम से भारत की जनता को आपकी उपस्थिति में यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस जनतंत्र को सफल बनाए बगैर हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और हमारा यह संघर्ष चलता रहेगा।

महोदय, ऐसी सारी स्थितियों में संस्थाओं को एक के बाद एक उध्वस्त करने का एक सिलसिला चल रहा है। जिस संसदीय स्थायी समिति की बात आई, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी, जिसने इससे पहले, चाहे कृषि सुधारों की बात हो, चाहे 'सीएए' का विषय हो, चाहे 'एक देश, एक चुनाव' की बात हो, इन सभी विषयों पर समिति में पूर्ण रूप में चर्चा होकर, विचरित होकर एकमत से सदन के सामने आए थे, मगर पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी में एक बात करना, सदन में दूसरी बात करना, इस तरह की दोहरेपन की जो राजनीति है, वह जनतंत्र पर आघात करने वालों की मंशा को प्रदर्शित करती है। आज भी जो बिल आया है, हमने उसको मंजूर किया है, पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी ने एक मुख से उसको स्वीकार किया था, मगर यहाँ पर राजनीति चलाई गई। यह जो जनतंत्र के विरोध में एक षड्यंत्र चल रहा है, मैं मानता हूँ कि एक दृष्टि से जो इनके स्थगन प्रस्ताव हैं, वे सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि मुझे तो डर है कि ये जनतंत्र को ही स्थगित करना चाहते हैं और ऐसी हरकतों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, यह जनता का विश्वास है और उस जनता के विश्वास को मुखर करने के लिए आज हम सदन में उपस्थित हैं।

मान्यवर, अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूँ, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, मगर हम सरसरी नजर से भी देखें, तो क्या ध्यान में आता है - आठ साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? अगर मैं मध्य वर्ग की बात करूँ, तो आठ साल पहले दो से पाँच लाख की आय पर जो टैक्स था, वह दस प्रतिशत था और आज वह पाँच प्रतिशत हो गया है। जिन restaurants में हम खाने-पीने के लिए जाते हैं - कामकाजी लोगों को तो हर रोज किसी restaurant या भोजनालय में भोजन करना पड़ता है, तो आठ साल पहले हमें उसके ऊपर 13 से लेकर 28 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था और आज हमें मात्र पाँच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। आठ साल में काफी कुछ परिवर्तन हुए हैं। हम गृह के लिए जो कर्जा लेते हैं, उसके लिए हमें 10.30 परसेंट ब्याज देना पड़ता था, आज 8.65 परसेंट ब्याज देना पड़ता है। क्या ऐसे बिन्दु आर्थिक स्थिति के सुधार के परिचायक नहीं हैं?

अब हम information technology की बात करते हैं। आजकल, विशेष रूप से कोरोना काल में हम सब यह देखते हैं कि हर किसी को information technology के माध्यम से शिक्षा-दीक्षा जारी रखना, ज्ञान-दान और ज्ञानार्जन, दोनों के लिए उसका उपयोग करना पड़ा। यह अच्छी बात है कि आठ साल पहले एक जीबी का 3जी डेटा पैक लेने के लिए 250 रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब तरक्की हुई है और 4जी डेटा मिलता है। आज एक जीबी का 4जी डेटा लेने के लिए मात्र पाँच रुपये खर्च होते हैं। क्या यह प्रगति का परिचायक नहीं है? हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो दिल के मरीज़ थे, उनको अगर stent वगैरह लगाना पड़ता था, तो वह कितना खर्चीला विषय हो जाता था। केवल उसके खर्चे के डर के कारण लोग उसके ऑपरेशन के लिए नहीं जाते थे, लेकिन आज stents सस्ते हो गए, दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं। जो inflation का रेट है, वह भी निश्चित रूप से कम हुआ है। इसके साथ-साथ, हमारे देश की प्रगति के जो भी मानक होते हैं, उनमें भी हमने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। Ease of Doing Business का वैश्विक स्तर पर जो एक आकलन बनाया जाता है, उसमें एक ज़माने में हम 160वें क्रमांक पर थे और आज हम 77 वें क्रमांक पर आ गए हैं। क्या यह प्रगति का परिचायक नहीं है?

मान्यवर, हम सुशासन की बात करते रहते हैं। अभी तीन दिन बाद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आएगा, जिसको हम "सुशासन दिवस" के रूप में मनाते हैं, जिसको पूरा देश मनाता है। सुशासन का परिचायक यह होता है कि कम समय में आपको जो सेवाएँ मुहैया होनी चाहिए, वे मुहैया हों। हमें वह दिन याद है - चूंकि public memory is too short, तो हम भूल जाते हैं - यह अभी-अभी की तो बात थी कि आवेदन करने के बाद पासपोर्ट लेने में पाँच महीने लगते थे, लेकिन अभी मात्र एक महीने में पासपोर्ट आपके घर पर पहुँचाया जाता है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे विषयों में जो प्रगति हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, उसको हमें भी ध्यान में रखना चाहिए और उसको जनता के ध्यान में भी लाने की कोशिश हमें बराबर करते रहनी चाहिए, नहीं तो मैं देखता हूँ कि जनता परिवर्तन का आकलन करने में कई बार थोड़ी सी अक्षम हो जाती है। मैं मानता हूँ कि हमें जनता को सहयोग करना चाहिए।

मान्यवर, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और वित्त मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार की जो योजनाएँ हैं, वे लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँच तो रही हैं, मगर जहाँ-जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं -- दुर्भाग्यवश, महाराष्ट्र में ऐसी एक सरकार है, जिसको कहा जाता है कि यह\* है। यह\* की सरकार जिस पद्धति से प्रधान मंत्री मोदी जी की साकार की हुई योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के मार्ग में रोड़े अटकाने का काम लगातार कर रही है, उसके कुछ उदाहरण मैं माननीय वित्त मंत्री जी के सम्मुख रखना चाहता हूँ।

महोदय, जो "मुद्रा योजना" है, उसका महाराष्ट्र में हमारे कई सारे अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के युवाओं ने बहुत अच्छे तरीके से लाभ लिया है। सदन को शायद यह पता नहीं होगा, मगर विगत साढ़े सात सालों में जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ पेट्रोलियम मंत्री उपस्थित थे, तो उनके मंत्रालय के द्वारा पेट्रोल की आवाजाही के लिए जो टैंकर्स दिए जाते हैं, उसमें सरकार की ओर से आरक्षण देने का प्रावधान था, मगर उस पर अमल नहीं हुआ था। सरकार ने उसमें भी आरक्षण दिया और आज अनुसूचित

\* Expunged as ordered by the Chair.

जाति, जनजाति के हमारे सैकड़ों भाई-बहन पेट्रोलियम के टैंकर्स चला रहे हैं और अब उनकी आमदनी में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। ऐसी कई सारी बातें कही जा सकती हैं, मगर मैं मुद्रा लोन के बारे में कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्यवश, महाराष्ट्र में\* के लोकल पोलिटिशियंस कुछ न कुछ अड़ंगेबाजी करते हुए बैंक अधिकारियों को एक दृष्टि से प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उनको अपनी पद्धति से कुछ न कुछ गलत चीज़ें करने के लिए बाध्य कर रहे हैं और मुद्रा के अंदर कितने लोगों को लोन दिया गया, इसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए, उससे उनको रोक रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि हर बैंक की ब्रांच को यह बताने के लिए बाध्य किए जाने के बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों को मुद्रा का लोन दिया है? कोटा समाप्त हुआ है या नहीं, इसके बारे में अगर वे प्रकट रूप में जानकारी देती हैं, तो जो उचित पद्धति से दी गई ऐप्लिकेशंस हैं, उनका निपटान करते हुए जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको उससे वंचित रखने की उनकी कोशिश सफल नहीं हो पाएगी। मान्यवर, हम जानते हैं कि उज्ज्वला योजना की सफलता एक ऐतिहासिक सफलता रही है। वहां पर\* के सांठ-गांठ करने वाले लोग हैं, वे इन गैस एजेंसीज़ के लोगों के साथ हाथ मिलाकर कहते हैं कि नई योजना नहीं आई है। अगर 'उज्ज्वला योजना' से गैस नहीं मिलेगी, तो हमें अधिक दाम में गैस लेनी पड़ेगी, उसमें मुनाफेबाज़ी होगी और मुनाफेबाजी को प्रश्रय देने वाले लोग 'उज्ज्वला योजना' के लाभों से जनता को वंचित कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यही हाल 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में जो वंचित वर्ग हैं, उनको क्रमानुसार लगाया जाता है, जिसमें ए, बी, सी, डी वर्ग होते हैं। कई बार यह ध्यान में आता है कि जो सबसे वंचित वर्ग है, उसको उस क्रम में न लाते हुए, उसको टालकर अगले क्रम पर वह सूची ली जाती है, जिसके कारण जो सर्वाधिक वंचित वर्ग है, उसको हमारे वहां के लोग लाभ देने में अक्षम होते हैं।

[उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) पीठासीन हुए]

मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि \* के लोग बहुत सारी अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय की कई वित्त सहायक योजनाएं हैं, मगर उन योजनाओं के बारे में कई बार यह भी ध्यान में आता है कि उन के तहत कर्जा लेकर जो उद्यम खड़े करने चाहिए, उनकी बजाय स्थानीय लोग उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि उस कर्जे को ब्याज में लगाइए। ब्याज का जो मुनाफा होगा, वही आपका मुनाफा है। इस पद्धति से उद्यमिता का जो मार्ग विकसित होना चाहिए, दुर्भाग्यवश उसमें भी कुछ-न-कुछ अड़ंगेबाजी करने की कोशिश हो रही है। एक सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि 'हर घर जल योजना' प्रधानमंत्री जी का सपना है और हम सबका सपना भी है। अभी यह हो रहा है कि\* के राजनेता सत्ता में हैं, इसलिए वे दबाव बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा है - नल आने से जल नहीं आएगा, मगर वे कॉन्ट्रेक्टर के साथ सांठ-गांठ करते हुए बताते हैं कि नल हम देंगे, जल के लिए मोदी जी को पत्र लिखिए। यह कौन-सा तरीका है? जल उपलब्ध कराना उनका दायित्व है, नल तो हम दे ही रहे हैं। नल के लिए खर्चा हम कर रहे हैं, मगर केन्द्र सरकार द्वारा दिया हुआ धन, केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध किए हुए

\* Expunged as ordered by the Chair.

संसाधन अपने स्वार्थ पर, राजनीति पर हड़प करने का यह जो षड्यंत्र वहां \* के माध्यम से हो रहा है, उसकी जितनी निंदा करें, वह कम है। इन्होंने लोगों को जल तो दिया ही नहीं, अब जब केन्द्र सरकार उसके लिए पूरा धन दे रही है, तो इस पद्धति का गलत प्रचार कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसी पद्धति की बात है और मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो 'आयुष्मान भारत योजना' है - राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी योजनाएं चलाती हैं- हमारे यहां पर 'महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना' है, यह अच्छी योजना है, मगर उसमें जो insured sum है, वह कम है। यहां पर ज्यादा है, लेकिन उनको प्रचार का टारगेट दिया गया है, इसलिए वे कहते हैं कि 'आयुष्मान भारत योजना' खत्म हो गई है, अब आप 'महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना' को ही ले लीजिए। इसमें लोगों की हानि है। उनको बीमारी के पश्चात जिस पद्धति की अवितीय सुरक्षा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी एक समीक्षा की जाए, इसका एक आकलन किया जाए। इसी पद्धति से 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना' की बात है। हमारे यहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सामने 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना' का विवरण लाना चाहता हूं। मैं दिल्ली में कई जगहों पर राशन की दुकानों पर गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि जो प्रक्रिया होती है, जिसमें identification के तौर-तरीके अपनाए जाते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें thumb impression का कोई विषय नहीं है। मगर इन्होंने एक नया बिंदु जोड़ दिया है कि thumb impression के आधार पर होगा और किसी का भी thumb impression लेकर जो अनाज गरीब के मुख के लिए, गरीब के सहयोग के लिए दिया गया है, उसको भी हड़प करने की कोशिश\* के लोगों द्वारा हो रही है। यह तो एक भयंकर जघन्य पाप है और मैं यह मानता हूं कि इसके बारे में एक जवाबदेही के साथ कार्यवाही की आवश्यकता है। बहुत सारे विषय हैं, मगर दो-तीन बातें और कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 'प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना' के अंतर्गत, विशेष रूप से जो कौशल विकास मंत्रालय बनाया है, उसमें बहुत अच्छी योजना बनाई गई है। इसके बारे में सदन में आप सभी लोगों को पता भी होगा कि जो हमारे आईटीआई हैं, जो Industrial Training Institutes हैं, वे बहुत सारी जगहों पर हैं और लगभग हर जिले में हैं, हर ब्लॉक में हैं, तो आईटीआई को, जो उनकी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसको विकसित करने के लिए स्थानीय उद्योग के साथ उनका गठजोड़ बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये दिए हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं - महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मंडनगढ़ नाम का एक क्षेत्र है, जहां पर तीन करोड़ रुपये आईटीआई को दिए गए और वे कब दिए गए - वे पांच साल पहले दिए गए - जब कौशल विकास मंत्रालय बना। होना क्या चाहिए था कि वहां के जो स्थानीय उद्योग हैं, चिपलुन नाम का शहर है, एक बड़ा industrial estate है और भी जगहें हैं, वहां की कंपनियों के साथ बातचीत करते हुए उसकी जो एक परामर्श समिति बनती है, उस समिति के द्वारा वहां के श्रमिकों के लिए जो आवश्यक पाठ्यक्रम है, वह वहां पर विकसित हो। अभी turner, fitter का जो पुराना पाठ्यक्रम है, वह आज के काम में बड़ा अप्रासंगिक सा हो गया है। तो नए पाठ्यक्रम बनाए जाने चाहिए, इसलिए सरकार ने तीन करोड़ रुपये दिए हैं। \*के लोगों ने क्या किया है, क्या आपको पता है? तीन करोड़ का उपयोग किया ही नहीं। उसको बैंक में रखा और उस पर 6 करोड़ रुपये का ब्याज

\* Expunged as ordered by the Chair.

6 सालों में मिलाया। यह कितनी बेईमानी है, मतलब इसकी कोई हद होनी चाहिए। लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं मिली, विकास के रास्ते नहीं खुले और इस पद्धति से अगर केंद्र सरकार के दिए हुए धन को हड़प करने की या उसको गलत तरीके से उपयोग में लाने की कोशिश हो रही है, तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को जरूर कहूंगा कि उसकी समीक्षा के लिए कोई समिति गठित की जाए, क्योंकि यह उनका अधिकार नहीं है। प्रधान मंत्री जी और केंद्र सरकार अपनी प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर लोगों के लिए जो करते हैं, उसे लोगों तक पहुंचाना और वह पहुंचे यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। मैं मानता हूँ कि इस विषय की ओर में ध्यान दिया जाए।

महोदय, मैं दो-तीन सूचनाएं सुझाव के तौर पर रख रहा हूँ। हमारी 'प्रधान मंत्री जन-औषधि योजना' बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है और जो generic medicines हैं, वे जन-औषधि के माध्यम से मिल भी रही हैं। माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी भी यहां पर हैं। किसानों का एक सुझाव है, आप उसको आकलन में लीजिए कि प्राणियों के लिए जो दवाइयां हैं, उन्हें भी अगर जन-औषधि के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे, तो किसान आपको जरूर दुआएं देंगे। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस विषय को ध्यान में जरूर लीजिए और प्राणियों की दवाइयों को भी जन-औषधि की दवाइयों की सूची में समावेश करने के बारे में भी आप कृपया गंभीरता से सोचिए।

मेरी दूसरी बात यह है कि कुल मिलाकर कोरोना काल में हमारे देश के विभिन्न वर्गों ने बहुत परिश्रम किया है। उसी में बैंकर्स भी हैं। सबने यह देखा होगा कि बैंकों को तो कोई 'Work from Home' की सहूलियत नहीं थी, मगर हमारे जो बैंकर्स हैं, हमारे भागवत कराड साहब यहां पर थे, जब उनकी उपस्थिति में बैंकर्स के सम्मान का कार्यक्रम पुणे शहर में किया गया, तो सारे बैंक वालों ने धन्यवाद दिया कि हमें कभी किसी ने warriors नहीं कहा, मगर हम भी तो वहां पर जाकर frontline workers के नाते काम कर रहे थे। मेरा निवेदन है कि बैंकर्स को Corona Warriors के रूप में देखा जाए, उनको सम्मानित किया जाए, उनको acknowledge किया जाए, इसकी भी आवश्यकता है।

महोदय, मेरे दो-तीन और छोटे विषय हैं। एक तो शिक्षा के संबंध में है। हमारे देश में Chartered Accountant या ICWA या इस तरह की जो professional bodies हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा कानून के आधार पर निर्मित कुछ व्यवस्थाएं हैं। जो town planning का क्षेत्र है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हम कई बार देखते हैं कि हमारे शहरों की अवस्था कितनी दयनीय है और छोटे-छोटे गांव आज टाउन बन रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं होने के कारण वहां पर तरह-तरह की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हमारे देश में टाउन प्लानर्स की कमी है। टाउन प्लानर्स की कमी होने का एक कारण यह है कि टाउन प्लानिंग पढ़ाने वाली संस्थाओं की कमी है। इस विषय में नियंत्रण करने वाली कोई अखिल भारतीय कानून से बनी हुई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एक एजेंसी बनाई थी और दुर्भाग्यवश उनके कार्यकाल में कानून बना कि जो टाउन प्लानिंग के लिए काम करेगा, कोई कॉलेज खोलेगा, उसको उस संस्था का affiliation लेना पड़ेगा, जो एक निजी संस्था है, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं मानता हूँ कि यह एक करप्शन का उदाहरण है और इसको मिटाना बहुत जरूरी है। देश में कुल मिलाकर नगर रचना,

टाउन प्लानिंग का जो शास्त्र है, उसके लिए भी यह बहुत आवश्यक बात है। इसको भी मैं आकलन के लिए माननीय वित्त मंत्री जी और सदन के सम्मुख लाना चाहता हूँ।

अंत में, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि सवाल केवल किसी एक प्रदेश का नहीं है, मगर पूरे देश में, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो इन्होंने लगभग बहुत सारा समय उसको 'प्रश्न प्रदेश' बनाकर ही छोड़ा था। हमने 'प्रश्न प्रदेश' को उत्तर प्रदेश बनाया है और अभी उसे हम 'उत्तम प्रदेश' बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इसी रचना में सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो, विपक्ष की सरकारें अपने संकीर्ण राजनैतिक स्वार्थ के कारण उसमें अड़ंगेबाजी न कर पाएँ, इसलिए सांसदों को समाहित करते हुए कोई समीक्षा की रचना स्थानीय स्तर पर हो। उसमें राज्य सभा के सांसदों का अधिक समावेश होना चाहिए, क्योंकि हमारा किसी एक विशेष चुनाव क्षेत्र के साथ लगाव नहीं होता, पूरा प्रदेश ही हमारा चुनाव क्षेत्र होता है। मेरा मानना है कि अगर ऐसी कोई एक समीक्षा की रचना बनती है, तो उससे और अधिक सटीक तरीके से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी होगी और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी अपनी जी तोड़ प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर मेहनत कर रहे हैं, उसका भी अच्छा प्रतिफल भारत की जनता को मिल पाएगा। आज़ादी के 'अमृत महोत्सव' के वर्ष में मैं मानता हूँ कि सरकार इसके बारे में गंभीरता से सोचेगी, तो बहुत अच्छा होगा। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

**उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) :** श्री शिव प्रताप शुक्ल जी।

**श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश) :** उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। इस देश में 2014 के बाद से जिस प्रकार से काम शुरू हुआ है, मुझे उस पर एक शेर याद आ रहा है:

*'खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले  
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।'*

मान्यवर, इन्हीं मूल्यों के आधार पर देश की जनता ने देश का एक प्रधान मंत्री चुना। उस चुने हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि संवैधानिक दृष्टि से मैं प्रधान मंत्री तो जरूर हूँ, लेकिन मैं तो देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करूँगा। जब उस प्रधान सेवक ने कार्य करना शुरू किया, तब उसी के संबंध में मैंने यह कहा कि स्वयं साक्षात् ईश्वर भी उनका साथ देने लगे और कहने लगे कि भारत को जितनी भी ऊंचाई पर ले चलना हो, वहां तक लेकर चलो। मैंने उस समय कहा:

*'खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले  
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।'*

मान्यवर, रज़ा की स्थिति यह हुई है कि आज आदरणीया निर्मला जी इस एप्रोप्रिएशन बिल को लेकर आई हैं और यह यहां से लोक सभा को वापस होगा। यह मनी बिल है, इस नाते स्वाभाविक है कि इसके पारित होने या न होने का विषय नहीं है, लेकिन उन लोगों को सदन में रहना चाहिए था, जो लोग इस बात को कहते थे कि यह सरकार अन्याय कर रही है। आज तो इन्होंने हद कर दी कि रूल बुक भी उठाकर फेंक दी। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारे लिए वह एक मंदिर की पुस्तक के समान है। यह हाउस एक मंदिर है और हम लोगों के लिए रूल बुक एक मंदिर की पुस्तक के समान है। जिस बुक को हमें सिर से लगाना चाहिए, उसको उठाकर जिस तरह से फेंका गया, वह उनकी बौखलाहट ही नहीं, बल्कि इस सरकार की लोकप्रियता का परिणाम है कि वे पूरी तरह से \* जैसी स्थिति में आ गए हैं।

मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। अभी आदरणीय डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। मान्यवर, हम यह कह सकते हैं कि देश में श्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए, तो आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से उत्तम प्रदेश बन चुका है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि पूरा विश्व कोविड की महामारी से परेशान है, लेकिन हम भारत के लोगों को निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि उन्हें भूख से नहीं मरने देंगे। इस नाते उन्होंने "प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना" का सूत्रपात किया और उन्होंने किसी भी प्रान्त को नहीं छोड़ा। उपसभाध्यक्ष महोदय, लोगों ने इसको भी राजनीति से ले लिया। पश्चिमी बंगाल में इस नाते वहाँ पर अन्न नहीं दिया जाता था कि लोग यह जान जाएंगे कि यह नरेन्द्र मोदी जी द्वारा भेजा गया अन्न है। वहाँ के गरीबों को अन्न नहीं मिला। महाराष्ट्र में, जिसका एक नामकरण श्रीमान् विनय जी ने किया है, वहाँ भी इसको इसलिए नहीं दिया गया कि कहीं नरेन्द्र मोदी जी का नाम न आ जाए। लेकिन भाइयो, आज स्थिति यह है कि पिछली बार, जब बिहार में चुनाव हुए थे, तब जीत के जश्न अवश्य मन गए थे, परंतु जब वहाँ की महिलाओं से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमें इतने दिन से खिलाने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए हम किसी और को वोट नहीं देने वाले हैं, हम एनडीए को ही वोट देंगे और एनडीए में भी उनको केवल मोदी जी का ही नाम याद था। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी को वोट देंगे। जिसने यह कहा कि हम संवैधानिक दृष्टि से प्रधान मंत्री हैं, लेकिन हम प्रधान सेवक के रूप में हैं, वे आज भी उसी प्रधान सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना' की जो बात कह रहा था, उस पर बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लोगों को सचमुच में आगे के मार्च तक का अन्न मिल रहा है। उन्हें 5 किलो गेहूँ, चावल, दाल, चना, तेल मिल रहा है। इनमें अधिकांश सांसद हैं, जो अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में गए होंगे, उनको बुलाया गया होगा और बुलाकर उनके हाथों से अन्न भी बंटवाया गया होगा। महोदय, मैंने अन्न बाँटा है। मैंने एक बार नहीं, बल्कि कई-कई बार राशन की दुकानों पर जाकर इसको बाँटने का काम किया है, लोगों को देने का काम किया है। जब मैंने लोगों से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि, 'ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भगवान उतर आया है और भगवान हमें दे रहा है।' उस भगवान के प्रति जो विश्वास है, वह विश्वास इस नाते नहीं है कि वे प्रधान मंत्री का डंडा लेकर चल रहे हैं, बल्कि वह विश्वास इस नाते है कि उन्होंने सेवा का जो सूत्रपात किया है, उस सूत्रपात ने लोगों

\* Expunged as ordered by the Chair.



के जेहन में, लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लिया है। इसी नाते लोग आज यह कहते हैं कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार सबसे अच्छी सरकार है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सचमुच विकास के पथ पर बढ़ गया है। हमें ध्यान है कि जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधान मंत्री थे, तब उन्होंने नदियों को जोड़ने की बात कही थी। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, तब चाहे जिस भी आधार पर यह कहा गया कि यह वाहियात है - जैसे एक सज्जन हैं, वे हमेशा उसी पर बोला करते हैं, वे कभी कुछ, कभी कुछ बोला करते हैं, यहाँ उनका नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि वे दूसरे सदन के सदस्य हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वे उसी पार्टी के हैं - उन्होंने यह कहा कि यह कौन-सी योजना है, इसका क्या मतलब है, यह वाहियात योजना है।

लेकिन उनका वह विचार कुछ ऐसा था कि यदि कहीं सूखा पड़ रहा है, तो वहाँ भी जल जाए और अगर कहीं बहुत अधिक जल है, तो उसी जल को लेकर सूखे वाले क्षेत्र में भेज दिया जाए। आज बुंदेलखंड में - मैं इसके लिए माननीया निर्मला जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने प्रधान मंत्री जी की उस योजना पर जिस प्रकार से दिल खोलकर पैसा दिया है, यह उसी का नतीजा है कि आज केन और बेतवा, दोनों नदियाँ इस प्रकार से जुड़ गई हैं कि बुंदेलखंड में जहाँ सूखे की स्थिति थी, आज वहाँ लोग अन्न के उत्पादन की तरफ बढ़ने लगे हैं - यह माननीय नरेन्द्र मोदी जी की योजना है, इस नाते उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, उस नाते नहीं कि अभी मथुरा गए थे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने शाहजहाँपुर में, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, 36 हजार करोड़ रुपये की फोर लेन गंगा परियोजना के नाम से शिलान्यास किया। उसमें उन्होंने कहा था और बहुत सही कहा था कि यूपी + योगी = उपयोगी। यही उपयोगी आज उत्तर प्रदेश में उन लोगों की आंखों की किरकिरी बन गया है, जो ज़मीन कब्जा लेते थे, लोगों के मकान कब्जा लेते थे, डकैतियां डाला करते थे और थाने में सुनवाई नहीं होती थी। आज स्थिति यह हो गई है कि जिन्होंने मकानों पर कब्जा किया था, वे ढहा दिए गए हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया था, वह ले ली गई है। उस पर माननीय नरेन्द्र मोदी जी की 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के अंतर्गत काम होकर गरीबों को मकान देने का काम इस योजना के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है।

माननीय नरेन्द्र मोदी जी की योजनाएं सम्पूर्ण भारत में चल रही हैं। प्रदेश सरकारें उन्हें अपने अनुसार ढालने का काम कर रही हैं। जो मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री जी के साथ मिलकर योजना को मूर्त रूप दे रहा है, वह मुख्य मंत्री काम कर रहा है। जो मुख्य मंत्री ऐसा नहीं कर रहा है - हमारे साथी अरुण सिंह जी ने कहा था कि - छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री ने तेल की कीमत में नौ नए पैसे कम किए हैं। हमने पांच रुपए और दस रुपए कम करने का काम किया है, फिर भी हमें आरोपित होना पड़ता है। जब अंतरराष्ट्रीय आधार पर कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो देश में भी यह फैसला लिया गया कि मूल्य घटेगा भी और बढ़ेगा भी, इसी आधार पर पांच रुपए और दस रुपए कम किए गए।

वित्त मंत्रालय ने एक सुझाव यह भी दिया था कि इसे जीएसटी से जोड़ दिया जाए। भाजपा शासित सभी प्रदेश इसके लिए तैयार थे, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश तैयार नहीं हुए। इसी तरह से, केरल और पश्चिमी बंगाल तैयार ही नहीं हुए। जीएसटी काउंसिल का एक नियम है कि जो भी फैसला लिया जाएगा, वह सर्वसम्मति से लिया जाएगा, इसलिए सर्वसम्मति फैसले के आधार पर इसे जीएसटी के साथ जोड़ना चाहिए था, लेकिन वह नहीं जुड़ पाया। इसका परिणाम यह हुआ है

कि कोई राज्य सरकार नौ-नौ पैसे कम करती है और भारत सरकार पांच रुपए और दस रुपए कम करती है। स्वाभाविक है कि हमें इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम हृदय खोलकर काम कर रहे हैं।

इस देश में कोरोना महामारी आई, लेकिन जब पूरा देश 100 करोड़ टीकाकरण का जश्न मना रहा था, तब भी एक सज्जन कह रहे थे कि वैक्सीन कहां है? उस समय भी उन्हें अपनी आंखों से वैक्सीन नहीं दिखाई दे रही थी। उन्हें वे 100 करोड़ लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली थी और सुरक्षित हो चुके थे। यहां तक कि इसे वे लोग भी लगवा चुके थे, जिन्होंने पहले यह कहा था कि यह तो मोदी वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है। सबको जान प्यारी होती है, जब लगा कि जान जा सकती है, तो उन्होंने सोचा कि अब मोदी वैक्सीन लगवा ही लो और फिर उन्होंने लगवा ली।

मान्यवर, यहां पर आदरणीय निर्मला जी बैठी हैं। प्रधान मंत्री जी ने महिला सशक्तीकरण का एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो बिना किसी जमानतदार के भी एक करोड़ रुपए उन महिलाओं को दे दिए जाएं, जो अपने प्रोजेक्ट्स लाकर जमा कराती हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी एक करोड़ रुपए ऋण देने का निर्णय लिया गया। बहुत सी महिलाओं को यह ऋण मिला है। पहले कभी किसी ने भी इस पर विचार नहीं किया था कि इन वर्गों के बारे में भी सोचा जाए। हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि यह तो चंद लोगों की सरकार है। चंद लोगों की सरकार कभी हुआ करती थी, जहां कहा जाता था - 'न खाता, न बही, जो एक व्यक्ति कहे वही सही।' अब वे इस दुनिया में नहीं हैं, तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए की सरकार ने जिस प्रकार से जनहित के कार्य करने के संदर्भ में विचार किया, वह कभी अविश्वसनीय था, लेकिन आज वह विश्वसनीयता की सीमा पर पूरे तौर पर खरा उतरा है। आज उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया है। अभी आज भी महिला सशक्तीकरण के रूप में माननीय प्रधान मंत्री जी प्रयाग गए हैं। एक-एक महिला के खाते में आज ही एक क्लिक में 40 हजार रुपए पहुँचे हैं। कब उन्होंने सोचा था कि हमें 40 हजार रुपए मिल जाएँगे! लाखों महिलाओं को आज इसका लाभ मिला है। मुझे ध्यान है कि गोरखपुर के Fertilizer Corporation of India के मैदान से एक क्लिक में किसानों के खाते में पहली बार 6 हजार रुपए की उनकी सम्मान निधि पहुँची थी। यह प्रधान मंत्री जी की देन थी। कब किसान ने सोचा था कि मुझे 6 हजार रुपए की सम्मान निधि मिलेगी! ऐसा नहीं है कि प्रधान मंत्री जी ने यह केवल गोरखपुर के लिए किया है, उन्होंने अनेक fertilizer plants खोले।

अटल जी ने अपने समय में 7 एम्स खोले थे। पहले तो एक ही दिल्ली का एम्स था। 60 वर्षों तक इस स्थिति में कांग्रेस शासन करती रह गई और दिल्ली में एक एम्स था। प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में 7 एम्स खोले और आज नरेन्द्र मोदी जी के शासन में पूरे देश में 25 से ऊपर एम्स खुलने का काम हुआ है, इस प्रकार से इलाज की बात है। माननीय प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश गए थे, जैसे जिला अस्पताल होता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासन में मेडिकल कॉलेज खुलने का काम हुआ है और यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की स्थिति में पहुँचा है। लोगों को घबराहट क्यों हो रही है? उनको घबराहट इस नाते हो रही है कि ऊपर मोदी और नीचे योगी, तो जो ये दोनों मिल कर उपयोगी हैं, वे हम सबको अनुपयोगी बनाते चले जा रहे हैं।

मान्यवर, जन-धन खाता खुला था। जन-धन खाता क्यों खुला था? जन-धन खाता इस नाते खुला था कि कभी इसी देश में एक प्रधान मंत्री ने कह दिया कि हम एक रुपया भेजते हैं, लेकिन 15 नये पैसे पहुँचते हैं। जब जन-धन खाता खुला था, तो उस समय में भी वित्त राज्य मंत्री था। उस समय हमें इतना सुनना पड़ा था कि लोगों ने कहा कि यह कौन सा खाता है, बिना एक रुपया जमा किए खाता खुल रहा है, बिना जमानतदार के खाता खुल रहा है! आज लाखों-करोड़ों रुपए उन खातों में जमा हैं, लोगों ने जमा कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 15 पैसे पहुँचते थे, अब जब प्रधान मंत्री जी एक रुपया भेजते हैं, तो पूरा एक रुपया जन-धन खाते में जाकर उस लाभार्थी व्यक्ति के खाते में जाता है। चाहे उसको प्रधान मंत्री आवास योजना में घर बनाना हो, शौचालय बनाना हो या अन्य किसी योजना का पैसा हो, पूरी की पूरी योजनाओं का पैसा उसके खाते में जाता है। जब यह पैसा खाते में जाता है, तो फिर यह 15 पैसे का नहीं रह जाता है, इसमें बिचौलिया नहीं रह जाता है। आज इसी नाते लोगों को घबराहट है कि जिस प्रकार से काम हो रहा है, आगे के समय में जनता किसी और को पूछने वाली नहीं है। लोग कहते हैं, यहाँ यही placard दिखाया जा रहा था - 'लोकतंत्र down-down'। आप कम से कम इस पर तो विचार करिए कि आप जो कर रहे हैं, उसको देश की पूरी जनता देख रही है। जब हम यहाँ आते हैं और जनता यह दृश्य देखती है, तो शायद उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि हम लोग भी कभी जनता के बीच जाते हैं, तो यही जनता सवाल करती है कि क्या यही करने के लिए आप लोग गए थे, इसी हंगामे के लिए वहाँ पर गए हुए थे, आप अपना समय बरबाद कर रहे हैं, हमारा धन बरबाद कर रहे हैं, फिर क्या जरूरत है? ऐसे लोगों ने ही इस लोकतंत्र को शर्मिंदा किया है। इस नाते निश्चित रूप से मैं उनके इस कृत्य की निंदा भी करता हूँ। मान्यवर, अभी सिंचाई परियोजना की बात हो रही थी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने बलरामपुर में जाकर उत्तर प्रदेश के नौ जिलों के लिए राप्ती से रोहिन तक सात नदियों को जोड़ने का काम किया। आज उसका परिणाम यह है कि अब वहाँ सिंचाई की इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब हम काम कर रहे हैं तो उस काम के आधार पर लोग हमारे ऊपर विश्वास भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास बहुत साफ है। जब माननीय प्रधान मंत्री जी आए और स्वयं को सेवक के रूप में बताया, तो आज हम यह कह सकते हैं कि यह इस सरकार का अपना एक नियम बन चुका है। घोटालेबाजों की सरकार गई, ईमानदार सरकार आई, जनता के लिए काम करने वाली सरकार आई। इस नाते उस सरकार ने कहा कि आपके समय में जो होता था, हो रहा है, इस पर विचार होता था, चलो होता चला जा रहा है। लेकिन आज श्री नरेन्द्र मोदी जी के शासन में हम यह कह सकते हैं, जो होता है, वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे, वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। इस जीवन को लेकर हम चल रहे हैं। माननीय निर्मला जी निश्चित रूप से पूरे देश को अपने बजट के द्वारा लाभान्वित कर रही हैं, सबको विभिन्न योजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचा रही हैं, खुले, मुक्त हस्त से सब योजनाओं में पैसे दे रही हैं और उन योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री विनय जी ने इस सरकार के विषय में कहा कि बिना सवाल किये खुले हाथ से पैसे दे रही है, चाहे केरल की सरकार हो या बंगाल की सरकार हो, लेकिन आप कम से कम छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों के बारे में भी सोचो कि प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी जो पैसे दे रहे हैं, उसे जनहित के लिए उपयोग करो। यदि उसका उपयोग करोगे तो जनता को यह बताओ कि यह श्री नरेन्द्र मोदी जी का पैसा है, आप भी उसमें नहाओ,

हम कहां कह रहे हैं कि मत नहाओ, लेकिन आप भी नहाओ और काम करो, हमें काम करने वाली सरकार चाहिए। एनडीए की सरकार काम करने वाली सरकार है, अन्य जो सरकारें हैं, वे निंदा और नाकामी वाली सरकारें हैं, तो निंदा और नाकामी वाली सरकारों को हटाया जाए और जहां अभी निंदा और नाकामी वाली सरकारें हैं, वहां भी काम करने वाली सरकारों को बनाया जाए। यह देश प्रगति करे, देश आगे बढ़े। महोदय, हम सब लोगों से भारत माता की जय कहा करते हैं। हम भारत माता की जय इस नाते कहा करते हैं कि देश उन्नत हो, समाज उन्नत हो, गांव उन्नत हो और इसी के साथ-साथ हम भी उन्नत हों। जब ये सब उन्नत होंगे तो हमारी उन्नति भी निश्चित रूप से होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय निर्मला सीतारमण जी के इस एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

**डा. सोनल मानसिंह** (नाम निर्देशित) : Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on 'Azadi ka Amrit Mahotsav' which is a very special occasion for the whole country. भारत के लिए यह एक बड़ा सुअवसर है और खासकर संस्कृति, कल्चर के बारे में इस सदन में बोलने का बहुत कम अवसर मिलता है, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। I must convey my heartiest congratulations and gratitude to the hon. Prime Minister कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' का उन्होंने जो विचार रखा और उसमें खासकर संस्कृति को एक बहुत बड़ा विषय बनाया, इसलिए मैं इस अवसर का इस तरीके से वर्णन करना चाहती हूँ कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' which is a brilliant way to bring together diverse strands of cultural traditions in every form of art, namely, visual, plastic and aural, at every level, that is, of the various cultural communities. Folk परम्पराएँ, जिनको हम लोक परम्पराएँ कहते हैं और शास्त्रीय, which is an excellent opportunity to showcase achievements of our cultural legacy, which is at once ancient and contemporary. It is the need of the hour to revisit and reassert our heritage in the context of contemporary social situations. Various social upliftment schemes initiated and activated by the Government can be more effectively, perhaps, in my view, conveyed through our cultural practices. Also, to reactivate the salient points of our intangible and tangible heritage, for example, recently, UNESCO designated Durga Puja, added it to the honoured list of the intangible world heritage. India's unparalleled uncountable, जो अनगिनत हैं, tangible and intangible heritage, the cultural riches, which should be counted globally, which should be known globally, because I have seen, - I have been to UNESCO conferences and I have often sat on the committees - and I feel a little embarrassed to see that even smaller countries, much smaller, have succeeded in getting their tangible and intangible items included among UNESCO's list. How is it then, why is it then that India is happy only with one or two such items annually in UNESCO's World Heritage List? ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let us keep silence please. कृपया शान्त रहें।

**डा. सोनल मानसिंह :** कल्चर की बातें सुनने में शायद थोड़ी दिक्कत हो जाती है, सुननी चाहिए। I feel that Azadi Ka Amrit Mahotsav is an excellent opportunity to assess many things like programmes so far undertaken by different Ministries. There could be better coordination among Ministries, perhaps, information could be disseminated among people -- people; I count myself among them also because we do not know what Ministries have been doing in these last five months since the Azadi Ka Amrit Mahotsav started -- and a gorgeous picture of today's great India which is on its way of becoming World Guru, Vishwa Guru Bharat. I think this is the opportunity we should grab with four hands and not only two hands. I would like to convey through you and through this *Sadan* to Ministry of Culture and Tourism that in tandem with so many other programmes, they must list out systematically their schemes and projections, programmes and plans, projects, which are not yet clear and take full advantage of this one year, twelve months of Azadi Ka Amrit Mahotsav. The Ministry of Culture and Tourism, in tandem with various other Ministries, could do much more to inject high points of Bharat's vibrant culture into their future plans and programmes for Azadi Ka Amrit Mahotsav. We also need to strengthen our internal infrastructure because a lot of talks, you know, I have been listening.....(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let us keep silence please. ...(*Interruptions*)... माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

DR. SONAL MANSINGH: There was a mention also of the continuing epidemic, *mahamaari* and one is praying and hoping that a third wave also would not hit us in a big way. But during these last two years, almost what one has seen is a terrible situation of depression, especially, among young people. Sir, I think, this Amrit Mahotsav can inject new spirit and hope among the young people, especially the artists, those who have no other sustenance, economic assistance. So, I am talking about the internal infrastructure not only as tangible but as intangible infrastructure that we need to strengthen our spirits. We need to inject hope in our minds, जिसको हम कहते हैं कि श्रद्धा से काम हो, जिसमें लोगों को लगे कि मेरे लिए भी इससे कुछ सहारा है, मेरे लिए कुछ काम है और मेरे देश को मेरी जरूरत है। यह मैं कलाकारों की ओर से आपके सामने convey कर रही हूँ। So, I urge the hon. Finance Minister, through you, to allocate appropriate funds from the special provisions for Azadi Ka Amrit Mahotsav to be able to undertake great programmes of international quality, क्योंकि मैंने देखा है कि छिटपुट

कार्यक्रम करके उस पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' का लेबल चिपकाकर बहुत सारा काम हो रहा है और मुझे लगता है कि it is a waste of funds; it is a waste of energy and it is a waste of time. इसलिए कोई तरीका निकाला जाए, जिससे कि अलग-अलग मंत्रालय क्या कार्य कर रहे हैं और कहां-कहां पर एक साथ synergy बनाकर यह काम हो सकता है और उसमें excellence, elegance आ सकता है, जिससे कि न केवल हमारा भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हो और हमारे सम्माननीय प्रधान मंत्री जी के 75 वर्ष की अचीवमेंट्स को दिखाने के इस सपने को सफलता प्राप्त हो, धन्यवाद।

**डा. अशोक बाजपेयी** (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज अनुपूरक अनुदानों और बजट के Appropriation Bill के संबंध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका हृदय से साधुवाद। महोदय, 37 खरब, 37 अरब, 61 करोड़ रुपये अनुपूरक अनुदान के रूप में माननीय लोक सभा से स्वीकृत हुए हैं और आज उस बिल पर हम सब लोग बोल रहे हैं और इतने ही अनुदान को Appropriation Bill के रूप में हम सब लोग स्वीकृति देने जा रहे हैं। महोदय, इस वर्ष देश के विकास के लिए जो देश के विकास की प्राथमिकताएं थीं, उनके ऊपर बजट का अधिकांश धन परिव्यय हुआ। चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की क्षमता का विकास हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किए गए कार्य हों, चाहे नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे नए एम्स खोलने की बात हो, नये विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, विभिन्न क्षेत्रों में जिस तेजी के साथ कार्य हुआ है और इतनी सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन-जन तक 'आजादी के अमृत महोत्सव' का लाभ इस बजट के माध्यम से पहुंचाने का काम किया गया है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि सरकारी धन का एक-एक पैसा लोक कल्याण में खर्च हो रहा है। इतना ही नहीं, कोविड जैसी महामारी से उबरने के बाद जिस तरह से देश के सामने एक गंभीर संकट उत्पन्न हुआ था, उस संकट से उबारने में सरकारी संसाधनों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने जिस तरह से देश की जनता को नया विश्वास दिलाने का काम किया है, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस महामारी के बाद जिस तरीके से दुनिया के तमाम विकसित देशों की स्थिति गंभीर हुई, लेकिन भारत ने ऐसी गंभीर त्रासदी में भी किसी गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया, हर घर राशन पहुंचाने का काम किया और हर घर में उन तमाम आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने का काम किया, जिससे इस कोविड जैसी महामारी में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोया। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा।

मान्यवर, देश के एक-एक गांव के गरीब परिवारों में, झुग्गी-झोंपड़ियों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया गया। प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों के टूटे हुए जो फूस के घर थे, उनको पक्का मकान बनाने का काम किया गया। नल से जल पहुंचाने की दिशा में तेजी के साथ काम हो रहा है। इसके लिए जितनी महत्वाकांक्षी योजना बनी है, उसके लिए भी मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा। घर-घर में स्वच्छ जल मिले, भारत सरकार का यह प्रयास है। इसमें तेजी के साथ काम हो रहा है।

मान्यवर, नई शिक्षा नीति के माध्यम से एक नया विश्वास जगा है कि हमारी शिक्षा नीति हमारे आयामों के अनुरूप होगी। भारतीय व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में नई शिक्षा नीति

कारगर और ज्यादा उपयोगी हो सकेगी। मेरा यह अनुरोध होगा कि हमारे तमाम शिक्षा मनीषियों ने बहुत मेहनत करके जो नई शिक्षा नीति बनाई है, उसको ठीक से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इससे शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जब नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो जाएगी, तब मैं समझता हूँ कि भारतीय शिक्षा अपने भारतीय संसाधनों के अनुरूप और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। जब हमारा नौजवान शिक्षित होकर निकलेगा, तो देश के विकास को नई दिशा मिलेगी, देश को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी।

मान्यवर, माननीय प्रधान मंत्री जी की बहुआयामी दृष्टि है। उसमें समाज का हर क्षेत्र, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, जो उनकी दृष्टि से कहीं अछूता रहा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे यातायात हो। इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है, expressways का निर्माण हुआ है। आज यह स्थिति है कि प्रतिदिन करीब 45 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है। यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर देश में नेशनल हाईवेज का per day निर्माण किया जा रहा है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, बिजली के उत्पादन में renewable energy को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे solar energy है, इसके माध्यम से देश का पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और विद्युत का उत्पादन भी बढ़ेगा। इस दिशा में भी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। रेल नेटवर्क को बढ़ाने का काम, रेल की स्पीड बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जहाँ तमाम रेलें डीज़ल इंजन से चला करती थीं, आज सारी लाइनों को electrified करके बिजली से रेल चलाने का काम किया जा रहा है। रेल की स्पीड बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। रैपिड ट्रेन्स चलाने की योजना आगे बढ़ रही है। आज कितने सारे नगरों में metro trains चलाने का कार्यक्रम आगे प्रगति पर है। इस तरह से आज देश के सर्वांगीण क्षेत्र में विकास हो रहा है और बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है।

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से digitalization के ऊपर जोर दिया है, उससे आज paperless working हो रही है। तमाम दफ्तरों में जहाँ बीसों साल से रद्दी भरी पड़ी थी, तमाम फाइलों के ढेर पड़े थे, आज उन सबको कम करने का काम किया गया है। उन तमाम पुराने कागजों को हटा करके कम से कम पेपर का उपयोग हो और तमाम दफ्तरों में इस तरह का जो कूड़ा भरा था, उसको निकाल कर उससे करोड़ों रुपए अर्जित करने का काम किया गया है। इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि आज हमारे देश में Foreign Direct Investment बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। उसका कारण यह है कि विकास की गति तेज हुई है, तेजी के साथ infrastructure बढ़ा है, जिससे तमाम दुनिया के देश भी आज भारत में निवेश करने में रुचि लेने का काम कर रहे हैं।

मान्यवर, रक्षा के क्षेत्र में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, लेकिन आज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादों का निर्माण भारत में करने का काम हो रहा है। आज बड़े-बड़े वायुयान, हेलिकॉप्टर और लड़ाकू जेट विमान भारतवर्ष में बनाए जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं भारत सरकार की सराहना करता हूँ। मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ कि रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ काम हुआ है। आज तमाम रक्षा उत्पाद भारत में भी निर्मित हो रहे हैं और इस क्षेत्र में भी भारत स्वावलंबी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में Defence Industrial Corridor का निर्माण किया जा रहा है। तमिलनाडु में Defence Industrial Corridor के माध्यम से बहुत बड़े-बड़े रक्षा अनुसंधान और रक्षा उत्पादन के केन्द्र लगाए जा रहे हैं। इसके उत्पादन के लिए फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। इससे देश और स्वावलंबी हो सकेगा।

मान्यवर, इस तरीके से उन तमाम क्षेत्रों में देश को आगे ले जाने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ काम हो रहा है। जो अनुपूरक अनुदान है, मैं समझता हूँ कि इसके पास होने के बाद जब इस अनुपूरक अनुदान की माँगें व्यय होंगी, तब विकास की गति और तेज हो सकेगी और देश तेजी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा।

मान्यवर, आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिस दिशा में तेजी के साथ आगे काम न हो रहा हो। हम आने वाली 25 तारीख को, माननीय अटल जी के जन्म दिन को 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाएँगे, लेकिन 2014 में जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उस दिन से ही सुशासन की दिशा में तेजी से काम हुआ है। आज जो सरकार है, उसके मन में समाज के हर वर्ग के लिए, 125 करोड़ लोगों के भविष्य की चिन्ता रहती है, किसी से कोई भेदभाव नहीं रहता है। आज भारत सरकार में पारदर्शी सरकार और पारदर्शी व्यवस्था देने का काम हो रहा है।

6.00 P.M.

भारत सरकार के माध्यम से, जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं, वहाँ भी पारदर्शी व्यवस्था के चलते बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। मान्यवर, इतना ही नहीं, रोजगार सृजन के नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं।

**उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा):** माननीय सदस्य, छः बज चुके हैं, इसलिए इस डिस्कशन पर सदन की कार्यवाही आज यहीं तक सीमित रहेगी, कल फिर डिस्कशन कंटीन्यू किया जाएगा। माननीय सदस्य, कल आप अपना डिस्कशन continue करेंगे। अब हम Special Mentions पर जाएंगे। श्री राम नाथ ठाकुर जी, आप lay कर दीजिए, क्योंकि छः बज चुके हैं।

---

## SPECIAL MENTIONS

### **Need for speedy completion of road projects in Bihar under the *Bharatmala Pariyojana***

**श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) :** महोदय, 'भारतमाता परियोजना' केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके माध्यम से सरकार देश में सड़क परिवहन सुविधा का विस्तार करती है, ताकि इसका लाभ सभी को मिले और देश की आर्थिक प्रगति को रफ्तार मिले। बिहार में सड़कों का प्रति व्यक्ति घनत्व काफी कम है। हाल ही में बिहार में कई राजमार्गों पर काम चल रहा है, लेकिन फिर भी इनकी रफ्तार काफी सुस्त है। जिन परियोजनाओं को काफी समय पहले पूरा हो जाना चाहिए था, उन पर काम अभी भी बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते उनके पूरा होने में ज्यादा समय और धन लग रहा है। जहाँ देश के अन्य भागों में राजमार्ग निर्माण की गति काफी तेज है तथा उनका लाभ भी आम जन को सही समय पर प्राप्त हो जाता है, वहीं दूसरी ओर बिहार में धीमी रफ्तार की वजह से इनका लाभ आम जन को समय पर नहीं मिल पाता है।



महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि 'भारतमाला परियोजना' के अधीन अधिक-से-अधिक सड़क परियोजनाएं बिहार के लिए स्वीकृत की जाएं, ताकि आर्थिक प्रगति को रफ्तार मिले। अभी हाल ही में जिन प्रस्तावित परियोजनाओं की घोषणा हुई है, उन पर काम तुरंत शुरू किया जाए तथा जो परियोजनाएं चल रही हैं, उनका काम तुरंत पूरा हो।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Dr. L. Hanumanthaiah; not present. Dr. Ameer Yajnik; not present. Shri Abdul Wahab, ...(*Interruptions*)... Hon. Member it is not going on record. ...(*Interruptions*)... Abdul Wahabji, please lay.

### **Need for financial assistance to rehabilitate gulf returnees in Kerala**

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, Covid-19 Pandemic has disrupted lives of lakhs of migrants working overseas. Kerala with larger diaspora of migrants have been severely affected by way of loss of employment, dislocation and improvement. As per an estimate made by NORKA roots - an entity under Government of Kerala, close to 12.68 lakhs of migrants have lost job and returned to Kerala. In order to uplift, rehabilitate and reintegrate, the Gulf returnees to the society, the Kerala Government has formulated five core area for assistance; reskilling for new destinations and new sectors, financial assistance for extending low interest loans and offering equity participation, assistance for education of their children, assistance for housing and finally assistance for medically sick. Therefore, I request the Central Government particularly Minister of Finance, Ministers of Skill Development and Entrepreneurship and Minister of External Affairs to consider the proposal submitted by industries and NORKA department of Kerala on 12<sup>th</sup> November 2021 and give assistance of INR 2000 crore for the rehabilitation of 12 lakh Gulf returnees in Kerala.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please read the heading and lay. Now, Shri S. Selvaganabathy; please lay.

### **Need for expansion of Puducherry airport**

SHRI S. SELVAGANABATHY (Puducherry): Sir, Puducherry is one of the spiritual and heritage tourist hubs in South India. Lot of foreign tourists throng this city to admire the French culture mixed with Indian culture. Owing to the Covid-19 Pandemic, the flight operations were suspended and yet to resume. Puducherry is also one of the educational hubs in South India where large number of students are

passing out every year. In order to create job facilities in Puducherry, the entrepreneurs from various places, though they have good frame of mind to start industrial and service activity, are reluctant to invest in Puducherry due to non-availability of proper flight operations and other infrastructure. In this scenario, the Ministry of Civil Aviation should explore the possibility of commencing flights under the Regional Connectivity Scheme with Viability Gap Funding provision for the Airlines. The commencing of Flights in the following preferred locations may be considered: Hyderabad-Puducherry-Hyderabad; Bangalore- Puducherry-Bangalore; Tirupathi-Puducherry-Tirupathi; Calicut-Puducherry-Calicut; Coimbatore-Puducherry-Coimbatore; Rajahmundry- Puducherry-Rajahmundry. Presently, expansion of Airport is the need of the hour. About 368 acres of land from Government of Tamil Nadu and 57.5 acres from Govt. of Puducherry needs to be acquired. The Government of India is requested to help financially to meet land acquisition cost as the Government of Puducherry is reeling under severe financial crisis. Operations of the flight including Air Bus may also be considered.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Md. Nadimul Haque; not present. Shri Sanjay Singh; not present. Shri V. Vijayasai Reddy; not present. Now, Dr. Amar Patnaik; please lay.

### **Need to include Ho, Santhali, Sambalpuri and Mundari languages in the Eighth Schedule to the Constitution**

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, India is the land of many tongues and language is a vital tool for self-expression and knowledge-sharing. At the time of writing of the Indian Constitution, only 14 languages were mentioned in the 8<sup>th</sup> Schedule. Given the wide linguistic diversity of the country, the 8<sup>th</sup> Schedule to the Indian Constitution now consists of 22 languages.

However, many more languages with rich cultural heritage are yet to be included in the 8<sup>th</sup> Schedule. These languages are an important identity of the communities that need urgent promotion and preservation. The addition of more languages under the 8<sup>th</sup> Schedule will provide them with equal opportunity and ensure their inclusion. Often individuals from linguistic communities that are not recognised in the 8<sup>th</sup> Schedule suffer as education is not available to them in their native languages and nor the chance to appear for public service competitive exams, therefore, excluding them from the mainstream.

At present, there are demands for inclusion of 38 more languages in the 8<sup>th</sup> Schedule to the Constitution. Languages such as Ho, Sambalpuri, Mundari have been part of this list for years now.

In 2003, a Committee was set up to evolve an objective criterion for inclusion of more languages in the 8<sup>th</sup> Schedule and it submitted its report in 2004. Years later, there is still no consensus over the criteria for inclusion of languages. Therefore, the inclusion of Ho, Santhali, Sambalpuri and Mundari languages in the 8<sup>th</sup> Schedule must be expedited as earlier demanded by the hon. Chief Minister of Odisha.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Dr. M. Thambidurai; not present. Dr. Sonal Mansingh; please lay.

DR. SONAL MANSINGH: Thank you very much because I got a second chance to say something. I just wanted to quote... ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I think you have a Special Mention, so...

DR. SONAL MANSINGH: Yes, on the *Azadi Ka Amrit Mahotsav*, which I already spoke about.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay, you have already done that.

DR. SONAL MANSINGH: I already spoke about it. If you permit me, Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You have to only read out what has been in the text.

DR. SONAL MANSINGH: So, that I have already spoken about.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): So, you lay it.

**Creating awareness about the programmes conducted under the '*Azadi Ka Amrit Mahotsav*'**

DR. SONAL MANSINGH (Nominated): Sir, I urge the Government to run awareness programmes so that people know about the programmes so far undertaken by various Ministries to showcase achievements and high points of Azadi ka Amrit Mahotsav as well as share the plans for future programmes and projects for the remaining months before completion of the year long Mahotsav.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Dr. V. Sivadasan; not present. Shri K. Somaprasad; not present. Shri Jawhar Sircar; not present. Now, Shri G.V.L. Narasimha Rao.

**Opening of more *Jawahar Navodaya Vidyalayas* in Andhra Pradesh**

SHRI G. V. L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Sir, the Navodaya Vidyalaya Scheme envisages opening of one Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) in each district of the country to provide good quality modern education, including a strong component of culture, inculcation of values, awareness of the environment, adventure activities and physical education to talented children predominantly from rural areas without regard to their family's socio-economic condition.

As on 31<sup>st</sup> May, 2014, all the districts of the States/UTs have been covered under this scheme. As of now, over 660 JNVs have been sanctioned and all of them are functioning. Sixty-one new schools have been opened since 2014. Andhra Pradesh has only 13 districts though the State is fairly large. All 13 districts of Andhra Pradesh State have Navodaya Vidyalayas and two additional JNVs are also functional in Prakasam (SC concentrated) and East Godavari (ST concentrated) districts. The Ministry of Education says that JNVs are not opened on the basis of population of a district. But that clearly leads to a major anomaly. A State like Andhra Pradesh with over five crore population has only 15 JNVs, while States with more districts and a

population of less than two crores have 28 JNVs as they have more administrative districts.

I appeal to the Government to sanction new schools in Andhra Pradesh as the State has fewer JNVs compared to other States of its size. I request that this should be made an additional criterion to ensure justice, equity and opportunity to all rural children in the country.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, I would like to invite the attention of all of you to the gross misconduct of TMC floor leader, Shri Derek O'Brien in this august House a little earlier. Shri Derek O'Brien raised some point of order to which hon. Deputy Chairman has duly responded. A little later, Shri Derek O'Brien flung the Rule Book furiously in the direction of the Chair. The Rule Book would have hit the Chair or the Secretary-General or officials sitting at the Table. Shri Derek O'Brien thereby resorted to grave misconduct and gross violation of the Rules of the House and norms of etiquette and conduct. Being a floor leader, Shri Derek O'Brien, instead of setting high standards of conduct in the House, set a bad example and in the process denigrated the dignity and stature of this august House. This act of Shri Derek O'Brien is highly condemnable.

---

### SUSPENSION OF MEMBER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I move:-

"That Shri Derek O'Brien, Member be suspended from the services of the House for the remaining part of the current Session for his unruly and contemptuous behaviour, unbecoming of a Member of Rajya Sabha by brazenly throwing the Rajya Sabha Rule Book towards the Chair during the discussion on the Election Laws (Amendment) Bill, 2021 on 21<sup>st</sup> December, 2021 thereby bringing disrepute and shame to this august House."

*The question was put and the motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): SHRI DEREK O'BRIEN, therefore, stands suspended for the remaining part of the current Session.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Wednesday, the 22<sup>nd</sup> December, 2021.

*The House then adjourned at seven minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 22<sup>nd</sup> December, 2021.*

---

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF  
BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)